खण्ड-219, अंक-5
सोमवार, 8 फाल्गुन, शक संवत् 1882
(27 फरवरी, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 219 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २७ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३४७

अक्षयवर्सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयर अली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्वेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
बलदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल श्री, (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, (श्री गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम,श्री
परमानन्द सिनहा,श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल,श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त,श्री
बेनीबाई,श्रीमती
बैजूराम,श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर,श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल,श्री
मलखानसिंह,श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां,श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर करील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र , श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल,श्री
रामबली,श्री
राममूर्ति,श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी,श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र,श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल,श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन,श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह,श्री
रामेश्वरप्रसाद,श्री
रूमसिंह श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनय लक्ष्मी सुमन , श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन,श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल,श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल,श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २७ फरवरी, १९६१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

यू० पी० स्टेट वेयर हाउसेज ऐक्ट में संशोधन करने का आश्वासन

**१—श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट वेयर हाउसेज ऐक्ट, १९५८ की समस्त धारायें उत्तर प्रदेश में लागू न करने का क्या कारण है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—यू० पी० वेयर हाउसेज ऐक्ट, १९५८ की धारा १ तो लागू ह। ऐक्ट की बाकी धारायें लागू नहीं की जा सकीं। कारण यह है कि कुछ धाराओं क संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है। इस प्रश्न के तय होने के बाद ऐक्ट के प्रयोजनों को लागू करने हेतु नियमावली बनाई जायगी। इसके बाद ही ऐक्ट की बाकी धारायें लागू की जा सकेंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सवाल पहले आया था। उस दिन मैं यहां मौजूद नहीं था। इसलिये मैं आप से और माननीय सदस्यों से माफी चाहता हूं। मुझे खेद है कि मैं उस दिन यहां नहीं रहा गो बहुत मेरी गलती नहीं थी क्योंकि स्टाफ के लोगों ने मेरे पास वह कागज ही नहीं भेजा था जिसकी वजह से मैं रह गया। मैं दफ्तर में १० बजे से काम कर रहा था। ऐसी आइंदा कोई गलती नहीं होगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ से अब तक इसमें देर क्यों लगी और संशोधन आज तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री मंगलाप्रसाद—इसमें कुछ एडवोकेट जनरल ने एतराज किया है और कुछ १९—आई जी कांस्टीट्यूशन की धारा के खिलाफ पड़ता है। साथ-साथ एक और बात इसमें है। इसमें एक प्राविजन है सेक्शन १९ जिसमें हर चीज के लिये इंश्योरेंस कराना है, लेकिन इसमें इतना खर्चा हो जायगा कि बिजनेस करना मुश्किल हो जायगा। इन सब चीजों पर फिर से विचार हो रहा है और इसमें कई सेक्शंस में संशोधन काफी होंगे और जिन सेक्शंस में संशोधन होंगे उनके अलावा संबंधित सेक्शंस में बहुत से फर्क आयेंगे। इसलिये इसके रूल्स अभी तक नहीं बनाये जा सके हैं।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि अभी उत्तर में बतलाया गया कि १९-आई जी की जो धारा है वह विधान के खिलाफ पड़ती है तो क्या माननीय मंत्री जी भविष्य में इस बात के लिये उनका जो कानूनी विभाग है उसको इस बात के लिये आगाह कर देंगे कि जब कभी ऐसा विधेयक बनायें तो पहले विधान के साथ समन्वय कर लिया करें ?

श्री मंगलाप्रसाद---उसी खयाल को सामने रख कर अभी कोई रूल्स नहीं बनाये हैं। उनका खयाल आइंदा रखा जायगा, लेकिन अब अवसर आ गया है कि रूल्स ठीक से बनाये जायं। देर जरूर हो रही है, लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं कि ये रूल्स जल्दी से जल्दी बनें और ऐक्ट के जरिये से काम होना शुरू हो जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---जिस समय विधेयक लाया जाता है क्या उस समय एडवोकेट जनरल की राय नहीं ली जाती है और कानूनी सलाहकारों की राय नहीं ली जाती है ?

श्री मंगलाप्रसाद---इसके लिये नोटिस चाहिये कि इसमें राय ली गई या नहीं, लेकिन आम तौर से तो राय ली ही जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० वेयर हाउस ऐक्ट, १९५८ की कौन-कौन सी मुख्य धारायें अब लागू नहीं हैं और क्या उन सब धाराओं पर संशोधन प्रस्तावित हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद---लागू होने के माने यही है कि उसमें अभी कोई तरमीम करने की जरूरत नहीं है। जहां तक यू० पी० वेयर हाउस ऐक्ट के जरिये से कोई काम होने की बात है, अभी तक उसके जरिये से कोई काम नहीं हो रहा है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---श्रीमन्, काम तो हो रहा है। क्या सरकार को यह मालूम है कि इनके लागू न होने के कारण अड़चनें पड़ रही हैं ? यदि हां, तो इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ये अमेंडमेंट कब तक सदन के सामने पेश होंगे ?

श्री अध्यक्ष---इसका तो जबाब दे दिया कि जल्दी लायेंगे।

श्री सुरथबहादुरशाह---इससे बहुत अड़चन पड़ रही है।

श्री अध्यक्ष---वह तो मानते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐक्ट में जो संशोधन किये जा रहे हैं वह मुख्य-मुख्य क्या हैं और किस आधार पर किये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---संशोधन तो सदन के सामने आयेंगे। उसके लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा कि अभी से बता दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों से जो वेयर हाउसेज यू० पी० में बन रहे हैं और जो एक कारपोरेशन बना हुआ है यह काम यहां किस ऐक्ट के मातहत हो रहा है ?

श्री मंगलाप्रसाद---यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का ऐक्ट है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट ऐण्ड वेयर हाउसिंग कारपोरेशन) ऐक्ट, १९५६ जिसके मातहत काम हो रहा है। अभी यू० पी० के ऐक्ट के मातहत कुछ नहीं हो रहा है।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से यह बतायेंगे कि इस ऐक्ट की महत्ता को देखते हुए वह संशोधन इस आदरणीय सदन में कब तक लाने वाले हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद---शीघ्र ही आने वाले हैं।

विकास खंडों में कृषि फार्म खोलने का विरोध

**२—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक विकास खन्ड में पचीस एकड़ का कृषि फार्म खोलने की जो सरकारी योजना है उसके संबंध में इस समय या गत तीन चार माह पूर्व सरकार के पास इस प्रकार के सुझाव आये हैं कि इस योजना को चालू न किया जाय ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी नहीं ।

**३—श्री मुक्तिनाथ राय—यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार का ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर गया है—

१—आजमगढ़ जिले के कई विधायकों ने मई, १९६० में भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी को एक आवेदन-पत्र दिया था कि अभाव ग्रस्त जिलों में इस योजना को भूमि एक्वायर करके न चालू किया जाय ?

२—आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् ने मई, १९६० में सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा था ?

३—गोरखपुर डिवीजन में विकास समिति की मीटिंग में जिला अधिकारियों ने भी इस सुझाव को दिया था कि अभावग्रस्त जिलों में भूमि एक्वायर करके इस योजना को चलाने का कार्य समाप्त किया जाय ?

यदि हां, तो इन बातों को मद्देनजर रखकर सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अध्यक्ष महोदय, जो बातें माननीय सदस्य ने अभी कहीं हैं इनके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन भूमि के एक्वीजीशन के संबंध में तो आपत्तियां हुई हैं पर योजना को खत्म करने के बारे में नहीं जैसा कि मैंने उत्तर दिया है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—जिन बातों की ओर मैंने सरकार का ध्यान दिलाया है, शब्द कुछ भी रहे हों, लेकिन उसका भावार्थ यही है कि अभावग्रस्त जिलों में इस योजना को चालू न किया जाय, उन पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो कह रहे हैं कि नोटिस की आवश्यकता है । अभी उन्होंने देखा नहीं है तो कैसे जबाब देंगे ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २५ एकड़ के माडल फार्म बनाने की जो योजना है उसका क्या लक्ष्य है और इससे कम जमीन में फार्म बनाने में सरकार को क्या दिक्कत पड़ रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, भारत सरकार के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हर एक ब्लाक में एक बीज भंडार होना चाहिये जिससे उत्पादन में प्रगति हो सके । यही हमारा लक्ष्य है और यह तभी पूरा हो सकता है जब उन्नतिशील बीज मिलें । इसीलिये कम से कम २५ एकड़ के फार्म खोलने की योजना है क्योंकि जब तक सरकार की ओर से उन्नतिशील बीज का प्रबन्ध नहीं होगा तब तक उत्पादन में उन्नति नहीं हो सकती है। सरकारी फार्म के अलावा और कहीं से उन्नतिशील बीज प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हमारी तरफ खेत बहुत छोटे-छोटे हैं और २५ एकड़ में तो १०० के करीब किसान खेती करते हैं तो इस योजना को इन जिलों में स्थगित करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी तो श्रीमन्, ऐसा विचार नहीं है, लेकिन महसूस करते हैं कि बड़े काश्तकारों से ही जमीन मिले। जब तक उत्पादन बढ़ाना है तब तक इन फार्मों के खोलने की आवश्यकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने ऐसे आदेश भेजे हैं जिसमें अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक ब्लाक में फार्म खोला जाय? यदि जमीन उपलब्ध हो जाय तो जिले में और बड़े फार्म खोले जा सकते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---बड़े फार्म खोले जा सकते हैं, लेकिन एक बीज भंडार में कम से कम २५ एकड़ का एक फार्म होना चाहिये। वैसे इतनी जमीन मिलने में ही कठिनाई पड़ रही है। तो ज्यादा जमीन लेने में तो और भी कठिनाई होगी।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती के जिला अन्तरिम परिषद् ने प्रस्ताव भेजा है कि उत्तम बीज ८० प्रतिशत पैदा हो गया है और सरकारी फार्म खोलने की आवश्यकता नहीं रह गई है? यदि हां, तो उस पर क्या विचार किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात की आवश्यकता है कि ये फार्म खोले जायं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या सरकार इस बात की सम्भावना देखते हुए कि २५ एकड़ के फार्म खोलने के समय छोटे काश्तकारों से जमीन लेने की सम्भावना है, उनसे यदि जमीन ली जाय तो उनको उलटकर जमीन ही दी जा सके इसका प्रबन्ध करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---अब श्रीमन्, जमीन तो जितनी है उतनी ही है, लेकिन और जमीन यदि मिल सके तो उसी को न एक्वायर कर लें ! लिहाजा मुआवजा ही दिया जा सकता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन जमीनों की मार्केट वैल्यू ढाई-ढाई, तीन-तीन हजार है उनको भी सरकार ५०० रुपये में ही ले रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मार्केट वैल्यू तो ऐसी वैल्यू है जो भिन्न-भिन्न स्थानों पर बदला करती है, लेकिन लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में जो नियम है उसके अन्तर्गत हम अपना आफर देते हैं और लोगों को अधिकार है कि यदि किसी को शिकायत है तो वह डिस्ट्रिक्ट जज के पास उस एवार्ड के खिलाफ जा सकता है ।

कुरावली में भूख हड़ताल

४---श्री गोविन्द सिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा), **श्री मलिखानसिंह** (जिला मैनपुरी), **श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा) तथा **श्री गयाबख्शसिंह** (जिला सुल्तानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कुरावली टाउन एरिया के चेयरमैन तथा कर्मचारियों द्वारा अवैध टैक्स वसूल करने तथा अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में जो शिकायतें डेढ़ साल से राज्य सरकार व जिलाधीश के पास भेजी जाती रहीं उन पर कोई कार्यवाही न होने के कारण, कुरावली के नागरिकों द्वारा दिनांक १० सितम्बर, १९६० को सांकेतिक भूख हड़ताल की गई और बाजार में भी आम हड़ताल रही ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)---जी हां, १० सितम्बर, १९६० को केवल १० व्यक्तियों ने २४ घन्टे की सांकेतिक भूख हड़ताल की थी । टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन तथा कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध जो शिकायतें जिलाधीश तथा शासन के पास आईं उन पर आवश्यक कार्यवाही की गई थी।

**५—श्री गोविन्दसिंह विष्ट, श्री मलिखानसिंह, श्री भुवनेशभूषण शर्मा तथा श्री गयाबख्शसिंह—यदि हां, तो हड़तालियों की मांगें क्या थीं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह—हड़ताल करने वालों की मांगें तथा उन पर की गई कार्यवाही निम्नलिखित हैं :—

मांगें	कार्यवाही
१—कुछ वस्तुओं पर कर न लगाया जाय। २—२० सेर तक के बोझ पर कर न लगे।	व्यावहारिक तथा आर्थिक दृष्टि से हित न होने के कारण स्वीकृति नहीं हुई।
३—कर की अनुसूचियों को चुंगी चौकी के प्रमुख स्थानों पर लगाया जाय। ४—ट्रकों के लिये पार-गमन पत्र शुल्क (ट्रांजिट पास फीस) कम की जाय।	इन शिकायतों को दूर कर दिया गया है और निर्धारित ट्रांजिट पास फीस ही वसूल की जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मांगों और शिकायतों में एक यह भी थी कि टाउन एरिया के चेयरमैन, जो एक गांव से सामान दूसरे गांव में जाता है और बीच में कुरावली पड़ता है, उस पर एक रुपये चार आने टैक्स ले लेते हैं जिसमें से चार आने ही जमा होते हैं और एक रुपया वह खा लेते हैं ?

श्री धर्मसिंह—इन शिकायतों में जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं यह भी एक शिकायत थी।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चेयरमैन और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या किया गया ?

श्री धर्मसिंह—वहां के जिलाधीश को रिपोर्ट इत्यादि करने के लिये कागजात भेजते रहे, जहां-जहां से शिकायतें आईं उनकी छानबीन होती रही और मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि जहां तक इसका सम्बन्ध है यह प्रश्न विचाराधीन है कि इसको सुपरसीड किया जाय या नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक रुपया चेयरमैन द्वारा लेने का जो आरोप था उसकी जांच हुई या नहीं ? यदि हुई, तो उसका क्या नतीजा हुआ और यदि वह दोषी पाये गये तो रुपया खा जाने का मुकदमा क्यों नहीं चला ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि जांच की क्या डिटेल्ड रिपोर्ट है। जिलाधीश किस निर्णय पर पहुंचे इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री मलिखानसिंह—माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया कमेटी ने एक प्रस्ताव भी पास किया था कि बाहर से जो गल्ला पिसाई के लिये, या पेराई के लिये टाउन एरिया में लाते हैं, उस पर टैक्स न लें, इस तरह का प्रस्ताव पास करके भेजा था ?

श्री धर्मसिंह—प्रस्ताव का जहां तक सम्बन्ध है मेरी जानकारी में नहीं है कि इस तरह का प्रस्ताव पास करके भेजा था, लेकिन जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है वह व्यावहारिक नहीं था इसलिये कार्यवाही नहीं की जा सकी। वह टाउन एरिया का प्रस्ताव था या शिकायतों में था इसकी सूचना नहीं है।

न्यायालय सुधार संबंधी मुकर्जी कमीशन की अन्तरिम रिपोर्ट

****६—श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्यायालयों में सुधार लाने के लिये जो कमीशन नियुक्त किया गया था, क्या उस पर मुकर्जी कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास अब आ गई है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। मुकर्जी समिति ने अभी केवल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को दी है।

****७—श्री गनेशचन्द्र काछी**—यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह मुकर्जी समिति किस तारीख को कायम हुई थी और आखिरी रिपोर्ट किस तारीख तक आ जायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकारी जो प्रस्ताव इस सम्बन्ध में हुआ है वह १६ मार्च, १९५९ को हुआ और कमेटी की पहली बैठक १३ अप्रैल, १९५९ को हुई ?

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस मुकर्जी समिति में अब तक सरकार का कितना खर्चा हो चुका है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो अन्तरिम रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—एक मौके पर श्री प्रतापसिंह के सवालों के जवाब में मैंने बताया था कि सिविल प्रोसीड्योटर आर्डर्स ऐंड रूल्स को तरमीम करने के लिये और कुछ क्रिमिनल प्रोसीड्योर में तरमीम करने की बात कही गयी है, लेकिन यह सब सरकार के विचाराधीन है। जब फाइनल रिपोर्ट आ जाय, तो सब देख कर जो मुनासिब हो वह ऐक्शन हम लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने मुकर्जी कमेटी से अन्तरिम रिपोर्ट मांगी थी या स्वतः उन्होंने अपनी तरफ से भेज दी ? यदि सरकार ने मांगी थी तो अब तक अन्तरिम रिपोर्ट पर फैसला न लेने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार ने नहीं मांगा था। उन्होंने खुद भेजा।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुकर्जी कमीशन ने जो इन्टेरिम रिपोर्ट भेजी है, उसमें यह भी लिखा है कि इस इंटेरिम रिपोर्ट में जो कुछ सिफारिशें हैं उनमें से कुछ सरकार फौरन लागू कर सकती है, इसके पूर्व कि फाइनल रिपोर्ट आये और तब लागू करें, तो क्या सरकार उनको लागू करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं पूरी पिक्चर देख कर निर्णय लूंगा, पीसमील नहीं करना चाहता।

तारांकित प्रश्न

*१—३—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[१३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४—श्री मोतीलाल अवस्थी—[१६ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ८३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*५—६—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[७ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ६९-७० के अन्तर्गत उत्तर दिये ।]

*७-८—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—[हटा दिये गये ।]

मरलायी सहकारी संघ में गबन

*९—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी तहसील के हरदुआ सहकारी संघ की उपशाखा मरलायी सहकारी संघ में गत अक्तूबर माह में २५ हजार रुपये का गबन हो गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां।

उक्त संघ में २५,४८३ रु० ९८ नये पैसे का गबन पकड़ा गया है। इस सम्बन्ध में संघ का विशेष अंकेक्षण (special audit) कराया गया तथा पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दी गई। मंत्री सुपरवाइजर को निलम्बित (suspend) कर दिया गया है। पुलिस की जांच चल रही है। सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय सालसी कार्यवाही भी की गई है।

*१०—श्री ऊदल—क्या उपरोक्त गबन के सम्बन्ध में अक्तूबर माह में कैन्ट थाने में कोआपरेटिव इन्सपेक्टर, हरदुआ, ने कोई रिपोर्ट भी दर्ज कराई है और क्या इसके सम्बन्ध में अब तक कुछ लोग गिरफ्तार भी किये जा चुके हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां।

पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार तीन अभियुक्त अदालत में हाजिर हो चुके हैं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केस कब पकड़ा गया और स्पेशल आडिट कब हुआ ?

श्री मंगलाप्रसाद—१६-१०-६० को इसकी जांच हुई, यह मसला सरकार के सामने आया, गिरफ्तारी इसकी हुई ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस गबन के सम्बन्ध में सरकार ने कितने आदमियों पर विभागीय कार्यवाही की है या अदालती कार्यवाही करने जा रही है और कौन-कौन विभाग के हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—इसमें चार आदमियों पर कार्यवाही की गयी है रामखेलावन, सेल्स मैनेजर सोसाइटी का, घनश्याम वर्मा, उसके खजांची, टुन्नू राम असिस्टेंट सेक्रेट्री और केदारनाथ यादव सुपरवाइजर और मंत्री।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लगभग २५ हजार रुपये का जो गबन हुआ है इस रुपये की वसूली के लिए अब तक सरकार ने कोई कदम उठाया है कि जिससे यह रुपया वसूल किया जा सके ?

श्री मंगलाप्रसाद---जवाब में तो लिखा हुआ है कि पहले से विभागीय सालसी कार्यवाही की जा रही है जो अभी चल रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---यह देखते हुए कि तमाम सहकारी स्टोर या संघ जहां जहां पर हैं सब जगह गबन ज्यादा तर हो रहा है, माननीय मंत्री जी कोई ऐसी योजना बनायेंगे कि जिससे ज्ञात हो कि गबन के कारण क्या हैं और किस प्रकार से लोग सहकारिता को चलायें ?

श्री मंगलाप्रसाद---यह एक जनरल सवाल है, लेकिन मेरी कोशिश यह है कि चारों तरफ सख्ती की जाय। जांच में जो अभी कमी हो रही है उसमें कड़ाई की जाय और आडिट, ऐसी कोशिश की जाय कि वक्त के अन्दर साल का साल हो जाया करे। जसे यह मसला सामने है इसमें कोताही की गई। तीन चार वर्ष तक किसी आफिसर ने जांच नहीं की और न एकाउंट्स की जांच आडीटर्स ने की। इसलिए यह सम्भावना हो सकी। वरना अगर साल के साल आडिट हो जाय तो एक ही साल का गबन ज्यादा से ज्यादा होगा जो कि पकड़ा जायगा, तीन चार साल तक होने की सम्भावना नहीं होगी। इसके लिये कोशिश हमने शुरू कर दी ह।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या सरकार को ज्ञात है कि यह गबन इसलिए भी बढ़ते जा रहे हैं कि इन सहकारी संघों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो या तो हाईली कनक्टेड हैं या पोलिटिकल पुल हैं उनको जिससे वह बड़ा बेढब असर डाल देते हैं ताकि वह बेचारे अधिकारी काम न कर सकें ?

श्री मंगलाप्रसाद---मेरा खयाल है कि पोलिटिकल पुल है तो वह गलत है। सहकारिता में तो पोलिटिकल पुल होना ही नहीं चाहिए और ऐसा है भी नहीं। अगर है कहीं थोड़ा बहुत तो उसमें सभी लोग हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए और आइन्दा नहीं होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चार साल तक इसके एकाउन्ट्स की जांच जो नहीं हो सकी यह किन परिस्थितियों में सम्भव हो सका और क्यों हुआ ?

श्री मंगलाप्रसाद---यह तो मैंने बता दिया एक वाकया और इसके बाद जिन लोगों के वक्त में नहीं हुआ उनकी लापरवाही हुई, उनसे भी जवाब तलब करने के हुक्म इस सवाल के बाद मैंने दे दिए हैं, जो चाहे चले गए हों कि क्यों ऐसा हुआ और उसका जवाब प्राप्त होने के बाद माननीय मित्र अगर दरियाफ्त करेंगे तो बतला दूंगा।

*११-१२---**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)---[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ३८-३९ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*१३---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---[६ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१४-१६---**श्री मुक्तिनाथ राय**---[१६ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ३८-४० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१७-१८---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ४०-४१ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*१९---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---[६ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कोआपरेटिव रजिस्ट्रार के कार्यालय के लिए भवन की आवश्यकता

*२०—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—विधान सभा के दिनांक ८ सितम्बर, १९६० ई० के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के क्रम में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव रजिस्ट्रार के कार्यालय के हेतु गौतमपल्ली का आफीसर्स विश्राम-गृह अथवा प्रोग्रेस म्यूजियम की इमारत लेने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री मंगलाप्रसाद—आफीसर्स विश्राम गृह, गौतमपल्ली, लखनऊ, रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज की जरूरत के लिये काफी नहीं है।

प्रोग्रेस म्युज़ियम की इमारत में जगह की कमी होने के कारण वह खुद सरकार से अधिक स्थान के लिये लिख रहे हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मनानीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आफिसर्स विश्रामगृह जरूरत के लिए काफी नहीं है यह किसकी जांच के द्वारा ज्ञात हुआ ?

श्री मंगलाप्रसाद—यह हमारे डिपार्टमेंट ने जब कोशिश की कि यह उनको मिल जाय तो उनकी जांच पर यह मालूम हुआ कि वहां पर उनके लिए काफी जगह नहीं है और वह हमारे देने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—कोआपरेटिव सोसाइटी के कार्यालय के लिए कोई स्थान चुन लिया गया है या अभी तक नहीं ?

श्री मंगलाप्रसाद—आजकल उनका दफ्तर यहां से उठ कर दूसरी जगह चला गया है। यहां से कुछ दूरी पर है जिसको कि २ हजार माहवार पर ले लिया गया है। और कोई जगह तलाश कर रहे हैं, मिल जाने पर बदल दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह तय कर लिया गया है कि गोतमपल्ली आफीसर्स विश्रामगृह और प्रोग्रेस म्यूजियम में सरकारी कार्यालय स्थापित किये जायं ? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्यालय वहां पर काम कर रहे हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—कोई दफ्तर वहां काम नहीं कर रहा है और न तय किया है कि वहां कोई सरकारी दफ्तर रहे सिवाय प्रोग्रेस म्यूजियम के जहां पर इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट का, प्रदर्शिनी का सामान रखा जाता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सहकारिता मंत्री महोदय बतलायेंगे कि यह २ हजार रुपये में बिल्डिग किराये पर ली गई है उसको इस समय छोड़कर, विक्रमादित्य मार्ग पर मंत्रियों की बड़ी बड़ी कोठियां जो खाली हैं उनमें सरकारी दफ्तर भेजने का वह विचार करेंगे जिससे किराये की बचत हो सके ?

श्री मंगलाप्रसाद—उनमें जाने का विचार इसलिये नहीं हो रहा है कि वह बहुत से विभागों को दे दी गई हैं और उनमें अब कोई जगह बाकी नहीं है जिससे सहकारिता विभाग उसमें जा सके।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो २ हजार रुपये के किराये पर मकान लिया गया है, यह म्युनिसिपल असेसमेंट के अनुकूल है या अधिक है ?

श्री मंगलाप्रसाद—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी इस बिल्डिग का रेन्ट रट-कंट्रोल ऐक्ट की दफा ३ के मुताबिक फिक्स कराने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद--यदि जरूरी समझा जायगा इस माने में कि जितना असेस्ड है उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो जरूर की जायगी।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मकान किसका है और क्या पूरा मकान लिया गया है या आधा ?

श्री मंगलाप्रसाद--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मकान जो २ हजार रुपये महीना किराये पर लिया गया है यह कब लिया गया और जब यह मकान लिया गया सरकार ने इस बात को देखा कि उसमें कितने कमरे हैं और असेसमेंट के मुताबिक उसमें कमरे हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद--इस मकान के सिलसिले में कोई तफसील इकट्ठी नहीं की गई और न आज उसकी मांग है, लेकिन मैंने खुद उसको जाकर देखा है और वह काफी लम्बा-चौड़ा मकान है। ३०० आदमी जो उस विभाग में काम करते हैं वह सब उसमें काम इस वक्त करते हैं। उनको काम करने की पर्याप्त जगह नहीं हो सकती, लेकिन उनके काम करने के लिये काफी जगह है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जहां अब यह रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग का कार्यालय गया है वहां से रेलवे स्टेशन इतने नजदीक है कि जब वहां रेलवे इंजिन शंटिग करता है तो कार्यालय में ठीक काम नहीं हो पाता और धुयें से स्वास्थ्य खराब होता है और विधान सभा से वह बहुत दूर है जिससे कार्यकर्ताओं को वहां से आने जाने में कठिनाई रहती है, तो उसको नजदीक लाने का वह विचार करेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद--इस पर विचार किया जा रहा है। यह ठीक है कि वह स्थान वहां से काफी दूर है और लोगों को दिक्कत होती है। इसमें दो राय नहीं है लेकिन इतना बड़ा स्थान नजदीक नहीं मिल रहा है। जब तक नजदीक में कोई स्थान न मिले तब तक यह आने जाने की कठिनाई उनको रहेगी। वह रेलवे स्टेशन से नजदीक है और उससे क्या दिक्कत है इसकी वाकफियत मुझे नहीं है।

*२१-२२--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--[हटा दिये गये।]

*२३--**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--[१३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी नगरपालिका में वाटर मीटरों की चोरी

*२४--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या अभी हाल ही में नगरपालिका झांसी द्वारा पुलिस में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसके १८,००० रुपये के मीटर स्टाक से चोरी चले गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। नगरपालिका झांसी द्वारा दिनांक २३ फरवरी, १९६० को पुलिस में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके १३,२०० रुपये के वाटर मीटर स्टाक से चोरी चले गये हैं।

*२५--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या पुलिस अपनी तहकीकात में इस नतीजे पर पहुंची है कि मीटरों की चोरी होने का प्रमाण नहीं मिलता ?

श्री धर्मसिंह--तहकीकात करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि मौका मुआयना से चोरी का होना नहीं पाया जाता।

*२६--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार को पता है कि स्थानीय अधिकारियों के पास इस आशय की सूचनायें पहुंची हैं कि मीटर स्टाक में जमा ही नहीं हुये और उनकी खरीदारी फर्जी है ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं । ये मीटर नगरपालिका, झाँसी को मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये थे और नगरपालिका के स्टाक बुक में दर्ज किये गये थे ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी थी और उस अधिकारी ने क्या रिपोर्ट दी है इस संबंध में ? उस रिपोर्ट को क्या मंत्री जी सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--फिलहाल यह मामला पुलिस में है और वह इसकी जांच कर रही है । इसमें यह कार्यवाही और हुई है कि झांसी के प्रेसीडेंट, म्युनिसिपल बोर्ड को कहा गया है कि वे इसकी जांच करें । उन्होंने इसके लिये एक कमेटी बना दी है और वह इसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी किसी अंतिम निर्णय पर वे भी पहुंचे नहीं हैं ।

श्री मदन पांडेय--मैंने कहा था कि मंत्री जी के पास जो रिपोर्ट आयी है उसी को वह पढ़ कर सुना दें ।

श्री धर्मसिंह--मैंने प्रश्न के उत्तर में जो निवेदन किया था वही रिपोर्ट वहां से प्राप्त हुई है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार बतलायेगी कि पुलिस की रिपोर्ट जिसके आधार पर चोरी न होना पाया गया, उसमें उन्होंने चोरी न होने की क्या वजूहात बतलायी हैं ?

श्री धर्मसिंह--उसमें तो इतना ही कहा गया है कि चोरी होना नहीं पाया जाता है, लेकिन मीटर गायब हुए हैं । किस तरह गायब हुए हैं इस बात की छानबीन की जा रही है ।

माघ मेला, प्रयाग का आय-व्यय

*२७--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या इलाहाबाद के जिलाधीश ने माघ मेले का कोई बजट बना कर सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो उसमें कितनी आय और कितने व्यय का अनुमान किया गया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--जी हां । वर्तमान माघ मेले के सामान्य प्रशासन विभाग पर, जिसका बजट जिलाधीश बनाते हैं, १,५३,६०० रुपये व्यय तथा ९८,२०० रुपये की आय का अनुमान है ।

*२८-२९--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--[१३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३०-३१--श्री मुक्तिनाथ राय--[हटा दिये गये ।]

*३२--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--[दसवें गुरुवार के लिये प्रश्न १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सरना ग्राम से पेय-जल व्यवस्था की मांग

*३३—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार के पास ग्राम सरना, पट्टी तल्ला तिखून, पो० सीतलखेत, जिला अल्मोड़ा में पेय-जल की योजना संचालित किये जाने के संबंध में कोई मांग आई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां । योजना स्वीकृत की जा चुकी है, लेकिन ग्राममवासियों से जो योजना द्वारा लाभान्वित होंगे, २५ प्रतिशत अंशदान न मिलने क कारण योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं की जा सकी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह २५ प्रतिशत अंशदान कितना आता है इस योजना के अनुसार ?

श्री धर्मसिंह—४,३७५ रुपया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि कुमायूं के पर्वतीय ग्रामों में जहां की आबादी अत्यन्त कम है और गरीबी के कारण ग्रामवासियों के लिये इतना रुपया, चार या साढ़े चार हजार इकट्ठा करना मुश्किल ही है, इसलिये इसको कम कर के १० या ५ प्रतिशत करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और अभी निर्णय नहीं हो पाया है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि १० फीसदी का सुझाव कुमायूं की अंतरिम जिला परिषद् से आज से प्रायः दो साल पूर्व आ चुका है और उस पर अंतिम निर्णय लेने पर सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री धर्मसिंह—मैंने तो प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया कि जहां जहां यह योजना लागू हुई है वहां वहां ग्रामवासियों को २५ प्रतिशत श्रमदान में देना चाहिये था, तभी यह हो सकती थी । और जिस प्रस्ताव के विषय में आप कह रहे हैं यह तो ग्रामों के प्रधानों का रेजोल्यूशन था और उसी पर यह कार्यवाही की गयी ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब ग्राम सभाओं और जिला परिषद् से प्रस्ताव आया कि पर्वतीय जिलों की गरीबी और जनसंख्या की कमी को देखते हुए वहां यह २५ फीसदी नहीं जमा हो सकता, इसे १० फीसदी कर दिया जाय, तो उस विषय में आप ने क्या किया ?

श्री धर्मसिंह—उस पर विचार हो रहा है और सरकार अभी किसी अंतिम निश्चय पर नहीं पहुंची है ।

अन्तरिम जिला परिषद्, मुरादाबाद से नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट का गायब होना

*३४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि मुरादाबाद अन्तरिम जिला परिषद् के कर्मचारियों के प्रावीडेंट फंड के तीन लाख रुपये के नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट गायब हैं ? यदि हां, तो वह कब जमा हुये थे और उनके गायब होने का पता कब लगा ?

श्री धर्मसिंह—अन्तरिम जिला परिषद्, मुरादाबाद ने अपने लेखा का स्पेशल आडिट करने हेतु परीक्षक स्थानीय निधि लेखा को लिखा है नेशनल सेविंग्स सार्टिफिकेट्स के संबंध में । ठीक ठीक व्योरा तभी ज्ञात हो सकेगा जब कि उक्त आडिट पूरा हो जायेगा ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये सर्टिफिकेट कब गायब हुए और यह लेखा निरीक्षक को हिसाब आडिट करने को कब लिखा गया ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक इस आडिट का सम्बन्ध है २४ अक्तूबर, १९६० से यह स्पेशल आडिट मुरादाबाद में काम कर रहा है ।

*३५--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--[१३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३६--**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)--[१३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३७-३८--**श्री गजेन्द्रसिंह** (जिला इटावा)--[१३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

नगरपालिका, झांसी का बिना वापसी चुंगी लगाने का प्रस्ताव

*३९--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--झांसी नगरपालिका द्वारा बिना वापसी की चुंगी जारी करने के लिये सरकारी स्वीकृति की प्रार्थना के सम्बन्ध में दिनांक १० फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी नगरपालिका ने बिना वापसी की चुंगी को कार्यान्वित करने के लिये उसके आदेशों का पालन करते हुये उससे आज्ञा प्रदान करने के लिये प्रार्थना की है ? यदि हां, तो कब ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। नगरपालिका झांसी का बिना वापसी चुंगी लगाने का औपचारिक प्रस्ताव कमिश्नर, झांसी डिवीजन द्वारा शासन को दिनांक १० जनवरी, १९६१ को प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में कुछ अवशेष सूचना कमिश्नर द्वारा दिनांक ३ फरवरी, १९६१ को भी प्राप्त हुई है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अपनी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे ताकि यह कार्य पहली अप्रैल से शुरू हो सके ?

श्री धर्मसिंह--यह प्रश्न कमिश्नर को लौटा दिया गया था क्योंकि इसमें कुछ कमियां थीं। नगरपालिका, झांसी, से कहा गया है कि वह उसको दुरुस्त करके भेजे, ताकि उस पर विचार किया जा सके ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि पहली अप्रैल नजदीक ही है, और यह जो मांग है वह वाजिब मांग है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे जिसमें यह कागज शीघ्रता से आ जाय और यह योजना चालू की जा सके ?

श्री धर्मसिंह--इसको २०-२-६१ को वापस किया गया है। अब इसके लिये कोई आदेश दिये जा सकते हैं या नहीं, यह कहना कठिन है, लेकिन कोशिश यह की जाती है कि जल्द से जल्द कार्यवाही हो ।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इसको वापस कब किया गया ?

श्री धर्म सिंह--२०-२-६१ को ।

नोटीफाइड एरिया कमेटी, दुगड्डा के प्रेसीडेण्ट के निर्वाचन का आश्वासन

*४०--**श्री त्रिलोकीसिंह** (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड एरिया कमेटी, दुगड्डा, जिला गढ़वाल के अध्यक्ष पद का, जो मई, १९६० से खाली है, चुनाव न होने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—आयुक्त कुमायूं मन्डल द्वारा दुगड्डा नोटीफाइड एरिया कमेटी के भूतपूर्व सदस्य तथा प्रेसीडेंट के पदच्युत किये जाने के पश्चात् जिला स्तर पर इस प्रश्न पर विचार होता रहा कि रिक्त स्थान की विज्ञप्ति आयुक्त कुमायूं मन्डल के कार्यालय में होगी अथवा जिलाधीश के कार्यालय से। इसमें देर लगी देर के कारण की जांच हो रही है। अब निर्वाचन के लिये आवश्यक विज्ञप्तियां गवर्नमेंट प्रेस भेज दी गई हैं और शीघ्र ही सदस्य के स्थान की पूर्ति करके प्रेसीडेंट का निर्वाचन कराया जायगा।

*४१—**श्री त्रिलोकीसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध कौन-कौन सी शिकायतें थीं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री धर्मसिंह—इस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध, कमेटी के धन का अस्थायी गबन (temporary misappropriation) करने तथा कमेटी के एकाउन्टेंट से एक जाली टी० ए० बिल बनवाने की शिकायत थी। आयुक्त कुमायूं मन्डल ने इन शिकायतों की जांच करने के उपरान्त कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष को सदस्य के पद से पृथक कर दिया जिसके परिणामस्वरूप वह अध्यक्ष के पद से स्वतः हट गये।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उस भूतपूर्व अध्यक्ष ने टी० ए० का कितने रुपये का गबन किया और क्या कानूनी कार्यवाही की गई?

श्री धर्मसिंह—गबन तीन रुपया कुछ पैसे का था। उसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। इसी दौरान में उसने माफी मांग ली। अपनी गलती के लिये और फिर उसने त्यागपत्र भी दे दिया। इसके बाद और किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री प्रतापसिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह सरकारी पैसे का मिस-एप्रोप्रिएशन था तो सरकार ने कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की?

श्री धर्मसिंह—शासन ने कार्यवाही तो की। मैंने अभी बताया कि उसने माफी मांग ली और जब कोई व्यक्ति माफी मांग लेता है तो फिर उसमें कोई ऐसी बात नहीं रह जाती कि कानूनी कार्यवाही की जाय। उसको माफ कर दिया गया और उसके बाद उसने त्यागपत्र भी दे दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अन्ततोगत्वा यह विज्ञप्ति जिलाधीश के कार्यालय से निकली या आयुक्त कुमाऊं मन्डल के कार्यालय से और इस विवाद के तय होने में कितना समय लगा?

श्री धर्मसिंह—इस दौरान यह मामला पड़ा रहा, गलतफहमी यह रही कि यह कमिश्नर साहब के यहां से निकले या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां से लिहाजा जैसा मैंने निवेदन किया कि वहां गलतफहमी भी हुई, किसकी लापरवाही हुई, इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—वह यह पूछ रहे हैं कि आखिर में जो विज्ञप्ति निकली वह किस से निकली, जिलाधीश के कार्यालय से निकली या आयुक्त कुमायूं मन्डल के कार्यालय से?

श्री धर्मसिंह—शासन द्वारा जिलाधीश को आदेश दिया गया था कि जहां तक उपनिर्वाचन का सम्बन्ध है, विज्ञप्तियों का संबंध है वे उसमें कार्यवाही करें।

नोट—तारांकित प्रश्न ४०–४१ श्री प्रतापसिंह ने पूछे।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो प्रेसीडेंट थे वे किस राजनीतिक पार्टी से चुने गये थे और आज तक जो चुनाव नहीं कराया गया उसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—किस राजनीतिक पार्टी के थे इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है और जहां तक देरी का प्रश्न है, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि चुनाव के कराने में क्यों देरी हुई उसकी छानबीन की जा रही है और जिलाधीश से कहा गया है कि जब आप छान-बीन कर लें तो सरकार को सूचना दें ।

श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह—उस व्यक्ति ने माफी मांग ली इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई अतः हम जानना चाहते ह कि क्या कोई इस प्रकार का कैबिनेट का डिसीजन हो गया है कि कोई पार्टी यदि माफी मांग ले तो उसे दंड से मुक्त कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि टेम्पोरेरी मिसएप्रोप्रियेशन है जोकि कानूनी दृष्टि से सदैव क्रिमिनल ही नहीं होता, इसलिये कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी———क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विज्ञप्ति प्रेस को गई है उसके अनुसार कब चुनाव प्रेसीडेण्ट का होगा, किस तारीख को ?

श्री धर्मसिंह—जिलाधीश की सूचना के अनुसार चुनाव १५ अप्रैल, १९६१ तक पूर्ण हो जाने की आशा है यदि कोई और टेक्निकल बात पैदा न हो ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रेसीडेंट ने माफी मांग ली तो तीन रुपये १२ आने अन्तरिम जिला परिषद् के कोष में जमा हो गये या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—उन्होंने वसूल नहीं किये थे इसलिये जमा होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि इस टेम्पोरेरी मिसएप्रोप्रियेशन से क्या तात्पर्य है, इसमें किसी रकम का प्रश्न है या किसी सिद्धान्त का प्रश्न ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर में निवेदन किया इसमें दो तीन सावल हैं । इसमें कुछ धन भी था जिसे थोड़े दिन बाद जमा कर दिया, इसलिये वह टेम्पोरेरी हुआ ।

श्री प्रतापसिंह—इस बात को देखते हुये कि मंत्री जी के उत्तर से भ्रम फैल रहा है और इस तरह से जो लोग गड़बड़ी करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा इसलिये क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि कोई आदमी किसी पब्लिक बाडी के कोष का मिसएप्रोप्रियेशन करता है तो उसपर कार्यवाही की जायगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने टेम्पोरेरी मिसएप्रोप्रियेशन आपसे कहा । अब उसकी कानूनी स्टडी करना आपका काम है । आप तो उनके कानूनी ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं । जब वह कह रहे हैं कि टेक्निकल बात थी, उन्होंने वसूल ही नहीं किया तो कोई बात नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्रीजी कानूनी दृष्टिकोण से बताने की कृपा करेंगे कि रुपया वसूल न होने पर भी टेम्पोरेरी मिसएप्रोप्रियेशन का चार्ज कैसे लगाया गया ?

श्री अध्यक्ष—यह कानूनी प्रश्न है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं उत्तर दिये देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—दें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—कानूनी प्रश्न का उत्तर किसी वकील से पूछ कर दूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—चुनाव के विलम्ब के बारे में जांच होने की आज्ञा कब हुई और यदि विलम्ब हुआ, तो क्यों हुआ ?

श्री धर्मसिंह—कब इसकी सूचना गई, यह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जिलाधीश द्वारा इसकी जांच हो रही है ।

*४२—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—[हटा दिया गया ।]

प्रश्नों की संख्या संतुलित रखने के संबंध में प्रार्थना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नों की संख्या कुल ४१ है जिनमें से भी आधे से ज्यादा स्थगित हो चुके हैं और अभी १५ मिनट प्रश्नोत्तर के शेष हैं । तो आप, प्रश्नों को संतुलित करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—इसी विभाग में कभी कभी बहुत प्रश्न आ जाते हैं कभी कम । शायद कम प्रश्न हैं इस कारण इस समय शायद विभाग अच्छा कार्य कर रहा हो ।

नियम ५२ के अन्तर्गत मथुरा नगर में मेहतरों की हड़ताल के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास ध्यान आकृष्ट करने वाले जो विषय आये हैं उनमें से मैंने एक श्री गोविन्दसिंह बिष्ट का स्वीकार किया है । वह इस प्रकार है :

"मथुरा नगर में गत ५ दिनों से मेहतरों ने हड़ताल कर रखी है । तमाम मैला पड़ा पड़ा सड़ रहा है । नागरिकों व रोज आने जाने वाले हजारों यात्रियों में बीमारी फैलने का सख्त अन्देशा है । हड़तालियों की वेतन, भत्ता व कार्य आदि की जायज मांगों को बोर्ड ने ठुकरा दिया । दिनांक २४ को जब करीब १५० प्रदर्शनकारी जा रहे थे तो उनको सैनीटरी इंसपेक्टर व अन्य काम करने वाले मेहतर व जमादारों से मारपीट हो गई, जिससे २१ व्यक्तियों को सख्त चोटें आई हैं । नगर में सनसनी फैलने पर सब बाजार एकदम बन्द हो गये, बड़ा विक्षुब्ध वातावरण चल रहा है । समस्या को शीघ्र न सुलझाया गया तो यात्रियों द्वारा प्रदेश में बिमारी फैलने का डर है । इस महत्वपूर्ण तात्कालिक प्रश्न पर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का नियम ५२ के अन्तर्गत विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार ध्यान आकृष्ट कराया जाय ।"

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—औरों के भी हैं ।

श्री अध्यक्ष—आपका भी है, लेकिन आपका थोड़ा सा बाद में आया । उनको श्रेय मिल गया पहले आने से । आपका भी पढ़ देता हूं । "जिला मथुरा में नगरपालिका के हड़ताली स्वीपर्स एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारियों के बीच दिनांक २४ फरवरी, १९६१ को झगड़ा होने से कई लोगों के जख्मी होने एवं मथुरा शहर में इस प्रकार के झगड़े से शहर के बन्द होने और ३० हड़तालियों के गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति की ओर माननीय स्वशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।"

इसमें कोई अधिक बात नहीं है । तो मैं गोविन्दसिंह जी का प्रश्न लिये लेता हूं । माननीय स्वायत्त शासन मंत्री इस पर वक्तव्य देंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—उन्होंने कहा है कि ६ तारीख को बयान देंगे ।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है ।

सदन में श्री गोविन्द वल्लभ पंत के स्वास्थ्य लाभार्थ प्रार्थना करने का सुझाव

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हुं कि हमारी विधान सभा के सदस्य पन्त जी के स्वास्थ्य-लाभ और दीर्घायु होने के लिये खड़े होकर १ मिनट प्रार्थना करें, आपकी आज्ञा हो तो ।

श्री अध्यक्ष—अपने हृदय में सब लोग प्रार्थना कर लें । किसी के लिये ऐसी प्रार्थना सदन की ओर से करने की प्रथा हमारे यहां रही नहीं है । यह एक नयी बात हो जायगी । फिर औरों की बीमारी के संबंध में प्रार्थना करने को यदि कोई कहे, तो आपत्ति होने लगेगी । इसमें मतभेद भी हो सकता है । ऐसी प्रथा चलाना, मैं समझता हूं उचित नहीं होगा, लेकिन यह मैं जरूर चाहूंगा कि एक महान् व्यक्ति के लिये हम सभी वैयक्तिक रीति से अपने अपने हृदय में प्रार्थना कर लेंगे ।

नियम ५२ के अन्तर्गत नैनीताल तराई में गन्ने की कीमत का ७५ फीसदी कुर्क होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—श्री झारखण्डेराय जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न उठाया था । सहकारिता मंत्री ने आज उस पर वक्तव्य देने के लिये कहा था ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मैं बयान दूंगा और मुझे यह कहना है कि तराई एरिया के कालोनाइजेशन के रकबे में जो लोग आबाद हुये हैं उनके जिम्मे २५,९२,००० रुपये ट्रैक्टराइजेशन चार्जेज, हाउस और कन्ट्रीब्यूटरी मनीज, हाउस ड्यूज, तकावी वगैरह के बाकी हैं । वे देने के लिये डकार भी नहीं लेते हैं । बारम्बार तकाजा करने पर भी नहीं देते । डिप्टी कमिश्नर ने उनकी गन्ने की कीमत का ७५ फीसदी कुर्क कर लिया और जिन फैक्ट्रियों में गन्ना जाता है उनको हिदायत कर दी कि २५ फीसदी से ज्यादा गन्ने वालों को दाम न दें, लेकिन अभी हाल में नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर तराई एरिया में गये, तो उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि कम से कम फसल की कटाई और ढुलाई के दाम बरी कर दिये जावें । इस तरह से वर्क आउट करके ७ फीसदी आया, यानी ३२ फीसदी छोड़कर ६८ फीसदी इटैंड है । अब ठीक काम चल रहा है ।

पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की सब कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष श्री झारखण्डेराय जी थे । कालोनाइजेशन स्कीम की वर्किंग को देखने के लिये वह वहां गई थी, तो उस समय भी डिप्टी कमिश्नर ने बताया है, श्री झारखण्डेराय जी की तवज्जह इस ओर दिलाई गई थी, लम्बी बाकी के बारे में । अब तो करीब-करीब एग्रीमेंट हो गया है और वसूलयाबी असन्तोषजनक नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उनको वहां बसाने में मदद दी, लेकिन ७५ फीसदी सरकार ले लेती है और १५ फीसदी ढुलाई वगैरह में चला जाता है, तो उन लोगों ने प्रार्थना की थी कि २५ फीसदी सरकार ले और बाकी उनको दे दिया जाय ताकि उनका काम चल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी इत्तिला मेरे पास नहीं है, लेकिन यह इत्तिला है कि ७ फीसदी और रिहा कर दिया गया और इस पर वे राजी हो गये और काम ठीक चल रहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ६८ फीसदी सरकार ले लेती है, सरकार इसे कम करने पर विचार करेगी चूंकि यह बड़ी रकम है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं, बकाया तो वसूल होना ही चाहिये क्योंकि डेवलपमेंट के कामों के लिये रुपये की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की सब-कमेटी कभी तराई इलाके में नहीं गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे डिप्टी कमिश्नर ने इत्तला की है।

श्री नारायदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी दोबारा जांच कराने की कृपा करेंगे कि सब-कमेटी जिसका कि उन्होंने जिक्र किया, वह तराई इलाके में कभी नहीं गई, अगर गई तो सब-कमेटी ने इस मामले में क्या सिफारिश की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सिफारिश तो कयास में कर सकता हूं। सभी समझते हैं कि बकाया वसूल होनी चाहिये। पी० ए० सी० की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट को वह सिफारिश करे कि फलां पैसा वसूल क्यों नहीं हुआ है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो बकाया की रकम है वह पिछले १० सालों में क्यों वसूल नहीं की गई और अब एक साल में ही वसूल क्यों की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सीधे-सीधे मांगते रहे, लेकिन किसी ने दिया नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस प्रकार से चकबन्दी का कर वसूल किया जाता है कि एक साल का पहला और एक साल का बकाया, इसी प्रकार से इसको भी वसूल करने की कृपा करेंगे जिससे किसानों के ऊपर ज्यादा भार न पड़े और सरकार का रुपया भी वसूल हो जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—चकबन्दी के सिलसिले में मैंने ऐसी बात नहीं कही।

श्री चन्द्रजीत यादव—रेवेन्यू वसूल करने के सिलसिले में शायद सरकार ने ऐसा नियम बनाया था।

श्री अध्यक्ष—मेरा खयाल है कि उन्होंने उसके लिये कहा था कि यदि किसी ने ज्यादा जमीन तोड़ ली है और उसके संबंध में जो रुपया उस पर आयद किया गया हो उसी को वसूल किया जा रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी उसी प्रकार की पद्धति इस विषय में भी अपनाने की कृपा करेंगे जिससे किसानों को सहूलियत हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सब जगह दरियादिली से काम लेना ठीक न होगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—सरकार ने यह वायदा किया था कि किच्छा फैक्ट्री लग जायगी, किसानों ने गन्ना उसके हिसाब से पैदा किया था, लेकिन अब वह गन्ना दूसरी मिलों में नहीं लिया जा रहा है। इस बात को देखते हुये कि किच्छा फैक्ट्री नहीं लगी सरकार छोटे काश्तकारों के लिये ७५ फीसदी की कटौती को घटाकर ५० प्रतिशत करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो कार्यवाही हो रही है, उसमें कोई रद्दोबदल करने के लिये सरकार तैयार नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह सही है कि प्रदेश के बड़े-बड़े मिल मालिकों पर सरकार का लाखों रुपया सेस का बकाया है, उनका अटैचमेंट नहीं किया जाता है लेकिन गरीब किसानों का किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष--यह बहस है।

स्टार पेपर मिल सहारनपुर को चीड़ की लकड़ी की सप्लाई के सम्बन्ध में वक्तव्य

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)--अध्यक्ष महोदय, स्टार पेपर मिल के संबंध में आपकी आज्ञा से मैं वक्तव्य दे रहा हूं।

कुमायूं वन सर्किल में पेंचदार चीड़ के बहुत से पेड़ पाये जाते हैं। यद्यपि थोड़े से पेंच के कारण इमारती लकड़ी बेकार नहीं हो जाती है किन्तु अधिक पेंचों के कारण, जैसा कि प्रायः हुआ करता है, इस तरह के पेड़ों की लकड़ी इमारती लकड़ी के लिये बेकार हो जाती है। परन्तु इस प्रकार की पेंचदार लकड़ी जलाने के काम में लाई जा सकती है, जिसका इस प्रकार उपयोग नाग वाटर वर्क्स, रानी खेत तथा अल्मोड़ा नगर के लोग और ऐसे वनों के पास रहने वाले गांव के लोग किया करते हैं। किन्तु इस प्रकार की लकड़ी की उपलब्ध सप्लाई इस थोड़ी-सी जरूरत से कहीं ज्यादा है। इस किस्म की पेंचदार चीड़ की लकड़ी जो स्थानीय लोगों की जरूरत से ज्यादा थी, इंडियन फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून को १९५४-५५ में कागज बनाने के लिये कच्ची सामग्री के रूप में उपयोगी प्रतीत हुई। लगभग उसी समय मेसर्स स्टार पेपर मिल्स ने उत्तर प्रदेश सरकार से कागज बनाने के लिये पेंचदार चीड़ की लकड़ी को पट्टे पर लेने और साथ ही साथ भारत से अपनी वर्तमान कागज मिलों का प्रसार करने की अनुमति प्राप्त करने के निमित्त उद्योग अधिनियम के अधीन लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिया। इस विषय पर कुमायूं सर्किल के एक भूतपूर्व अरण्यपाल की राय इस प्रकार है--

कुमायूं में वन, भूमि तथा जल संरक्षण और लीसा उद्योग को बनाये रखने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि सुव्यवस्थित वनवर्द्धन द्वारा पेंचदार चीड़ के क्षेत्रों में फिर से वृक्ष लगाये जायं और यह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि हम उस पेंचदार चीड़ को जो कि इमारती लकड़ी के लिये बेकार होती है और जिसकी ईंधन के रूप में भी कोई मांग नहीं है, किसी और काम के लिये उपयोग में नहीं ला सकते। अतएव पेंचदार चीड़ का उपयोग लीसा उद्योग के हित में है। यदि इन क्षेत्रों में फिर से वन लगाये न जायं तो एक समय ऐसा आयेगा जब कि लीसे का काम बिलकुल ठप हो जायगा।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि चीड़ के वनों के, चाहे उनमें सीधे रेशेवाले पेड़ हों या पेंचदार, परिपक्व हो जाने पर उनमें फिर पेड़ लगाना आवश्यक होता है। और दोनों दशाओं में फिर से पेड़ लगाने की परिपाटी एक समान होती है। वन वर्द्धन करने के उद्देश्य से जब पेड़ काटे जाते हैं तो कुछ थोड़े से पेड़ों को छोड़कर जो बीज के लिये आवश्यक होते हैं, बाकी सभी पेड़ काट दिये जाते हैं। सीधे रेशेवाले पेड़ों के वनों में गिराये जाने वाले पेड़ों को बेच दिया जाता है और उनकी इमारती लकड़ी बनाई जाती है, किन्तु पेंचदार चीड़ के वनों में, वहां के पेड़ों को काटकर जला देना पड़ता है। जब तक कि इस लकड़ी में कम पेंच होने के कारण उसकी घटिया किस्म की इमारती लकड़ी न बनाई जा सकती हो अथवा उसका उपयोग शहरों के नजदीक जलानें की लकड़ी के रूप में न किया जा सकता हो। सुगम क्षेत्रों में, चीड़ के सभी वनों में पेड़ों से लीसा निकाला जाता है, चाहे वह सीधे रेशे वाले हों या पेंचदार। वन काटने का समय वन व्यवस्था के निहित सिद्धान्तों के अनुसार केवल वनों के परिपक्व हो जाने के आधार पर ही निश्चित किया जाता है।

[श्री अलगूराय शास्त्री]

इस प्रकार सरकार के लिये उपर्युक्त मत पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं था। सरकार ने इस विषय पर वन, उद्योग और वित्त विभागों में बड़ी सावधानी से विचार किया और काफी समय तक विचार करने के बाद उसने सितम्बर, १९५६ में निम्नलिखित के संबंध में स्वीकृति दी :—

(१) बढ़े परिमाण में कागज की लुगदी से पूर्व, प्राविधिक विशिष्ट विवरण (technical specification) आदि तैयार करने के उद्देश्य से, स्टार पेपर मिल्स को अपेक्षित प्रयोग करने में समर्थ बनाने के हेतु १ आना प्रति घन फुट (सुगमांक) की रायल्टी का भुगतान करने पर २ लाख घन फुट पेंचदार चीड़ का दिया जाना।

(२) निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन पहले पहल १० वर्ष तक, प्रति वर्ष ३२,००० टन तक पेंचदार चीड़ के पट्टे का दिया जाना।

(क) पहले पांच वर्षों में मिल्स एक आना प्रति घनफुट रायल्टी तथा १ आना प्रति घनफुट फिर से पेड़ लगाने के व्यय (regeneration cost) का भुगतान करेंगे।

(ख) बाद के पांच वर्षों में वे २ आने प्रति घन फुट रायल्टी और १ आना प्रति घन फुट फिर से पेड़ लगाने के व्यय (regeneration cost) का भुगतान करेंगे।

इस संबंध में यह फिर उल्लेख किया जा सकता है कि यह सब एक ऐसी उपज के विषय में किया गया है जिसके लिये बाजार में बिलकुल भी मांग नहीं थी और इसलिये उसका कोई मूल्य नहीं था। मई, १९५८ में यह भी निश्चित किया गया कि "पूर्वोक्त १० वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अगले २० वर्षों की दरें प्रत्येक ५ वर्षों के लिये फैक्ट्री तथा सरकार के पारस्परिक समझौते द्वारा निश्चित की जायेंगी।"

ऐसा करने का अभिप्राय यह था कि इस सार्वजनिक सम्पत्ति के लिये बचाव की पूरी व्यवस्था की जा सके। इस प्रकार सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह इस तरह मूल्य नियत करे जो कि समय-समय पर उपज के बदलते रहने वाले मूल्य तथा बाजार मूल्य के समानरूप हो।

उपर्युक्त निश्चयों के अनुसार उक्त फैक्ट्री को, अब तक कुल ६,३२,३२८ घन फुट लकड़ी दी गई है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त पक्ष को पेंचदार चीड़ के क्षेत्रों से उपर्युक्त लकड़ी पेड़ों के रूप में नहीं किन्तु पहले नीलाम पर दिये गये इन क्षेत्रों से वाणिज्य सम्बन्धी लकड़ी आदि यदि कोई हो निकाल लिये जाने के बाद बची खुची लकड़ी में से दी गई। उक्त फैक्ट्री के लकड़ी प्राप्त करने के पूर्व स्थानीय लोगों की आवश्यकतायें भी पूर्णतया पूरी कर दी गईं। जैसा कि पहले बताया गया है, इस फैक्ट्री को २० लाख घन फुट से अधिक इस कच्ची सामग्री की वार्षिक आवश्यकता होती है। इसे देखते हुये माननीय सदस्यों को यह विदित होगा कि इस फैक्ट्री को ६,३२,३२८ घन फुट लकड़ी प्राप्त हुई जिसमें फैक्ट्री द्वारा विभिन्न प्राविधिक प्रयोगों के लिये अपेक्षित लकड़ी भी शामिल है। यह बात माननी पड़ेगी कि वनों से लकड़ी काटने और उसे फैक्ट्री स्थल तक पहुंचाने में काफी समय लग जाता है। अतएव निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिये फैक्ट्री के पास कच्ची सामग्री का पर्याप्त स्टाक होना आवश्यक है। इसके बाद मिल चालू रखने के लिये सप्लाई बराबर बनाये रखना आवश्यक होगा।

स्टार पेपर मिल्स ने उठाई गई एक लाख घन फुट चीड़ की लकड़ी के लिये १ आना प्रति घनफुट की दर से और शेष के लिये २ आना प्रति घनफुट की दर से पहले ही भुगतान कर दिया है। किन्तु दीर्घकालिक व्यवस्था के लिये विभिन्न कारणों से करार के प्रालेख को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

इस मिल द्वारा लकड़ी उठाने की प्रणाली यह है कि लकड़ी के कुन्दे मजदूरों या खच्चरों द्वारा मोटर सड़क के किनारे लाये जाते हैं, वहां से ट्रकों द्वारा रामनगर को और तब रेल से सहारनपुर को ले जाये जाते हैं। वनों से रामनगर को लकड़ी के निर्यात करने तथा लकड़ी के रामनगर पहुंचने पर वन विभाग द्वारा उस पर समुचित नियंत्रण रखा गया है और रखा जायगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित विषयों के संबंध में सदन के सदस्यों को कुछ आशंका तथा गलतफहमी है—

(क) उक्त मिल को पेंचदार चीड़ की लकड़ी सप्लाई करने से निकटवर्ती गांवों में जलाने की लकड़ी की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) मिल उक्त उपज को इमारती लकड़ी के रूप में बेच रही है।

(ग) लकड़ी बहुत सस्ती दरों पर सप्लाई की गई है।

(घ) पेंचदार चीड़ की लकड़ी के उपयोग के लिये अभी कोई मशीनरी स्थापित नहीं की गई है और कागज नहीं बनाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है :

(क) उक्त मिल को पेंचदार चीड़ की लकड़ी की सप्लाई करने से स्थानीय लोगों को जलाने की लकड़ी की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, बिलकुल गलत है। मिल को केवल वही लकड़ी दी गई है जो गांव वालों की जलाने की लकड़ी की वास्तविक आवश्यकता से अधिक होती है और जो सामान्यता विभाग द्वारा जला दी जाती है और जिससे सरकार को न कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती बल्कि इस लकड़ी को जलाने में सरकार का काफी व्यय भी हो जाता है। अब तक जलाने की लकड़ी की जो सप्लाई नाग वाटर वर्क्स, रानीखेत और अल्मोड़ा नगरों को की जा रही है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह सुनिश्चित किया गया है कि काटी गई लकड़ी के ढेरों में से स्टार पेपर मिल द्वारा पेंचदार चीड़ की लकड़ी को हटाने से भविष्य में भी किसी भी प्रकार से उन विशेषाधिकारों तथा रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन का लाभ कुमायूं के लोगों ने अब तक उठाया है और फैक्ट्री के साथ किये जाने वाले प्रस्तावित इकरारनामें में इस आशय का एक विशेष खंड मौजूद है। जहां तक फैक्ट्री का सम्बन्ध है वह जनता के विशेषाधिकारों तथा रियायतों को सुनिश्चित करने के लिये असंदिग्ध रूप से सहमत हो गई है। इस प्रकार मिल को की जाने वाली सप्लाई से स्थानीय सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और साथ ही लगातार आमदनी होने के अलावा इस प्रकार की सामग्री के निस्तारण (डिस्पोजल) पर होने वाले कुछ व्यय की भी बचत हुई है। यदि इस अधिक उपज का औद्योगिक उपयोग न किया जाय जो कि विज्ञान तथा शोध से सम्भव हो गया है तो अधिक आवश्यक कच्चे माल की बरबादी होगी।

(ख) मिल उक्त उपज को इमारती लकड़ी के रूप में बेच रही है।

इस आरोप की कई अवसरों पर बड़ी सावधानी से जांच की गई और यह मालूम हुआ है कि इस आरोप का कोई विश्वसनीय आधार नहीं है। जो शिकायतें प्राप्त हुईं उनकी जांच विभाग द्वारा तथा जिला मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर के जरिये भी यथोचित रूप से कराई गई और वन उपज के दुरुपयोग का कथित आरोप निराधार पाया गया। इसकी बहुत कम सम्भावना है कि मिल बहुत कम परिमाण में उपलब्ध इमारती लकड़ी का, यदि ऐसी कोई लकड़ी हो, दुरुपयोग करेगी और उसे बेचेगी और इस प्रकार फैक्ट्री के संयम पर ३ करोड़ से अधिक रुपये लगाने के पश्चात् सरकार की नजरों में गिर जाने का जोखिम उठायेगी। प्रस्तावित इकरार-नामे में उपर्युक्त खंडों की व्यवस्था करके लकड़ी के दुरुपयोग की सम्भावना का और निराकरण हो गया है।

[श्री अलगूर य शास्त्री]

(ग) लकड़ी बहुत सस्ती दरों पर सप्लाई की गई है---

जैसा कि पहले बताया जा चुका है वनों के परिपक्व (मैच्योर) हो जाने पर पेड़ों को काटकर उनकी जगह नये पेड़ लगाने के फलस्वरूप पैंचदार चीड़ की लकड़ी को स्टार पेपर मिल के हाथ बेचने से पूर्व उससे सामान्यतया कोई लाभ नहीं था। इस प्रकार की लकड़ी का अब तक एक-मात्र उपयोग अल्मोड़ा नगर तथा नाग वाटर वर्क्स, रानीखेत को ईंधन सप्लाई के रूप में किया गया है, किन्तु इससे जो रायल्टी मिलती है वह स्टार पेपर मिल्स से ली गई रायल्टी की अपेक्षा बहुत कम है। उदाहरणार्थ अल्मोड़ा में ईंधन की बिक्री से प्रति मन लगभग ३ नया पैसा रायल्टी प्राप्त होती है और नैनीताल में यह रायल्टी प्रति मन ६ नया पैसा है। जब कि स्टार पेपर मिल्स से १ लाख घनफुट के लिये ली गई रायल्टी प्रति मन १२ नया पैसा होती है और बाद में हटाई गई लकड़ी के लिये यह रायल्टी प्रति मन २५ नया पैसा होती है। यह उल्लेखनीय होगा कि इस कच्चे माल का उपयोग करना केवल उसी पक्ष (पार्टी) द्वारा सम्भव है जो कि इतनी बड़ी धनराशि अर्थात् ३ करोड़ रुपये लगाने के लिये तैयार हो। ऐसे पक्ष (पार्टीज) बहुत ही कम हैं और हमारे लिये यह बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा एक पक्ष (पार्टी) मिल गया।

(घ) पैंचदार चीड़ की लकड़ी के उपयोग के लिये अभी कोई मशीनरी स्थापित नहीं की गई है और कागज नहीं बनाया जा रहा है।

वस्तु स्थिति यह है कि फैक्टरी में अब कागज बनाने के लिये पूर्णतया मशीनें लग गई हैं और इसलिये उसे यथासम्भव शीघ्र आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है। फैक्टरी में पूर्ण रूप से उत्पादन कार्य आरम्भ न होने का एकमात्र कारण यह है कि दीर्घकालीन इकरारनामे को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में समझौता वार्ता चल रही है जिसके कारण अभी तक फैक्टरी को अपेक्षित सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है।

उपर्युक्त तथ्यों से सिद्ध होगा कि स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड के साथ पैंचदार चीड़ की लकड़ी के सौदे के सम्बन्ध में कोई अनुचित या अविवेकपूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है। वस्तुतः इस सौदे से हम ऐसे कच्चे माल का उपयोग कर सकेंगे जिसे अब तक जला देना पड़ता था। इस सामग्री को इस ढंग से उपयोग करने से ईंधन आदि की स्थानीय आवश्यकताओं पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ा है। इसके विपरीत इस सौदे के फलस्वरूप स्थानीय जनता को और अधिक रोजगार मिलेगा। पैंचदार चीड़ की लकड़ी को काटने तथा नये पेड़ लगाने से अन्ततः लीसा सम्बन्धी क्रियाओं में भी सहायता मिलेगी, जो कि उक्त क्षेत्र की जनता के लिये नितांत आवश्यक है। संक्षेप में उक्त सौदा सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के लिये हर प्रकार से लाभप्रद सिद्ध होगा और उससे राज्य के एक महत्वपूर्ण उद्योग का प्रसार होगा और देश में कागज की कमी दूर हो जायेगी और इसके फलस्वरूप बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी। मशीनरी के आयात करने में जो विदेशी मुद्रा तथा आयात सम्बन्धी जो कठिनाइयां सामने आईं, उन्हें भारत सरकार द्वारा जो कि देश के लिये इस उद्योग के मूल्य से पूर्णतया परिचित है, दी गई सहायता से पहले ही दूर किया जा चुका है। मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है कि इस वक्तव्य के पश्चात् सदन का प्रत्येक वर्ग राज्य सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण उद्योग के प्रसार के सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों का एक मत से स्वागत करेगा जो स्थानीय जनता की आवश्यकताओं पर किसी भी प्रकार से प्रभाव डाले बिना किया गया है और जिससे उस बेकार लकड़ी का उपयोग किया गया है जो वनों में नष्ट हो जाती थी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मंत्री जी बतायेंगे कि उनको मेरे क्वेश्चनर की कापी मिली थी? यदि हां, तो मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया गया?

श्री अध्यक्ष---कौन से सवाल के बारे में आप पूछ रहे हैं वह बतायें।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---श्रीमन्, दो प्रतिलिपियां, एक आपके पास और दूसरी मंत्री जी के पास भजी थीं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—इससे पहले कि मंत्री जी जवाब दें श्रीमन्, एक बात पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—माननीय गोविन्द सिंह जी, आप पहले पूछें, किसके बारे में आप सूचना चाहते हैं ?

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या यह सही है कि नाग वाटर का जो कम्पार्टमेन्ट विसर का बताया गया है उसके स्लैश का नीलाम किया गया और ८ आने से १२ आने क्यूबिक फिट दाम मिले ?

श्री अध्यक्ष—उसका जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं किया ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—किसी स्टेटमेन्ट में नहीं आया ।

श्री अलगूराय शास्त्री—इसमें हमने यह किया है कि जो स्लैश की लकड़ी नाग वाटर वर्क्स के लिये दी जा रही है या और जगह भेजी जाती है उसकी अपेक्षा वही लकड़ी इस पेपर मिल को देने में हमको अधिक आय हुई है । उस लकड़ी का और कोई उपयोग नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—आप अपना प्रश्न स्पष्ट करें ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—वहां का स्लैश ऐक्चुअली नीलाम हुआ है और ८ आने से १२ आने तक दाम मिले हैं किसी साल ?

श्री अध्यक्ष—आप समय बताइये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—आज से ३,४ साल पहले की बात है जब कि श्री तिवारी वहां डी० एफ० ओ० थे ।

श्री अलगूराय शास्त्री—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है । नाग वाटर वर्क्स को अल्मोड़ा, नैनीताल का स्लैश बेचने से तीन नये पैसे मन और ६ नये पैसे मन मिलता है और स्टार पेपर मिल से १२ और २५ नये पैसे मन मिलता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जो वक्तव्य है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कुमायूं के जो हक हकूक की लकड़ी दी जाती है उसका भी मंत्री जी ने कृपा कर उल्लेख कर दिया है और यह प्रश्न बहुत दिनों से आ भी रहा है । तो मैं चाहूंगा कि नियम १०६ के अनुसार, जो मैंने लिख कर सचिव को भेज दिया है, इसमें आप विवाद के लिये अनुमति दे दें । मैंने उक्त नियम, डिस्कशन आन ए मैटर आफ पब्लिक इंटरेस्ट बाई मोशन, के अधीन लिख कर सचिव को भेज दिया है । क्योंकि इसमें बहुत प्रश्न निहित हैं ।

श्री अध्यक्ष—वह तो है । लेकिन अभी जो भाषण दिया है उसके ऊपर प्रश्नों का समय है । आपने जो मुझे बहस के लिये लिखा है उस सम्बन्ध में आपको मुझे लिखित भेजना पड़ेगा । इस वक्त तो उस पर फैसला दूंगा नहीं । आप इसके ऊपर प्रश्न करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि स्टार पेपर मिल को लकड़ी दिये जाने के पहले गांव वालों की आवश्यकता से कितनी अधिक पैंचदार लकड़ी प्रति वर्ष बेची जाती थी और प्रति वर्ष कितनी लकड़ी वन विभाग जलाता था ?

श्री अलगूराय शास्त्री—दुर्भाग्य से यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री प्रताप सिंह—मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब से स्टार पेपर मिल को ट्वस्टेड चीड़ जाने लगा तभी से कुमायूं के पर्वतीय जिलों में कोयले की भारी कमी हो गई और

[श्री अलगूराय शास्त्री]

सरकार को १ रुपया दाम बढ़ाना पड़ा ? यदि हां, तो भविष्य का जो समझौता हो रहा है यह बात ध्यान में रखी जायेगी कि अब वहां के लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है अतः उसको सरकार पूरा करने की कृपा करेगी ?

श्री अलगूराय शास्त्री---यह वक्तव्य में कहा गया और मैं वैसे भी घोषित करता हूं कि जनता की स्थानिक आवश्यकता से बची हुई लकड़ी जो दूसरे उपयोग में नहीं आती लेकिन पेपर के लिये बहुत उपयोगी होती है वही इस्तेमाल होगी। जनता को कोयले या लकड़ी के लिये स्टार्व करके इस मिल का पालन नहीं होगा। नीति यह है कि गरीब का पालन करना होगा अमीर की कास्ट पर और अमीर को जिला कर गरीब को मारने की हमारी नीति नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---५६ में दो लाख घन फुट लकड़ी एक्सपेरीमेन्टल बेसिस के लिये दी गयी थी, फिर ३२ हजार क्युबिक फुट सालाना देने की बात थी और इस तरह से चार साल में ३ लाख ३८ हजार क्युबिक फुट लकड़ी देनी चाहिये थी लेकिन यह ६ लाख घन फुट लकड़ी क्यों दी गयी और एग्रीमेंट होने के पूर्व ही क्यों दी गयी ?

श्री अलगूराय शास्त्री---फैक्टरी के इस आधार पर कि उसको माल पेपर के लिये गवर्नमेन्ट से मिलेगा ३ करोड़ की लागत लगा कर एक फैक्टरी बनाई और एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर उसको २ लाख घनफुट लकड़ी देना तय हो गया एक आने की दर पर। फिर कच्चा माल उठाने में तथा ले जाने के बाद कच्चा माल पर्याप्त न हो और फिर चार महीने तक का भी सामान न हो जिससे पेपर बन सके तो कोई पार्टी यह रिस्क नहीं ले सकती। इसलिये सरकार ने सब्सीक्वेंट जी०ओ० के जरिये तय किया कि उसको लकड़ी दी जाय। केवल १ लाख घन फुट लकड़ी एक आने घन फुट में दी गयी और उसके बाद वाली लकड़ी दो आने घनफुट में दी गयी। इसलिये कोई क्षति नहीं हुई है सरकार की।

श्री अध्यक्ष---सवाल यह है कि वहां पर कागज तो बन नहीं रहा है। फिर कागज बनाने में लकड़ी की कमी हो रही है यह प्रश्न तो उठता ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में कंपनी को काफी लकड़ी मिलनी चाहिये यह तब प्रश्न हो जब कागज बनना शुरू हो। इसलिये वह पूछते हैं कि फिर ६ लाख घन फुट लकड़ी कंपनी को देने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री अलगूराय शास्त्री---श्रीमन्, जैसा निवेदन किया वह सप्लाई का ब्रेक अप न हो इस भय के मारे थोड़ा स्टाक फैक्टरी में रख लेना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---क्या स्टाक उनका सब वहां मौजूद है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---स्टाक रहना चाहिये। क्योंकि वह स्टाक चार महीने भी चलने वाला नहीं है इसलिये कोई फैक्टरी ३ करोड़ रुपया लगा कर आगे के लिये रिस्क नहीं लेना चाहती कि उसे रुकना पड़े। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा इकरार-नामा आगे के लिये है वह इन्हीं दिक्कतों की वजह से है और जो उनकी सप्लाई की डिमांड है वह पूरी नहीं हो पाती। क्योंकि ३२ हजार क्यूबिक फुट अगर हम प्रति वर्ष दे सकें तब वह इस फैक्टरी को चालू रख सकते हैं। सरकार के सामने भी यह विचार है कि आया हम इस हद तक सप्लाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। वह सारा प्रश्न विचाराधीन हो गया है। लेकिन चूंकि फैक्टरी को यह काम करना था, हमको पूरी सामग्री को इस्तेमाल करना था। इसलिये जो डिमांड थी कम से कम सप्लाई की उसे हमें पूरा करना है उस फैक्टरी की लागत को देख कर और हमारे लिये यह आवश्यक था कि यह स्लेश (slash) सप्लाई कर दिया जाय जो दूसरे काम में नहीं आ सकता था। प्रश्न हमारे सामने यह था कि या तो हम उसे राख कर देते या पेपर जो कल बनेगा उसको उपयोग के लिये सुरक्षित रख देते।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को उस गुप्त समझौते का पता है जिसके द्वारा मिल के मालिक तथा विभाग से समझौता हुआ कि मिल खड़ी होने के पूर्व ही उनको इतनी लकड़ी दे दी जायगी ताकि उस लकड़ी को मिल आम बाजार में बेचे और उसके मुनाफे से बाद में मिल खड़ी करे ?

श्री अलगूराय शास्त्री---उन्होंने बाजार में लकड़ी नहीं बेची है इसकी कड़ी जांच करा ली गयी है और इसका उल्लेख मैंने अपने वक्तव्य में कर दिया है। मगर जैसा वक्तव्य में कहा गया है, जो कच्चा माल इस तरह व्यर्थ जाता था और जिसके जलाने से हमको अलग व्यय....

श्री अध्यक्ष---यह सवाल उनका नहीं है। उनका तो चार्ज यह है कि लकड़ी बेच डाली गयी ।

श्री अलगूराय शास्त्री---अगर आपकी राय में यह संदेह हो....

श्री अध्यक्ष---मुझे कोई संदेह वन्देह नहीं है। उनका स्पष्ट कथन है।

श्री अलगूराय शास्त्री---और जांच कराने की आवश्यकता हो तो करा ली जाय, मगर मैं कन्विन्स्ड हूं कि उन्होंने बेची नहीं है।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---क्या सरकार को इस बात का संतोष है कि जिस मात्रा में लकड़ी उनको दी गयी वह आज भी उनके स्टाक में मौजूद है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---मेरा अनुमान है कि होगी जब लकड़ी उनको दी गयी है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---इस प्रकार की जो चीड़ की लकड़ी होती है वह साल भर के बाद पानी में पड़ी रहने से सड़ कर नष्ट हो जाती है और पेपर बनाने के लायक नहीं रहती है। ऐसी एक्सपर्ट्स की राय है। तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाग के द्वारा उन्होंने निश्चित जांच करवा ली है कि उनके यहां वह लकड़ी मौजूद है या उन्होंने वह बेंच दी ? कैटेगोरिकल ऐन्सर दीजियेगा ।

श्री अलगूराय शास्त्री---कैटोगोरिकल ऐन्सर तो यही दे सकता हूं कि इतनी लकड़ी उनको दी गयी है और उन्होंने बेची नहीं है तो निस्संदेह उनके पास स्टाक में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस लकड़ी से उसके सूख जाने के कारण कागज बनाने के लिये जो पल्प बनाया जाता है वह बन ही नहीं सकता ?

श्री अलगूराय शास्त्री---मैं इस सम्बन्ध में कोई एक्सपर्ट ओपीनियन नहीं दे सकता हूं।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि स्टार पेपर मिल ने जिस कागज को बनाने के लिये लकड़ी मांगी थी वह नहीं बनाया है और माननीय मंत्री जी के पास वन तत्व शोधक समिति ने यह सिफारिश की है कि कुमायूं में इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के लिये यह आवश्यक है कि टनकपुर में एक कागज बनाने की फैक्टरी लगायी जाय और जिस माल को मंत्री जी कहते हैं कि बरबाद चला जायगा जिसको वह इस्तेमाल में ले आयंगे, तो भविष्य के लिये जो एकरारनामा स्टार पेपर मिल से सरकार करने जा रही है उसको रद्द करेगी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो सुझाव है, मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री ब्रज भूषण शरण (जिला देहरादून)---क्या यह सही नहीं है कि स्टार पेपर मिल अभी भी २५ टन कागज रोज बना रही है और अपनी कैपेसिटी को उन्होंने तिगुना कर लिया है और दो महीने के अन्दर अन्दर बढ़ी हुई कैपेसिटी के मुताबिक प्रोडक्शन होने वाला है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इसका मुझे पता नहीं था मगर मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि ऐसा हो रहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—पहले तो माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि दो लाख घन फुट लकड़ी एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर दी गयी और मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार अभी मशीनरी वहां प्लान्ट की जा रही है, कागज अभी नहीं बन रहा है, फिर भी सरकार ने क्यों ६ लाख घनफुट लकड़ी उनको दी और जब यह आरोप लगाया गया कि वह लकड़ी उन्होंने बेंच डाली तो अपना वक्तव्य देने के पूर्व माननीय मंत्री जी ने इसकी जांच क्यों नहीं करायी कि वह लकड़ी वहां है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहस कर रहे हैं । मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । जांच के बारे में तो यह स्पष्ट मालूम हुआ है कि उन्होंने खासतौर पर इसकी जांच ही नहीं की कि लकड़ी अभी स्टाक में मौजूद है या नहीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, तो मैं दूसरा प्रश्न यह करता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करा के वक्तव्य देने की कृपा करेंगे कि जितनी लकड़ी उस मिल को दी गयी वह अभी उनके पास है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—वक्तव्य तो नहीं देंगे । आप प्रश्न करें तो उत्तर देंगे ।

श्री अलगूराय शास्त्री—हमारे लिये अब जांच कराने की बिलकुल जरूरत नहीं है । जितनी जांच कर सकते थे वह कर चुके ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी इसकी भी जांच करायेंगे कि जो ६ लाख घन फुट लकड़ी उन्हें पहले दी गयी उसका उन्होंने कितना कागज बनाया है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—श्रीमन्, मैंने कहा कि अब इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—श्रीमन्, जो क्वेश्चनेयर दिया था उसके उत्तर को आदरणीय सदन में बंटवा दें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष—मैं उसको देखूंगा । आप स्टेटमेंट के लिये कह रहे हैं ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—यह स्टेटमेंट ही बंटवा दें ।

श्री अध्यक्ष—(वन मंत्री जी से) आप स्टेटमेंट बंटवा देंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—अगर आपकी आज्ञा होगी तो बंटवा देंगे ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, यह बात निश्चित हो गई कि वक्तव्य हम लोगों को मिल जायगा ।

श्री अध्यक्ष—जी हां ।

९ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का शोधन

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्म सिंह)—अध्यक्ष महोदय, दिनांक ९ सितम्बर, १९५९ को श्री शीतला प्रसाद सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९ के सम्बन्ध में सर्वश्री शीतलाप्रसाद सिंह तथा कुंवर श्रीपाल सिंह ने अनुपूरक प्रश्न पूछे थे कि—

(१) क्या स्वशासन मंत्री को पता है कि उक्त पुल तथा सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि धारा १४८ के अन्तर्गत उक्त पुल का नीलाम करना वैधानिक है ?

(२) माननीय सदस्य ने अभी जो सूचना दी कि यह पी०डब्लू०डी० के अन्दर आ गई है सड़क, तो क्या वह पुल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है ?

उस समय सदन में उत्तर दिये गये थे कि—

(१) यह पुल तो जिला बोर्ड का है और जिला बोर्ड को अधिकार है कि उसका नीलाम करे ।

(२) पुल तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है ।

उक्त उत्तर ठीक नहीं थे जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है —

(१) जी हां, पुल तथा सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आ गई हैं किन्तु फिर भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९२२ की धारा १४८ के अनुसार अन्तरिम जिला परिषद् को पुल पर पथ-कर लगाने का अधिकार है अतः परिषद् पुल का नीलाम कर सकती है ।

(२) पुल तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का है ।

(मूल प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४९ पर)

*कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १३१ की ओर दिलाना चाहता हूं । यह जो संशोधन विधेयक आया है, यह कोर्ट के फैसले के आधार पर लाया गया है, इसलिये मैं चाहूंगा कि उसकी कापी पहले हम लोगों को मिल जाय । इसके बाद हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैंने पहले कहा था कि सदन कब तक चलेगा इसकी घोषणा हो जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—कार्यक्रम तो दो दिन का है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जब मैं आया तो चर्चा थी कि होली के बाद १२ मार्च को सदन बैठेगा, तो इसके बारे में कोई फैसला हुआ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—इस सप्ताह का तो आपको मालूम है, अब आप कुछ चर्चा के बारे में सूचना चाहते हैं ?

श्री प्रताप सिंह—श्रीमन्, वैधानिक प्रश्न के बीच में दूसरा प्रश्न कैसे उठ गया ?

श्री अध्यक्ष—यह वैधानिक प्रश्न नहीं है । पहले इसकी सूचना मिल जाय । क्या यह फैसला हुआ है कि होली के बाद १२ मार्च को बैठेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी, हरगिज नहीं ।

श्री अध्यक्ष—कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

(श्री प्रताप सिंह से) यह कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है । यह तो आपके नियमों में दिया हुआ है कि जब विचार के लिये विधेयक उपस्थित हो तो जिस कारण से विधेयक सामने लाया जाता है तो उसको तथा कागजात को सदस्य मांग सकते हैं । इसमें वैधानिक कोई बात नहीं है । आपका हक स्पष्ट नियमों में दिया है ।

---

*१७ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही में छापा गया ।

श्री प्रताप सिंह---श्रीमन्, मैंने यह कहा कि कागजात दिये नहीं और यह कैसे आ गया ?

श्री अध्यक्ष---आप मांग सकते हैं। आप यह कहें कि आप कागजात चाहते हैं। लेकिन यह कहना कि कागजात मेज पर रखने के पेश्तर मंत्री जी विधेयक नहीं ला सकते हैं, ठीक नहीं है।

श्री प्रताप सिंह--यह नहीं कहा कि ला नहीं सकते हैं बल्कि यह कहा कि वह कागजात दे दें तो हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें।

श्री अध्यक्ष---(वित्त मंत्री से) जो फैसला हुआ है आपके पास मौजूद है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, फैसला इस समय देना है ?

श्री अध्यक्ष---हर एक आदमी को देने को नहीं है। सदन की टेबिल पर आप रख सकते हैं।

श्री रामस्वरूप यादव---आल इंडिया रिपोर्टर में रिपोर्टेड है।

श्री अध्यक्ष---वह आप टेबिल पर रख दीजिये।

श्री मोती लाल अवस्थी (जिला कानपुर)---यह जो डाकूमेंट रखने की बात है इस संबंध में कई दफा एतराज किये जा चुके हैं लेकिन हमेशा वैधानिक आपत्ति उठाने पर या आपका ध्यान आकृष्ट करने पर ही दिलाये जाते हैं, बजाय इसके कि पहले से रखे रहें और हम उनको पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष---नियम यह है---"विधेयक से संबद्ध पत्र मांगने की शक्ति विधेयक के पुरः स्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेगा कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हो, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं"। यानी इंट्रोडक्शन के बाद यह चीज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद तो आपने फैसला मांगा नहीं और आप इस वक्त जब कि विचार के लिये विधेयक उपस्थित हुआ है जब विधेयक कंसीडरेशन के स्टेज पर है, तब आप काम को रोक नहीं सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इंट्रोडक्शन के बाद जब विचार करेंगे तभी तो आवश्यकता पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष---पहले नियम यही था कि जब विचार के लिये विधेयक आवे तो सदस्य कागजात मांग सकते थे। लेकिन नियमों में सुधार इस कारण हुआ कि यदि विचार के वक्त कागजात मांगे जायेंगे तो काम में रुकावट पड़ जायगी। इसलिये सदस्यों को यह अधिकार पहले ही होना चाहिये, जिस वक्त इंट्रोड्यूस हो उसी वक्त कागजात मांग लें तो विचार के समय उनका प्रयोग वे कर सकें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---पहले दिन हम मांग चुके हैं। उस समय चाहे कोई और चेयर पर रहा हो, लेकिन मांग चुके हैं, प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, आल इंडिया रिपोर्टर सब के पास होता है।

श्री अध्यक्ष---कृपा करके आप उसको भेज दें। आल इंडिया रिपोर्टर हर एक के पास नहीं होता है, उसे टेबिल पर रख दें।

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, विभिन्न प्रकार के जो लेखपत्र अदालत में पेश किये जाते हैं, उन पर न्यायालय शुल्क लिया जाता है। उनके बढ़ाने के लिये समय-समय पर कोर्ट फीस ऐक्ट में संशोधन हुये हैं। ये संशोधन १९४८, १९५२ और १९५८ में किये गये हैं। इन

संशोधनों के फलस्वरूप ऐसे सभी लेखपत्रों पर जिन पर न्यायालय शुल्क लिया जाता है बढ़े हुए न्यायालय शुल्क देय हो गया। उनके अन्तर्गत अपीलें भी आती हैं यदि वे इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात् अदालत में दाखिल किये जाते हैं, जो पुराने मुकदमें हो जाते हैं, उनमें अपील न्यायालय में जिस वक्त पेश किया जाय, उस समय जो दरें लागू होती हैं, उनका प्राविधान इस समय तक उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस ऐक्ट में था इसी बीच में बम्बई राज्य का एक मुकदमा बम्बई स्टेट बनाम एस०जी० फिल्म्स एक्सचेंज, लिमिटेड सर्वोच्च न्यायालय में गया। करीब-करीब ऐसा ही विषय वहां था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अपील जो है वह मूल मुकदमें का एक क्रम होता है और अपील में वही शुल्क लिया जा सकता है जो कि उस वक्त लिया जाता था जब कि मूल मुकदमा दायर किया गया हो। इस फैसले का असर हमारे ऊपर भी पड़ा। इस फैसले का यह प्रभाव हुआ कि बहुत-सी ऐसी अपीलों में जिसमें कि अधिनियम के अनुसार शुल्क लिया जा चुका है उनकी वापसी का प्रश्न भी उठ सकता है। साथ ही में इसके बाद में बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं। उनकी अब अपीलें आवेंगी। उन पर भी अब असर पड़ेगा। उस कठिनाई को दूर करने के लिये क्योंकि सदन की बैठक नहीं हो रही थी श्रीमन्, एक आर्डिनेंस लाया गया, आर्डिनेंस के छः सप्ताह के अन्दर यह आवश्यक था कि दूसरा विधेयक लाया जाय जो अधिनियम बन सके। ऐसी स्थिति में यह विधेयक इस विषय के बारे में लाया जा रहा है कि जो कुछ भी शुल्क पहले वसूल कर लिया गया है उसकी पुष्टि हो जावे। साथ-साथ जो भी अपीलों के ऊपर शुल्क लिया जावे वह जैसा कि पहले का क्रम था कि जिस समय जो अपील दायर की जाय उस समय जो शुल्क लागू हो वह लिया जाय, उसको मान्यता दी जाय। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना यह भी विचार प्रकट किया कि जब तक कि इस बात के बारे में कोई विशेष धारा न हो तब तक यही माना जायगा कि जो ओरिजिनल सूट के दायर करते वक्त शुल्क लिया जा सकता था वही अपील में भी लिया जायगा। इस संशोधन को लाना इस वजह से आवश्यक था कि यदि यह न लाया जाता तो बहुत बड़ा असर यह जो शुल्क वसूल किया जाता है उसके ऊपर पड़ता।

साथ ही साथ श्रीमन्, कुछ दोष और भी थे जिनमें एक ऐसा था कि जिसमें अनुसूची २ के अनुच्छेद १० के प्रथम स्तम्भ में एटार्नी और प्लीडर शब्द नहीं लिखा हुआ था जिसके फलस्वरूप ऐडवोकेट्स से तो शुल्क ले लिया जाता था लेकिन प्लीडर या एटार्नी से शुल्क नहीं लिया जाता था। यह दोष ऐसा था जिसको दूर करना आवश्यक था। साथ ही साथ सन् ५८ में जब इस अधिनियम का संशोधन हुआ तो उस समय भी अनुच्छेद २१ (ए) कोर्ट फीस ऐक्ट की अनुसूची (२) में उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस अधिनियम ५८ द्वारा स्पेशल मैरिज ऐक्ट हिन्दू मैरिज ऐक्ट के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों पर शुल्क निर्धारित किया गया था, किन्तु इनकी अपीलों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था जिसके कारण जो मेमोरेंडम आफ अपील पेश किया जाता था उन पर शुल्क नहीं था, इस दोष को दूर करने के लिये श्रीमन्, इस विधेयक में एक धारा का जोड़ना आवश्यक था इस वजह से एक छोटा-सा विधेयक जिससे कि यह कठिनाइयां दूर हो जायं और साथ ही साथ जो दोष थे वह भी दूर हो जायं, सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि इस पर विचार किया जायगा और यह स्वीकार किया जायगा।

श्री प्रताप सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपर्युक्त विधेयक को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मुझे आज इस बात को देखते हुये बड़ा दुख होता है कि माननीय सी०बी० गुप्ता जी जो सम्मानित मुख्य मंत्री हैं एक ओर तो वह और उनकी सरकार यह कहती है कि हम इकोनामी लाना चाहते हैं लेकिन मैं आपके द्वारा इस ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करना

[श्री प्रतापसिंह]

चाहता हूं और चाहूंगा कि इस पर भी वह कोई चेक एंड बैलेंस इस्तेमाल करें कि यह संशोधन विधेयक यहां आर्डिनेंस के रूप में आया और इस पर पूरे दिन बहस हुई, हजारों रुपया खर्च हुआ। उन्हीं बातों को दोहराने के लिये हमें खड़ा होना पड़ता है। मैं यह चाहता हूं कि यह हजारों रुपया, जो एक दिन की बैठक पर खर्च करना पड़ता है, उन्हीं बातों को दोहराने में खर्च किया जाय क्या यही इकोनामी है? मैं चाहता हूं भविष्य में इसका खयाल रखा जाय।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो यह कोर्ट फीस का विधेयक हमारे सामने आ रहा है यह पहले १९१७ में पास हुआ था और तब से बराबर इसमें परिवर्तन यह सरकार करती रही है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि यह हमारा अधिकार है और जैसा मैंने कहा कि १३१ धारा के अनुसार हमको उस जजमेंट की कापी मिलनी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने भी उसको पूरा पढ़ा नहीं है।

श्री अध्यक्ष---वह टेबिल पर रखा दिया गया है। आप उसको देख सकते हैं।

श्री प्रताप सिंह---इस समय तो श्रीमन्, मैं बोल रहा हूं, देख नहीं सकता हूं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय इस प्रकार के प्रश्न उठें तो जो हमारा मंशा है उसको स्पष्ट करने के लिये सरकार को सदन के सामने आना चाहिये, उस संबंध में जो भी सामग्री की आवश्यकता हो वह सरकार को प्रस्तुत करनी चाहिये। तभी उसका कर्त्तव्य पूरा हो सकता है।

यह कोर्ट फीस अमेंडमेंट विधेयक जो आ रहा है, यह क्यों आ रहा है? सन् १९५८ के पहले अपील पर कोई फीस नहीं ली जाती थी। उस फीस को लगाने के लिये सन् ५८ में वह ऐक्ट बनाया गया था जिसको न्याय शाखा ने बतलाया कि वह कानूनी गलती है जो संविधान के खिलाफ पड़ती है। 'जुडिशियरी इज दि गार्जियन आफ कांस्टीट्यूशन' उस समय जनता के लिये सुविधा थी कि पूंजीपति या मिल मालिक के खिलाफ कोई मेमोरेंडम हाई कोर्ट में पेश करना चाहे तो वह कर सकता था और उस पर कोई कोर्ट फीस नहीं पड़ती थी। वह धारा १२६ के मुताबिक रिट कर सकती थी। आज उसको यह सरकार फिर बदलने की बात सोच रही है। मैं समझता यह था कि ४ साल के बाद यहां पर वेलफेयर स्टेट का रूप दिखाई देगा लेकिन यह पुलिस स्टेट होती जाती है और कोर्ट फीस में बढ़ोत्तरी यह सरकार करना चाहती है। एक तरफ तो यह सरकार कहती है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे और किसी भी नागरिक को न्याय शाखा तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये लेकिन इस प्रकार के संशोधन विधेयक सरकार लाती है तो सन्देह होने लगता है। मैं यह समझता हूं कि सरकार की यह गलती है कि एक कानून यहां से ५८ में पास किया गया और फिर वह हाई कोर्ट से जाकर रद्द हो गया। क्या, जो कानून विभाग में काम करने वाले लोग हैं वे तनख्वाह नहीं पाते हैं? इन कठिनाइयों को उनके नोटिस में लाना चाहिये जिससे उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो। मैं समझता हूं उनके लिये भी यह मजबूरी है। यहां पर रोज गवर्नमेंट बदलती है और रोज मंत्री बदलते हैं। उस स्टाफ के सामने भी कठिनाई आती है कि किसकी बात को सुना जाय और किसकी बात को न सुनें। मैं चाहता हूं सरकार उस तरफ ध्यान आकर्षित करे।

सरकार का कहना है कि फीस को उस समय इसलिये बढ़ाया गया था कि खर्चे में सन्तुलन आ सके और सरकार को कुछ आमदनी हो सके। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कोई टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी यहां पर बिठाई गई थी कि हमारे रेवेन्यू रिसोर्सेज क्या होने चाहिये? अगर इस प्रकार की कमेटी नहीं बैठी है तो फिर किस प्रकार से अन्दाजा आमदनी का लग सकता है। इस प्रकार से जनतंत्र भी कैसे चलेगा? श्रीमन्, आप भी कई कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और वे कमेटियां इसलिये बैठी हैं कि जिससे मालूम हो सके कि हमारी समस्याओं का समाधान किस सीमा तक हो सकता है। एक बार कोर्ट

फीस ऐक्ट पास हो चुका है और फिर दोबारा यहां पर आज यह लाया गया है। यदि आपके आशीर्वाद से हमको फिर चुनाव से यहां आने का अवसर मिला तो फिर इसमें संशोधन लाने का सरकार को मौका होगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि एक रिसोर्सेज कमेटी बनाई जाय जो यह मालूम करे कि किन चीजों पर टैक्स लगना चाहिये और किन चीजों पर नहीं लगना चाहिये। इसके लिये टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी सरकार बिठाये। वित्त विभाग से इसका संबंध है लेकिन कोई वित्त कमेटी भी नहीं है। हमें कोई उसका मेम्बर बनने का शौक नहीं है लेकिन हमें इस बात का शौक जरूर है कि हमारे यहां का काम कायदे और कानून के अनुसार चले। इसलिये मैं चाहता हूं कि वित्त कमेटी का निर्माण हो और साथ ही साथ एक रिसोर्सेज समिति का निर्माण हो।

अब मैं आपके सामने रिपोर्ट आन दि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ उत्तर प्रदेश, १९५६ के पेज २४९ से पढ़ना चाहता हूं इस में है:—

"The Stamps Department of the Board of Revenue, U, P,, continued to supervise the collection of revenue derived from Stamp Duties and Court-fees."

यह कहते हैं कि कोर्ट फीस से और ड्युटीज से जो पैसा लिया जाता है उसको यह विभाग वसूल करता है। किस तरह से :

"The revenue from stamps registered a slight increase from Rs. 2,84,39,933 in 1954-55 to Rs.2,90,31,193 in 1955-56. The expenditure on the Stamp Department during the year was Rs. 6,13,725."

यह १९५४–५५ में था। १९५५–५६ में हो गया २,९०,३१,१९३ रुपया। तो आमदनी करोड़ों में बढ़ती जा रही है और खर्चा नहीं है। इन वर्षों में खर्च है ६,१३,७२५ रुपया। तो क्या इस तरह के खर्च और आमदनी का अनुपात जिस राज्य में हो उसे क्या मंत्री जी गौरव के साथ कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं? मेमोरेंडम आफ अपील्स में फीस नहीं पड़ती थी इसलिये हम यह ले रहे हैं, यह बात क्या कल्याणकारी राज्य में शोभा की बात है? आप देखें कि पूज्य बापू ने इस संबंध में क्या कहा था और उन से गाइड हों।

दूसरी चीज यह है कि, आप कहेंगे कि बड़ी पुरानी रिपोर्ट निकाल दी, किन्तु इसमें एक ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ उत्तर प्रदेश की १९५७ की रिपोर्ट है। इसमें दिया है कि १९५६–५७ में स्टैम्प्स से आमदनी हुई २,९२,७८,-५२८ रुपये और १९५५–५६ में थी २,९०,३१,१९३ रुपये जब कि इस विभाग पर खर्च १९५६–५७ में हुआ ६,३२,५७७ रुपये। तो आप देखें कि खर्च नहीं बढ़ा रहा है, आमदनी बढ़ती जा रही है।

इसके बाद मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में तर्क के साथ बतायें कि उन्हें यह अमेंडमेंट बिल क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी? क्यों सदन का इतना समय और जनता का धन नष्ट किया गया? आज समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय के लिये अदालत में जाने की गुंजायश नहीं है। अदालत के फैसले के खिलाफ जाने का सरकार को अधिकार नहीं है और सरकार इसलिये यह बिल ला कर एक प्रकार से कंटेम्प्ट आफ कोर्ट कर रही है।

श्री अध्यक्ष—यह एक नयी चीज आप सुना रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह—जी हां। इसके लिये सरकार पर मेरा चार्ज है। यह चीज गलत है, नहीं होनी चाहिये। क्या दूसरे देशों में भी इस प्रकार की चीजें हुईं? अगर माननीय मंत्री जी यह कोर्ट फीस का बिल लाने के बजाय गरीब आदमियों के लिये लीगल एड का कोई प्रबन्ध करते, जैसा कि बंबई में हो रहा है अथवा दूसरे देशों में भी है तो वह कार्य उनका सराहनीय कहा जा सकता था। किन्तु आज वह कुछ नहीं हो रहा है। अमरीका का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां १७८० में ही इसके लिये एक कानून बना दिया गया था और

[श्री प्रताप सिंह]

उसमें यह कहा गया है कि हमारे यहां यदि किसी को न्याय बेचा या खरीदा जाय तो वह हमारे राष्ट्र की बेइज्जती की बात है। तनख्वाहें बढ़ाने की बात पर कह दिया जाता है कि हमारे पास साधन नहीं हैं, धन नहीं है। मैं कहता हूं कि इसी प्रकार कोर्ट फीस भी नामिनल होना चाहिये। जिसके लिये पहले ३ रुपया १२ आना देना पड़ता है उसके लिये अब १०० रुपया हो गया है। हम यह रुपया कैसे दे सकेंगे? इस सम्बन्ध में मैं आपकी आज्ञा से 'रिपोर्ट आफ दि कमेटी आॅन लीगल एड ऐंड लीगल ऐडवाइस इन दि स्टेट आफ बांबे'---पेज ५ से पढ़ना चाहता हूं।

"It is essential to the preservation of the rights of every individual, his life, liberty, property and character, that there be an impartial interpretation of the laws and administration of justice."

इसमें आगे है--

"Every subject of the Commonwealth ought to find a certain remedy, by having recourse to the laws, for all injuries or wrongs which he may receive in his person, property, or character. He ought to obtain right and justice freely, and without being obliged to purchase it; completely, and without any denial ; promptly, and without delay ; conformably to the laws."

वहां पर यह कहा गया कि हर नागरिक को सामाजिक न्याय मिलना चाहिये और उस के लिये उसे कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहिये। फिर आज तो श्रीमन्, हम स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं और यहां पर हर व्यक्ति को न्याय सस्ता और सुलभ प्राप्त होना चाहिये। हमें यह अधिकार होना चाहिये कि हमारे खिलाफ यदि कुछ हो, अन्याय हो, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकें। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है। श्रीमन्, यह स्वस्थ जनतंत्र के लिये अत्यन्त घातक है। इसी रिपोर्ट के पृष्ठ ७ पर लिखा है---

".....a democracy cannot survive if it cannot find a way to make its administration of justice competent.

तो श्रीमन्, जनतंत्र पनप नहीं सकता यदि वहां की जनता को न्याय प्राप्त न हो सके। हम यह स्वीकार करते हैं कि स्टेट के पास इतनी रेवेन्यू हो जिससे कि वह जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उसके लिये उचित साधन जुटा सके, किन्तु उसके लिये और भी जरिये हो सकते हैं, उसके लिये यह जरूरी नहीं है कि कोर्ट फीस को बढ़ाया जाय और जनता को न्याय से वंचित रखा जाय। इसी रिपोर्ट में एक जगह मिस्टर बी०जी० खेर ने भी इसी आशय की पुष्टि की है। पृष्ठ ८ पर एक चीफ जस्टिस ह्यूज (Hughes) ने भी कहा है :

"It is idle to speak of the blessings of liberty unless the poor enjoy the equal protection of the laws."

उनका कहना है कि स्वतंत्रता की बात करना बिलकुल बेकार है यदि एक गरीब आदमी को सही तरीके से न्याय उपलब्ध नहीं होता है। तो श्रीमन्, डेमोक्रेसी की जड़ों को मजबूत करने के लिये यह जरूरी है कि न्याय जनता को सस्ते रूप में सुलभ हो। डिस्कंटेंट जितना भी कम होता चला जायेगा, उतने ही ज्यादा दिन तक हम जनतंत्र को चला सकेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। श्रीमन्, मेरे सामने जो मैगना चार्टा है उसके पृष्ठ ४५९ को मैं आपके सामने और पढ़ना चाहता हूं---

"To no one will we sell, to no one will we refuse or delay, right of justice."

तो इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी आदमी के न्याय पाने में रुकावट नहीं डालेंगे और हमारे संविधान में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि हम नागरिकों को न्याय देंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं श्रीमन्, मेरे सामने ला कमीशन की रिपोर्ट है। उसके पृष्ठ ४९० का एक हिस्सा और पढ़ देना चाहता हूं—

"....It is obvious therefore that a State which levies an exorbitant tax for making available its machinery for the administration of justice to the ordinary citizen fails to perform one of its elementary functions. A modern welfare State cannot with any justification sell the dispensation of justice at a price...."

मैं आपके जरिये से कोई व्यवस्था चाहता हूं कि यह जितनी भी कमेटीज की रिपोर्ट और सिफारिशें होती हैं उन पर यह सरकार विचार करे और उनको माने। कमीशन और कमेटियों को बनाया जाता है, मगर यह सरकार उनकी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं देती। आप के द्वारा हम यह मांग कर सकते हैं कि सरकार उनको माने और उन पर विचार करे। सन् ६२ के चुनाव में जनता इन सब बातों का जवाब मागेंगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि या तो सरकार इस विधेयक को वापस ले या इसको प्रवर समिति में जाने दे ताकि वहां पर इस पर गम्भीरता के साथ विचार हो सके और फिर सरकार को दोबारा कोई संशोधन न लाना पड़े।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कोर्ट फीस विधेयक के संबंध में प्रस्तावक महोदय ने अभी जो शब्द कहे उन्हीं को मैं थोड़ा विकसित रूप में कहना चाहूंगा। उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में बहुत-सी कानूनी किताबों को पढ़कर सुनाया लेकिन मैं आपके द्वारा निर्धन वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र की बातों को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं जिसके लिये मुझे किसी कानूनी किताब के पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी।

आज हमारे सामने जो विधेयक प्रस्तुत है उसमें दो-तीन बातों को हेर-फेर करने का सरकार का साहस हो रहा है। सरकार धारा ३६ के बाद एक नयी धारा ३७ बढ़ाना चाहती है और इसके अतिरिक्त वह दो तीन संशोधन शेड्यूल में करना चाहती है। आप देखें कि यह दो तीन परिवर्तन जो सरकार कर रही है इनके फलस्वरूप सरकार अपने उन अधिकारों को बढ़ाती जा रही है जिनसे हम पहले से ही ऊबे हुये बैठे है। अभी तक हमारे कोर्ट फीस ऐक्ट में ३६ वीं धारा अंतिम धारा थी, लेकिन अब ३७ वीं धारा को जोड़कर सरकार कुछ ऐसे अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है जिनके न रहने से सरकार को कुछ थोड़ा-सा घाटा होता।

आज कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारी आमदनी कुछ मारी जायगी। श्रीमन्, यह आमदनी सरकार की नहीं मारी जायगी बल्कि गरीबों को जो राहत मिलती थी जोकि कोर्ट फीस अदा करने में असमर्थ थे, उनकी वह राहत अब जरूर छीन ली जायगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उच्चतम न्यायालय के जो फैसले होते हैं उनका यह सरकार अनादर करती है और केवल अनादर ही नहीं करती बल्कि कभी-कभी बेशरमी के साथ अपनी गलती का पृष्ठपोषण भी करती है और कहती है कि हमारी जो गलती है उसको गलती न समझा जाय, उसको बिलकुल भुला दिया जाय। यह कठिनाई निवारण का शब्द हमारे सामने इसी रूप में आता है कि हम यह समझ लें कि सरकार ने कोई गलती ही नहीं की। श्रीमन्, सरकार की गलतियां हम आपके द्वारा सदन में रखें और सरकार उनको न सुने और सरकार की गलतियां न्यायालय में उपस्थित हों और न्यायालय का फैसला सरकार न माने तो फिर इसके अतिरिक्त मान्यवर, आप बतायें कि सरकार को सुझाने का और क्या तरीका हो सकता है।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुये।)

जब हम यहां प्रदेश के पिछड़े ग्रामीणों की बातें कहने का साहस करते हैं तो उभय पक्ष की ओर से कह दिया जाता है कि यह सदन कोई दर्जा नहीं है, कोई कक्षा नहीं है, यहां सिखाइये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

नहीं। अब हमारी आवाज उनके कानों में कैसे जाय ? इस कोर्ट फीस ऐक्ट में जब पहले इसी सदन में संशोधन आया था और सरकार ने परिशिष्ट में कुछ फीसें बढ़ाई थीं तो विपक्ष के सभी लोगों ने यह कहा था कि उन्नतिशील देश वही कहलायेगा जहां न्याय सस्ता हो। जुल्म से सताये हुये लोग जहां पर न्यायालय में जाकर राहत पायें वही देश उन्नतिशील, प्रगतिशील और स्वतंत्र कहलायेगा। इसकी यही एक पहचान है। लेकिन सरकार ने किसी बात को नहीं सुना और बढ़ी हुई फीसों को और बढ़ाया। ऐसा करके सरकार ने न केवल अन्याय ही किया बल्कि गरीबों को न्याय पाने से वंचित किया।

मैं एक ही दो बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं। आप देखेंगे कि छोटे-छोटे वादों में भी ,जो केवल गरीबों और किसानों की तरफ से हो सकते हैं, उन पर भी काफी कोर्ट फीस है। मिसाल के तौर पर १०० रुपये पर ११ रु० २५ न० पै० और ५०० रुपये पर ६७ रु० २५ न० पै० जो दशांक से भी ज्यादा है। मैं ऊंचे वादों की बात नहीं कहता क्योंकि वे ज्यादा पैसे वाले लोग हो सकते हैं गोकि उनमें भी कुछ वैसी दिक्कतें हो सकती हैं। मैंने केवल दो एक मिसाल रख कर ही आप को यह बताया कि छोटे-छोटे मामलों में कितनी ज्यादा फीस बढ़ी हुई है।

सब से बड़ी बात तो यह है कि जब हमने संविधान पास किया था तो एक ठंडी सांस ली थी क्योंकि उसमें हमारे कुछ मूल अधिकार भी रखे गये थे। यह कहा गया था कि अमेरिका की नकल करके यहां भी लोगों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता दी जायगी। हमको यह भी मूल अधिकार दिया गया कि अगर सरकार किसी प्रकार से हमारी बात न माने, हर तरह से आंखें बन्द कर ले तो मूल अधिकार के अन्तर्गत हम रिट हाईकोर्ट में पेश कर सकते हैं। अब रिट जो भी पेश करने जायगा वह असहाय और निर्धन ही होगा। अगर असहाय से लम्बा शुल्क मांगा जायगा तो वह न्यायालय जाने में असमर्थ हो जायगा इसलिये पहले उसकी फीस ५ रुपया रखी गयी थी लेकिन हाल ही में उस को बढ़ा कर ५० रुपया कर दिया गया। बहुत से छोटे-छोटे अध्यापक जो अपने अधिकारों पर कुठारघात होते हुए देखते हैं वे अदालत की शरण में जाते हैं। बहुत से विद्यार्थी इम्तहान से वंचित कर दिये जाते हैं। कह दिया जाता है कि हाजिरी कम है। कभी-कभी परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाता है। जब वे देखते हैं कि ६–६ माह हो गये, लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ और उसका कारण केवल अनुचित रूप से किसी अध्यापक की नाखुशी है तो वह न्यायालय की शरण लेता है। ऐसे भी मौके आये हैं कि परीक्षाफल किसी बदनीयती के द्वारा रोका गया। जब वह हाईकोर्ट में गया तो सचमुच उसकी कापी ही खो गयी थी लेकिन उस को छिपाने के लिये उसे शून्य दे दिया गया। ऐसी सभी बातों का उद्घाटन न्यायालयों द्वारा होता है। जब कभी जल्दबाजी में अधिकारियों द्वारा कोई गलत चीज़ छिपायी जाती तो उसका रहस्योद्घाटन अदालतों में होता है। ऐसे मामलों में रिट से बहुत सहारा मिलता है। लेकिन जब सरकार ने लम्बी लम्बी फीसें लेने का क्रम चालू किया तो इसके लिये भी ५० रुपया कर दिया गया। यह दिक्कत हमें इस कोर्ट फीस ऐक्ट के द्वारा हो चुकी है।

अब इस कोर्टफीस ऐक्ट के तहत जो न्यायालय आते हैं उनमें जितना भ्रष्टाचार है उसके कारण हमारा सिर नीचा है, हम अपनी निगाह ऊंची नहीं उठा सकते। एक तरफ तो आप ग़रीब किसानों से यह कहें कि कोर्टफीस अधिक दो और दूसरी तरफ उनमें भ्रष्टाचार हो, न्याय महंगा हो तिस पर भी ग़रीबों की ओर कोई ध्यान देने वाला वहां न हो।

श्री अधिष्ठाता––अवस्थी जी, आप कृपा कर के इस विधेयक के ऊपर ही बोलें क्योंकि इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आप तो जेनरल तौर पर बोल रहे हैं, बजट के मौके पर आप जेनरल तौर पर बोल सकते हैं, अभी तो इस विधेयक पर ही बोलें।

श्री मोती लाल अवस्थी––मैंने केवल उसका रेफरेंस दे दिया था। अगर परिधि बढ़ाने का संशोधन कोई होता तो बहुत ही उचित होता क्योंकि जब तक परिधि नहीं बढ़ायी जायगी तब तक सचमुच इसका समुचित सिंहावलोकन प्रवर समिति नहीं कर सकेगी। खैर, इस रूप

में कोई प्रस्ताव नहीं आया है लेकिन जो मेरी थोड़ी-सी दिक्कतें हैं उनको आप के सामने रख देना चाहता हूं। इस विधेयक के अन्तर्गत जब कभी अदालतों की तरफ हमारा ध्यान दौड़ता है तो हमरे हृदय में स्पंदन होने लगता है और एक घबड़ाहट हो जाती है। इसमें जो शब्द बढ़ाया गया है उससे यह प्रयास है कि एक दफ़ा इसको बढ़ा देने पर आगे भी सरकार इसे बढ़ा सकेगी। इसमें २१ (१) इस प्रकार से है--

"Application or petition under the Special Marriages Act, 1954 or the Hindu Marriages Act, 1955."

श्रीमन्. अब मैं सरकार को क्या कहूं, कहने के लिये तो हम सब यही कहते हैं कि हमारा सब काम हिन्दी में होता है लेकिन अंग्रेजी का पुराना कोढ़ अभी तक हमारे यहां बना हुआ है और चूंकि कानून पुराने अभी अंग्रेजी में ही हैं इसलिये उसमें संशोधन भी अंग्रेजी में ही किये जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे बहुत से साथी जो अंग्रेजी भाषा से मुक्त हैं, वे इस पर कोई संशोधन नहीं दे पाते और न कुछ सोच ही सकते हैं। जब तक यह छूत लगा रहेगा तब तक वे कोई बात भी नहीं कह सकते हैं। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही कोर्ट फीस को बढ़ाने का विधान किया गया है और मालूम होता है कि जब से यह सरकार मुकर्रर हुई है तभी से इसको बढ़ा हुआ समझा जायगा। इससे साफ है कि सरकार काश्तकारों के ऊपर कर का इस तरह से बोझ बढ़ा कर वह अपने खजाने को बढ़ाना चाहती है और इस तरह से अपनी थैली भरना चाहती है। सरकार को इस तरह की फीस बढ़ाने के पहले यह सोचना चाहिये था कि इसके एवज में वह ग़रीब काश्तकारों को किस तरह की सुविधा दे रही है। यह कहीं किसानों के लिये ऊंट की कमर का आखिरी तिनका ही न हो जाय।

अनुच्छेद १० में मुख्तारनामा और वकालतनामा के सम्बन्ध में दिया हुआ है--

"Mukhtarnama, Vakalatnama or any paper signed by an advocate signifying or intimating that he is retained by a party".

और उसकी फीस के लिये लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हो। जैसे १ रु० २५ न० पै०, २ रु० ५० न० पै०, ५ रुपये वगैरह-वगैरह वकालतनामे के लिये हो और इस तरह से एक-दो और एडवोकेट की बढ़ोत्तरी हो जाय। सरकार ने अपनी आमदनी का रास्ता तो ढूंढ़ लिया लेकिन इसके एवज में कोई दूसरी सुविधा देने के सम्बन्ध में नहीं सोचा। क्या सरकार का यह फ़र्ज नहीं है कि जब वह इस तरह से अपनी आमदनी बढ़ा कर उसे हजम करने की सोचती है तो दूसरी तरफ उनकी और तरह की फीस घटाने की सोचती? लेकिन सरकार ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। सरकार तो बस यही चाहती है कि जितनी भी रकम हो वह उसके यहां आती ही जाय। मुझे बतलाया गया कि बजट आने वाला है और उसमें बचत दिखलायी जायगी। मुझे अब देखना है ही कि कितनी बचत और किस तरह से दिखलायी जाती है। अंग्रेजी की एक कहावत है कि "कमिंग इवेन्ट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर" अर्थात् आने वाली घटनायें अपनी छाया पहले से ही डाल देती हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपये की बचत हम बजट में लाने वाले हैं जो कि १६ मार्च को यहां आने वाला है। वह आयेगा तो हम देखेंगे कि गुप्ता जी उसमें क्या करते हैं और क्या राहत उससे प्रदेश के गरीबों को मिलेगी।

इसके साथ-साथ इसमें एक दूसरा हेरफेर यह है कि एप्लीकेशन आफ पेटीशन के सम्बन्ध में भी जो रखा गया है और उसमें भी सरकार ने कुछ अपनी आय को बढ़ाने की कोशिश की है। इसमें 'मेमोरेन्डम आफ़ अपील' शब्द बढ़ाने की कोशिश की है। यानी हर हालत में जो कुछ सही चीज थी उस को भी बढ़ा लिया गया है और हर जगह उस को फीस बढ़ाने की धुन-सी है। इस तरह से सरकार मुकदमेबाजी को और प्रोत्साहन देती है, इस तरह से लोगों में लड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा रहा है। इस तरह से क्या आप मुकदमेबाजी को बढ़ा कर देश का हित कर रहे हैं? हमारे जो पहले न्याय मंत्री जी थे श्री अली जहीर साहब उन्होंने जवाब दिया कि हम मुकदमेबाजी को एक लग्जरी समझते हैं इसलिये टैक्स लगा कर उसको रोकना अच्छा ही होगा। इस समय वह यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो भी हों उनसे मैं कहना चाहता हूं

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

कि यहां पर आज उन्हीं की सरकार के द्वारा लोगों में मुकदमेबाजी की लत को बढ़ाया जा रहा है, उन किसानों के बीच में उन्हीं ने मुकदमेबाजी और झगड़े बढ़ाये हैं, वह उससे बरबाद हो कर इस तरह से मरते हैं जैसे कोई पतिंगा रोशनी में गिर कर मरता है।

मैं आप को बताऊं कि एक बार अभी मैं बाराबंकी गया था तो मुझसे एक बस वाला कह रहा था कि यह बसें इस वास्ते भर जाती हैं कि देहात के किसानों के मुकदमों की तारीखें रोज बढ़ा करती हैं और उन्हीं से उनकी आय होती है। आज सरकार फीस हर जगह बढ़ाती जाती है और साथ-साथ अन्याय और भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। आज उनको ही लूटने के लिये और तबाह करने के लिये यह किया जा रहा है। सरकार जहां चाहती है फीसों में तरमीम कर के वृद्धि करती जाती है लेकिन क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि न्याय के द्वारा इन ग़रीबों को राहत दिलाने का मौका दे और कदम उठावे। लोगों में प्रेम बढ़े, मुकदमेबाजी कम हो, द्वेष में कमी हो, इस दिशा में सरकार ने क्या किया है? इस तरफ मंत्री जी ध्यान ही नहीं देते कि कोई ऐसा संशोधन लायें जिसके द्वारा यह चीजें कम हों और किसानों को राहत मिले, उनमें आपस में प्रेम बढ़े और झगड़े घटें। वह तो केवल अपनी कलम इसलिये उठाते हैं कि कहीं भी अगर कोई रकम छूटी हो तो वह भी किसान की जेब से आ जाय लेकिन वह कभी भी उन गरीबों की दृष्टि से नहीं देखते। वह रुपया लेते हैं और उसकी एवज में झगड़े, मुकदमेबाजी और द्वेष फैलाते हैं। इसका दोष मंत्री जी पर ही है। आज अदालतों के भ्रष्टाचार में पेशकार, चपरासी से लेकर हाकिमों तक एक पाई भी रिश्वतों में कमी नहीं है। आज छोटे से बड़े तक हर आदमी चिल्ला कर कहता है कि अदालतों में रिश्वत ली जाती है लेकिन इस सरकार को कुछ पता नहीं है और न उसका ध्यान ही उस तरफ जाता है। उन को तो यही फिक्र रहती है कि फीस का यह नया सीगा कैसे छूटा जा रहा है, इस पर भी फीस ले लें। उनको इसकी फिक्र नहीं है कि लोगों को सस्ता न्याय मिले और न्यायालयों से भ्रष्टाचार दूर हो।

इस विधेयक पर गौर करते हुये मैं चाहता हूं कि सदन का ध्यान इस तरफ जाय कि हमारी अदालतें कैसी हैं और यह वसूलयाबी कैसी है। इस सम्बन्ध में सरकार ने एक कमीशन बैठाया था जो कि मुकर्जी कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है, कि किस तरह से भ्रष्टाचार दूर हो। मुझको थोड़ा-सा सुनने को मिला है कि कुछ दफाओं में हेर-फेर किया जा रहा है। क्या एक-दो हेर-फेर से अदालतों का भ्रष्टाचार दूर होगा? मैं समझता हूं कि इसमें तो आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्रान्तिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा। बिना उसके भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। मुकर्जी कमेटी, चटर्जी कमेटी, मेहता कमेटी, जितनी भी तमाम कमेटियां हैं, सब टैक्सों का बोझ ला देंगी, और देंगी क्या? कुछ नहीं, न्याय सस्ता नहीं होगा, हल्का नहीं होगा और कोई उससे लाभ नहीं होगा। इन संशोधनों को लाकर सरकार और जले पर नमक लगा देती है और हमें यह कहने को बाध्य करती है कि ये भ्रष्टाचारी अदालतें, यह उल्टा न्याय, यह विदेशों से लाया हुआ न्याय, किसानों को कोंचे डाल रहे हैं और किसान चिल्ला रहा है। सरकार इस तरफ भी ध्यान दे, इतना ही मैं कहूंगा।

श्री गौरीशंकर राय--मान्यवर, इस सम्बन्ध में आर्डीनेन्स जब आया था तो मैं अपनी राय दे चुका हूं और उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। संक्षेप में इतना कह दूं कि उस दिन अपनी राय देते हुये मैंने बतलाया था कि यह जो सिद्धान्त है कोर्ट फीस लेने का या न लेने का उस सम्बन्ध में सारी दुनिया में क्या नियम है। साधारणतौर पर कोर्ट फीस तो दुनियां में कहीं-कहीं है, लेकिन लैवी नहीं है। यहां लैवी है और बढ़ती चली जा रही है। उस दिन मान्यवर, यदि आप सदन में होंगे तो आप को स्मरण होगा, मैंने कहा था कि सारे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोर्टफीस ली जाती है। यहां पर कोर्ट फीस से जो आमदनी है वह 'सिविल' और क्रिमिनल ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्च होता है और उसके साथ-साथ प्रासीक्यूशन पर जो खर्च होता है, उस से भी अधिक है। उसके बाद भी सरप्लस इन्कम है उत्तर प्रदेश सरकार की। इंसाफ से सरकार सब से ज्यादा कमाई करती है जब कि तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इंसाफ पाना यह एक

फंडामेन्टल राइट है। उसके लिये हमें इतना देना पड़ता है कि दूकानदारी से भी ज्यादा मुनाफा सरकार को होता है। उस दिन मैं जब कोर्ट फीस के संबंध में बोल रहा था तो मैं इस इम्प्रेशन में था कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस ऐक्ट का कोई मामला सुप्रीमकोर्ट में गया और उसके संबंध में फैसला था। लेकिन वह बम्बई हाईकोर्ट का मामला था। बम्बई में वह अमेंड हुआ। बाद में रेट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से लेने की बात कही गई। हाई कोर्ट ने कहा कि तुमको लेने का हक नहीं है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब मुकदमा अदालत में चला गया तो जिस समय मामला अदालत में चला गया उस समय से उस समय तक जब तक उसको अंतिम निर्णय न मिल जाय, वह फीस पर्याप्त होनी चाहिये। यह उसका सब्स्टेंसिव राइट है। मैं यह रेफरेंस पढ़ देना चाहता हूं। इसमें लिखा है :—

"We shall presently refer, the learned Chief Justice held, that a right of appeal is a substantive right which vests in a litigant at the date of the filing of the suit, and cannot be taken away unless that Legislature expressly or by necessary intendment says so; furthermore, an appeal is a continuation of the suit, and it is not merely that a right of appeal cannot be taken away by a procedural enactment which is not made retrospective, but the right cannot be impaired or imperilled nor can new conditions be attached to the filing of the appeal; nor can a condition already existing be made more onerous or more stringent so as to affect the right of appeal arising out of a suit instituted prior to the enactment."

उसके अन्त में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में जब तक कि लेजिस्लेचर स्पष्ट रूप से कह न दे कि पीछे का लेने का हमारा मंशा है तब तक हम इसको नहीं मानते क्योंकि उनका हक है इंसाफ पाने का और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की एक राय है।

आज भी जब हमारे फाइनेन्स मंत्री जी की जगह—श्रीमान् ,रामस्वरूप यादव जी हर एक चीज़ के मंत्री हैं, जिस मंत्री की ज़रूरत पड़ती है उसकी जगह वह हैं वह हर चीज़ में काम में आ सकते हैं। तो आज यही वित्त मंत्री हैं। और उस दिन के वित्त मंत्री ने भाषण तो किया नहीं सूत्र में कुछ कहा था। तो सूत्र से ऐसा मालूम हुआ कि इनके कानून में कोई टेक्नीकल डिफ़िकल्टी रह गयी थी और उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनकी हकतलफ़ी कर दी और उस से बचने के लिये कानून ले आये।

एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे लॉ डिपार्टमेन्ट में कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से बार-बार अमेंडमेन्ट आते हैं। ऐसा लगता है कि लॉ डिपार्टमेन्ट ने जो कानूनी सलाह दी वह ग़लत दी। मेरी अपनी राय है सरकार अगर माने, मुख्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, हमारे यहां लॉ डिपार्टमेन्ट से जो मुन्सिफ लोग आ कर बैठ जाते हैं जिनको कानून की पेचीदगियों का ज्ञान नहीं है, अच्छा हो अगर यहां के लॉ डिपार्टमेन्ट में कुछ तजुर्बेकार वकीलों को सरकार रखे। दो दिन अदालत में मुकदमा कर आते हैं और यहां आकर बैठ जाते हैं, नतीजा यह होता है कि रोज़ कानून बदलते हैं, गलती होती है। एक तरफ तो मुख्य मंत्री जी इकोनामी की बात करते हैं और दूसरी तरफ़ अनावश्यक रुपया अमेंडमेन्ट ला कर खर्च होता है और हाई कोर्ट में वह कानून रिजेक्ट होता है।

एक बात और कहना चाहता हूं, अगर वित्त मंत्री जी यह कहते हैं कि कानूनी लैकुना रह गया था जिसको इस संशोधन के द्वारा हटाते हैं। ऐसी बात नहीं है बल्कि दूसरी जगह देखा। बम्बई में पुराना पैसा लेने के लिये गुंजायश हो गई है जो हम लेने के हक़दार नहीं हैं, अतः उसको इस तरह के संशोधन से ले सकते हैं। यही कर रहे हैं। जब कि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि किसी भी हालत में रेट्रास्पेक्टिव इफ़ेक्ट से नहीं ले सकते हैं।

श्री रामस्वरूप यादव—अधिष्ठाता महोदय, आप की इजाज़त से एक बात मैं स्पष्ट कर दूं। स्थिति यह है—जो हमारा इस समय का अधिनियम है जो सदन पहले स्वीकार कर चुका

[श्री रामस्वरूप यादव]

है उसकी कानूनी स्थिति यह है जिस समय जो अपील दायर होगी उस वक्त जो कोर्ट फीस लागू थी वह उसे अपील में देनी पड़ेगी और जिस वक्त ओरिजिनल सूट दाखिल किया जायगा उस वक्त जो कोर्ट फ़ीस लागू थी वह उस पर देनी पड़ेगी। इससे यह हुआ कि हमने अपील और ओरिजिनल सूट को दोनों को अलग इसी सदन में स्वीकार किया था। इस जजमेन्ट से यह नतीजा हुआ, उन्होंने यह कहा कि अपील भी ओरिजिनल सूट का ही क्रम है। इस वजह से जो कोर्ट-फ़ीस ओरिजिनल सूट के दिन लागू थी वही आप ले सकते हैं। यह सदन जो स्वीकार कर चुका है आधार उस आधार के खिलाफ वह जजमेंट हुआ। लिहाज़ा हमने कोई चीज़ बढ़ाने की बात नहीं कही है। जैसा बिल सदन ने स्वीकार किया है उसी क अनुसार यह कोशिश कर रहे हैं कि कहीं रुपया वापस न करना पड़े या कम न हो जाय कोर्ट फ़ीस।

श्री गौरीशंकर राय---अन्त में श्रीमन्, मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की राय पढ़ दूं। आप के समझने में गलतफ़हमी नहीं है। वह तो ऐसा कहते हैं कि एक बार जब सूट दाखिल कर दिया तो वह जब कन्टीन्यूटी में है तो उसके बीच में कोई कंडीशन या डिफिकल्टी आप पैदा नहीं कर सकते हैं। तो यही समझ कर मैं कहता हूं।

अन्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।

"It is thus clear that in a long line of decisions approved by this Court and at least in one given by this Court, it has been held that an impairment of the right of appeal by putting a new restriction thereon or imposing a more onerous condition is not a matter of procedure only ; "

मेरे कहने का मतलब यह है कोर्ट भी यही बताता है और मैं भी कहता हूं कि यह मामला प्रोसीजरल नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है आपको प्रोसीजर में कोई मुश्किलात आयी हों और उसको आप दुरुस्त कर रहे हों। वही सुप्रीम कोर्ट कहता है :

"it impairs or imperils a substantive right and an enactment which does so is not retrospective unless it says so expressly or by necessary intendment."

यह बड़ा स्पष्ट है। वह तो कहते हैं कंटीन्यूएशन में जो होता है वह मामला प्रोसीजर का नहीं है जिसको आप दुरुस्त कर दें। मान्यवर, आप भी यही पेशा करते हैं कानून वाला तो यह बड़ा साफ इसमें लिखा हुआ है। मंत्री जी की मंशा यह है कि पहले जो इंसाफ करा चुके हैं उन्हें इंसाफ मिला हो या न मिला हो उनसे भी अधिक पैसा ले लें। १९वीं शताब्दी में सबसे पहले बंगाल में कोर्ट फीस लगी थी और अंग्रेजों की यह नीयत थी कि ज्यादा मुकदमे अदालतों में न आयें, ज्यादा जस्टिस देने की नीयत नहीं थी। लार्ड मेकाले ने हाउस आफ लार्ड्स में कहा था कि अंग्रेज जो हिन्दुस्तान में गया है उनसे हिन्दुस्तानियों को न्याय नहीं मिल रहा है। उसको उस समय की न्याय प्रणाली दोषपूर्ण मालूम हुई थी लेकिन उससे भी ज्यादा न्याय को कुंठित करने वाला यह कदम है और वह यह कि मुकदमे में किसी को न्याय प्राप्त हुआ हो या न हुआ हो उससे सरकार रुपया वसूल करना चाहती है। ऐसी हालत में तो स्पष्ट मामला है। ऐसी हालत में १८३५ में अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण न्याय के सम्बन्ध में था उससे भी ज्यादा पीछे ले जाने वाला यह आज का दृष्टिकोण है और उससे न्याय मिलने वाला नहीं है। लिहाजा माननीय मंत्री जी को इसे प्रेस नहीं करना चाहिये, बल्कि वापस लेना चाहिये।

***श्री जगन्नाथ लहरी** (जिला आगरा)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के सम्मुख जो विधेयक प्रस्तुत है उसमें प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो संशोधन आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। समझ में नहीं आता कि इस प्रदेश की सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न्याय का गला घोटने के लिये क्यों बैठी हुई है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही मैंने एक दूसरे विधेयक के समय भी इसी तरह के विचार प्रकट किये थे। आज पुनः विवश होकर मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यह सरकार अब किसी भी प्रकार से न्याय की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकती है। यद्यपि भारतीय संविधान में इस बात की दुहाई दी जाती है कि न्याय को सर्वोपरि स्थान दिया जायगा और सरकार न्यायालयों के निर्णयों का सम्मान करेगी और न्यायालयों के कार्य में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। इस विधान सभा के माननीय सदस्यों को जहां हर प्रकार के विचार व्यक्त करने का अधिकार है वहां उन्हें यह अधिकार नहीं है कि जो मामले न्यायालयों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हों उनके बारे में वे एक शब्द भी कह सकें। जहां संविधान न्याय को तटस्थ रखने के लिये इस विधान सभा या लोक सभा में सदस्यों के बोलने पर भी प्रतिबन्ध लगाती है वहां उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करने के लिये भी तैयार नहीं है और मैं पूछना चाहता हूं कि इन शब्दों के बाद भी कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि इस प्रदेश की सरकार न्याय का सम्मान करने के लिये तैयार है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है--मूल अधिनियम के, जैसा कि वह कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० द्वारा संशोधित होने के पूर्व था, उपबन्धों के अधीन आरोपित या वसूल किये गये सभी शुल्क, यदि वे धारा ३७ के उपबन्धों के अनुसार आरोपित या वसूल किये गये हों यथास्थिति, वैधतः आरोपित या वसूल किये गये समझे जायेंगे मानो धारा ३७ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों को प्रचलित रही हो, भले ही किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आज्ञा में इसके विपरीत कोई बात क्यों न हो।

इस प्रदेश की सरकार को न्यायालयों का इस प्रकार अनादर करने के लिये क्या बधाई दी जाय। उसके लिये क्या कहा जाय यह समझ में नहीं आता जो सरकार स्पष्ट शब्दों में लिख रही है--"किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आज्ञा में इसके विपरीत कोई बात क्यों न हों।" न्यायालय कोई भी निर्णय देता रहे लेकिन यह सरकार धारा ३७ का उल्लेख करते हुये उसको मानने के लिये तैयार नहीं है। आज धारा ३७ का इस्तेमाल किसी छोटे या उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करने के लिये नहीं हो रहा है बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करने के लिये किया जा रहा है। फिर ये न्यायालय बनाने का ढोंग क्यों रचा जा रहा है। जब हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करने के लिये तैयार हैं और ३७ के अनुसार उसके निर्णय की पूर्णरूप से अवहेलना करते हुये उनसे फीस अवश्य वसूल करेंगे तो फिर न्याय का ढकोसला बन्द कर दीजिये यही अच्छा है। भारत की जनता को यह आशा थी कि देश की स्वाधीनता के साथ-साथ उसे सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय प्राप्त होगा क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में न्यायालय भी एक प्रकार की दूकानें बना दी गयी थीं और जो जितना खर्च करता था वह उसी प्रकार से निर्णय को खरीद भी सकता था और भारत की निर्धन जनता धन की कमी के कारण न्याय पाने से असमर्थ रहती थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आपने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया था तो क्या यह नहीं कहा था कि जमींदार किसानों के साथ अनुचित हथकंडे अपना कर न्यायालयों द्वारा उनको परेशान कर के उन्हें जमीन से बेदखल करते रहते थे और चूंकि किसान के पास अपने प्रतिद्वन्दी के मुकाबले धन खर्च करने को नहीं रहता था इसलिये वह न्यायालयों से न्याय प्राप्त कर सकने में असमर्थ रहता था?

आज आये दिन कोर्ट फीस संशोधन विधेयक यहां आया करते हैं और उनके द्वारा दिनपर दिन कोर्ट फीस में बढोत्तरी की जाती है। उसकी बढ़ोत्तरी के विपरीत हम चाहे कुछ निवेदन करें सरकार उसे सुनने के लिये तैयार नहीं है। आज से २ वर्ष पूर्व जब कोर्ट फीस में संशोधन हुआ था तो उसमें यह था कि १२ आने की जगह पर ७५ नये पैसे, ८ आने की जगह पर ५० नये पैसे, ४ आने की जगह पर २५ नये पैसे और १ आने की जगह पर १० नये पैसे रख दिया जाय। उस समय के तत्कालीन मंत्री, श्री अली जहीर साहब ने कहा था कि दाशमिक प्रणाली के सिक्कों का प्रचलन होने के कारण यह संशोधन लाना अनिवार्य हो गया है। हमने उस समय कहा था कि सरकार यह हिमालय जैसी बड़ी भूल कर रही है क्योंकि जब सरकार ने करोड़ों रुपये जनता

[श्री जगन्नाथ लहरी]

को यह जानकारी कराने में खर्च किये हैं कि पुराने १ आने के ६ नये पैसे होते हैं तो फिर यहां पर सरकार १ आने की जगह पर १० नये पैसे क्यों रख रही है। लेकिन सरकार ने उस समय हमारी बात नहीं मानी थी। आज जो यह संशोधन लाया गया है यह दाशमिक प्रणाली के कारण नहीं बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत, उसके निर्णय को बेकार करने के लिये, उसकी खिल्ली और मजाक उड़ाने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या अब देश के व्यापारियों और जनता को सरकार के कानूनों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में जाना चाहिये या नहीं क्योंकि जब भी सरकार के किसी कानून को चुनौती उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनता द्वारा की गई और सर्वोच्च न्यायालय से उसके पक्ष में निर्णय हो गया तो भी सरकार ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय के सामने अपना सिर नहीं झुकाया बल्कि सरकार द्वारा संचालित न्याय प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये उसको स्वीकार नहीं किया और उस निर्णय को निरस्त करने के लिये, उसकी अवहेलना करने के लिये संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाता है।

आज भी इसी प्रकार का संशोधन विधेयक सदन में उपस्थित है। धारा ३७ के अनुसार अब सरकार यह अधिकार प्राप्त करना चाहती है कि आज से कई वर्ष पूर्व के मामलों पर भी इसको लागू कर दिया जाय यानी संसार में जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया, जो अभी तक पैदा नहीं हुआ लेकिन उसको पैदायश उसके जन्म से कई वर्ष पूर्व की मान ली जायगी और उसको वही अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। श्रीमन्, मुझे एक छोटी-सी कहानी याद आती है। एक बकरी का बच्चा किसी नदी के किनारे पानी पी रहा था। एक भेड़िया वहां आया और उस बकरी के बच्चे को देखकर उसकी उसको खाने की इच्छा हुई। लेकिन इसके लिये उसने न्याय का ढोंग रचा और उसने कहा कि इसको खाने का कोई न कोई बहाना बनाना चाहिये। इसलिये उसने कहा "क्यों बे, देखता नहीं है, तूने पानी पीकर मेरा पानी जूंठा कर दिया"। बकरी के बच्चे ने कहा कि "श्रीमन्, मैं बहाव की तरफ पानी पी रहा हूं और आपका जूंठा पानी पी रहा हूं"। इस पर भेड़िये ने कहा कि यह सही है कि मेरा पानी जूंठा नहीं हुआ लेकिन तेरे बाप ने ऊपर से पानी पिया था और मुझे जूंठा पानी पीना पड़ा। इसलिये उसकी सजा तुझको भुगतनी पड़ेगी और यह कह कर उसको खा गया।

श्रीमन्, यह कथा सही हो या न हो लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की स्थिति बिलकुल भेड़िये की तरह की हो गई है और प्रदेश की निरीह जनता के साथ बकरी के बच्चे की तरह से व्यवहार किया जाता है और उसी तरह से न्याय की दुहाई देती है जैसे बकरी के बच्चे के पानी पीते समय भेड़िये ने दी थी कि तेरे बाप ने जूंठा पानी पिलाया था उसी तरह जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस विधेयक द्वारा जो ज्यादती हो रही थी, उसके विपरीत सही न्याय दिया गया। इसके बाद भी प्रदेशीय सरकार जनता को अधिकार देना नहीं चाहती है और बकरी के बच्चे की तरह से उसको खाने के लिये तैयार है और इसीलिये उसने धारा ३७ का प्रावीजन इस विधेयक में जोड़ दिया है।

मैं माननीय न्याय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह विडम्बना कब तक चलती रहेगी? यदि आपका यही प्रयत्न रहा तो प्रदेश की जनता को जनतंत्र में आस्था नहीं रहेगी और इसी के साथ-साथ न्याय में भी नहीं रहेगी क्योंकि न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त करने के बाद भी उस अधिकार को सरकार नहीं देना चाहती है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत जब हमारी सरकार इस तरह के कदम उठाती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जनता न्याय पाने के लिये अब किस के पास जाय। इससे तो यही अच्छा है कि एक विधेयक ऐसा ले आयें जिससे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इन विधेयकों के संशोधनों में और मुकदमेबाजी में बरबाद न हो। एक छोटा-सा संशोधन ले आइये कि उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे पहाड़ जैसी भूल क्यों न करे, उचित या अनुचित कैसा भी कानून हो, चाहे प्रजातन्त्र की परम्परा के अनुरूप कानून हो या तानाशाही का कानून हो किसी भी न्यायालय में निर्णय के लिये प्रस्तुत

नहीं किया जायगा। इससे कोई भी न्यायालय उत्तर प्रदेश की सरकार के बनाये हुए कानूनों के विपरीत कोई निर्णय नहीं दे सकेगा। आप कानून बना दीजिये कि हम न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। न्यायालयों को उत्तर प्रदेश की सरकार के बेकार और गलत कानूनों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तभी मैं समझता हूं कि व्यर्थ की मुकदमेबाजी में जो प्रदेश की जनता का लाखों करोड़ों रुपया बरबाद हो रहा है, सरकार का भी रुपया व्यय होता है, उसके बाद संशोधन विधेयक लाना पड़ता है, विधान सभा में भी रुपया व्यय होता है, उस रुपये को बचा सकते हैं, जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया बचा सकते हैं, और समय का दुरुपयोग करने से बचा सकते हैं। लेकिन जनतन्त्र की दुहाई देने वाली यह सरकार कभी भी इस सुधार को करने के लिये तैयार नहीं होगी क्योंकि उसको एक खानापूरी करनी है जिससे लोग यह न कह सकें कि इस सरकार ने जनता को यह मौका नहीं दिया, चूंकि कानून में इस तरह से लिखा हुआ था, यह हो गया।

अब यह धारा ३७ अधिनियम के बाद में लागू नहीं होगी। लेकिन यह धारा ३७ अधिनियम बनने के पूर्व भी, अनेक वर्षों से पूर्व लागू समझ ली जायगी। यह धारा ३७ जिसके कहीं भी दर्शन नहीं हुए वह अपने जन्म से अनेक वर्ष पूर्व ही जनता के ऊपर कुठाराघात करने के लिये तैयार हो गयी। मैं पूछता हूं कि विधेयक आज बने और आज से एक वर्ष पूर्व वह लागू कर दिया जाय, यह पद्धति भी कितनी सुन्दर है। इस पद्धति के अनुसार अब इस देश की जनता के अन्दर एक नये अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है। वह इस बात के लिये भी विश्वास करने के लिये तैयार नहीं है कि इस प्रदेश की सरकार जो नया टैक्स लगायेगी या नया कानून बनायेगी, वह पास हो जाने के बाद और राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस जनता पर लागू किया जायगा या यह सरकार, जितना पूर्व चाहेगी, लागू किया जायगा। अब तो जनतन्त्र के नाम पर इस प्रदेश की सरकार की तानाशाही हुकूमत कायम हो गयी है और हम लोग निस्संकोच कह सकते हैं कि हम लोग जो सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, एक अनुशासन की तलवार कंधे पर लटकाकर, व्यर्थ में हम लोगों से वोट ले कर, न्याय का ढिढोरा पीटने जा रही है। मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि कुछ दिनों के बाद आप भी जनता के सामने जाने वाले हैं। आज आप जनता-जनार्दन को चाहे जितना दुखित कर लें लेकिन १९६२ में जब जनता आप के पापों की बढ़ती हुई संख्या अपने सामने रखेगी, उस समय जब कि जनता के सामने आपके पोल खातों और काले कारनामों का भंडा फोड़ कुछ लोगों द्वारा किया जायेगा तब आपके पास क्या उत्तर होगा? उसका उत्तर आज ही विधान सभा में देने की कृपा करें जिससे हम लोग जान सकें कि इस तरह के हथकंडों से हम जनता को कैसे उत्तर देंगे।

मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय पर हस्तक्षेप करना बन्द कर दीजिये। संविधान द्वारा स्थापित न्यायालयों के निर्णयों के सामने अपना सर झुकाइये। आपकी ही सरकार है, आप के ही न्यायालय हैं। आपके न्यायालय के न्यायाधीश जब कि आपके शासन से कुछ थोड़े से बरी हो गये हैं और उन्हें आपकी इस जकड़ी हुई पद्धति के भीतर भी एक सत्य पालन का और सही निर्णय देने का जो अधिकार मिला हुआ है और कभी-कभी जब वह इस तरह का सत्य निर्णय दे देते हैं तो उस सत्य निर्णय की हम लोगों को प्रतिष्ठा करनी चाहिए।

मैं इन शब्दों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णयों के विपरीत इस तरह के हथकंडे अपनाना उचित नहीं है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनके निर्णयों का सम्मान करें, उनके निर्णयों के सामने सिर झुकावें। तभी इस देश की जनता और सरकार की प्रतिष्ठा कायम रह सकती है। वरना यदि सरकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को इस तरह से विनष्ट करने के लिए और उन निर्णयों के विपरीत, निर्णय चाहे कुछ भी हो, फिर भी जनता के ऊपर अपनी मनमानी करना चाहती है जैसे कि वह कहावत है कि "पंचों की बात सिर माथे पर मगर पर-

[श्री जगन्नाथलहरी]

नाला वहीं गिरेगा," ऐसी बात अगर वह करना चाहती है तो फिर मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इन सारे न्यायालयों को बन्द कर दीजिए, यह न्याय का ढकोसला बन्द कर दीजिए और देश में अपनी मनचाही तानाशाही चलाइए जैसे कि एक तानाशाह चलाता है ताकि जनता को यह तो पता हो जाय कि इस देश में अब कोई न्याय नहीं रहा जिससे कि वह न्याय प्राप्त कर सके ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी ओर से जो संशोधन का प्रस्ताव, कोर्ट फीस उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, १९६१ क: एक समिति में भेजने के लिए सदन के समक्ष रखा गया है उस का समर्थन हमारे मित्र लहरी जी ने किया है । (व्यवधान) अवस्थी जी कह रहे हैं कि मत नहीं देंगे । मगर उन्होंने श्रीमन्, सदन में जिन भावनाओं का उद्गार किया है उनसे तो प्रदेश की जनता जान ही जायगी कि सरकारी सत्तारूढ़ पार्टी के एक माननीय सदस्य ने इस विधेयक की कमजोरियों की ओर सदन का और प्रदेश की जनता का तथा न्यायालयों का ध्यान आकर्षित किया है ।

श्रीमन्, इसमें तीन बातें हैं । पहली बात तो धारा ३७ है। उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम जनरल फिल्म्स कम्पनी के वाद पर एक फैसला दे दिया कि जिस दिन कोई मुकदमा निर्णीत होता है तो उस निर्णय में श्रीमन्, अपील निहित होती है और उस दिन जो रेट रहे उसकी फीस का, जब कभी भी अपील बाद में हो तो वह उस पर लागू होनी चाहिए। यह तो एक नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय है और न्याय की बारीकी में पड़ कर के यह फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने दे दिया । मगर सरकार ने क्या किया ? सरकार तो समझती है कि इस विधेयक में दफा ३६ के बाद काफी अभी जगह खाली है । तो सरकार ने वहां पर यह कहा कि जज जानते नहीं कि अभी इसमें इतनी जगह खाली है, इतने में तो बहुत से सेक्शंस बढ़ाये जा सकते हैं । यह बात देखने में चाहे भले ही छोटी लगे मगर बहुत बड़ी बात है ।

श्रीमन, अध्यादेश के अननुमोदन के प्रस्ताव पर भी इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं । बहुत सोचने के बाद मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार ने यह संशोधन विधेयक लाकर कम से कम न्याय की हत्या तो पहले-पहल उत्तर प्रदेश में कर ही दी है । मुझे यह मालूम नहीं कि बम्बई की सरकार जहां पर कि यह वाद उठा, अपने बचाव के लिए ऐसा कोई संशोधन विधेयक लायी है या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, माननीय मंत्री जी के पास हो तो वह बतायेंगे, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार तो इन बातों में सब से आगे है, पुलिस को डंडे मारना हो तो यहां की पुलिस सब से आगे मारेगी, गोली चलाना हो तो बम्बई, कलकत्ता सब पीछे रह जायेंगे, यहां की पुलिस पहले चलायेगी, और आपसी झगड़ा करना हो तो उसमें भी यहां सबसे आगे हैं । आपसी झगड़े और जगह भी हुए लेकिन मुख्य मंत्री यहीं का बदला । तो ३६ के बाद ३७ जोड़ दिया । कहा गया कि इतना रुपया देना न पड़े ।

मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के नागरिक जिनके अधिकारों की सुरक्षा सम्बन्धी अनेक खंड संविधान में भरे पड़े हैं, उन नागरिकों की सुरक्षा के लिये उनको सहज न्याय दिलाने के लिये अगर आपको करोड़ों रुपया डुबाना पड़ जाय तो उसको डूबने दिया जाय । यह न्याय है और यही न्याय की मंशा है । हमारे महाअधिवक्ता जब इस सदन में आये तो उन्होंने यह राय दी थी कि "जजेज तो केवल कानून देखते हैं । उनके सामने कानून की किताब होती है । कानून की धारा में जो बात आई और उस कानून के मुताबिक जो घटना घटी उसी से वह उसका वारा न्यारा करते हैं और अपना निर्णय देते हैं । वह तो कानून की किताब से बंधे हुये हैं ।" यह विधान सभा तो उससे परे है । यहां पर माननीय सदस्य किसी से बंधे नहीं हैं । यहां पर तो कल्याण की भावना से देखना चाहिये कि आया हम जो चीज कर रहे हैं उससे जनता का कितना लाभ है या जनता का कल्याण उससे होता है या नहीं । न्यायालयों में कानून के तहत में आज यह देखने में आता है कि कत्ल की अपील खारिज हो जाती है । मेरे जिले देवरिया में दो कत्ल

की अपीलें खारिज हो गईं। यदि इस माननीय सदन को यह अधिकार हो कि वह कातिल को सजा दे तो यह सदन कभी भी कातिल को छोड़ नहीं सकता क्योंकि यहां पर सदन यह समझता है कि अगर एक कातिल छूट जायगा तो सैकड़ों कत्ल होने लगेंगे। वह लोक कल्याण की भावना जजों के अन्दर नहीं रहती है। वह तो कानून देखते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देता है कि सब को न्याय मिलना चाहिये तो सब को न्याय मिलना चाहिये। उसमें पैसे का सवाल नहीं होना चाहिये। न्याय की हत्या करने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार यह संशोधन विधेयक लाई है। इसके लिये दलील यह दी जाती है कि हमको पुराना पैसा इतना सारा वापस करना पड़ेगा।

सरकार का आज कल यह रवइया हो गया है और इसी उद्देश्य से गन्ना उपकर के सम्बन्ध में वह आर्डिनेन्स सरकार लाई थी। उसमें भी यही कहा गया था कि सरकार को वह रुपया वापस न करना पड़े इसलिये उस आर्डिनेंस की आवश्यकता हुई। आप चाहे पैसे का सदुपयोग करते हों या दुरुपयोग करते हों यह दूसरी बात है। न्याय की बात यही है कि सरकार को न्याय का गला घोटने के लिये कम से कम यह नहीं करना चाहिये। मुख्य मन्त्री केराला के श्री नम्बूदरीपाद जब दिल्ली गये थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों में एक भाषण दिया था। वह एडवोकेट वहां पर बड़े परेशान हुये कि वहां पर बड़े-बड़े प्लीडर लोग बैठे हैं, उनके सामने क्या कहा जाय। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं कोई कानून नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कानून में कामन सेन्स की बहुत जरूरत पड़ती है। उसी कामन सेन्स के अनुसार उन्होंने उसमें भाषण दिया। यहां पर यह सरकार सहज बुद्धि का परिचय भी हमको नहीं दे रही है और कामन सेन्स की बात तो दूर रही। जिस सरकार के पास कामन सेन्स न हो तो वह कोई काम कर सकती है, हरगिज नहीं कर सकती। जिस सरकार के पास नेचुरल जस्टिस न हो, जिस सरकार के पास कामन सेन्स न हो और संविधान के अन्दर जो गारन्टीड न्याय है और जो सरकार वह न्याय भी न दिला सके तो उससे जनता का कल्याण कैसे हो सकता है ?

आगे चलकर दसवें शिड्यूल में कहा गया है कि "टु बि प्रजेन्टेड, साइन्ड बाइ दि एडवोकेट" एडवोकेट नहीं बल्कि वह जजेज के चार्ज में होना चाहिये। इसमें एक जरा-सा लैकुना रह गया था मगर सरकार ने देखा कि इसमें एडवोकेट आ गया है तो एटार्नी जनरल भी इसमें आना चाहिये। उसको क्यों छोड़ा जाय। इस वजह से उसको भी इसके अन्दर ले आये। श्रीमन्, आपको याद होगा कि कानपुर के पूंजीपतियों ने लगभग ३ करोड़ रुपया इन्कम टैक्स में चोरी किया और यह सरकार देखती रही और इसने कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तो एडवोकेट की जगह प्लीडर निकल गया, एटार्नी जनरल निकल गया, इसलिये जरूर इसमें ला दीजिये। अप्लीकेशन आफ पिटीशन की जगह क्या हुआ ? मेमोरेन्डम आफ अपील्स हैं लेकिन इसमें नहीं लिखा, इसलिये ला दीजिये कि सरकार को कुछ आमदनी हो जायगी। इसके खिलाफ कानपुर के पूंजीपति हैं ढाई, तीन करोड़ रुपया चुराये हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया। एलेक्ट्रिसिटी ड्यूज लाखों लाखों रुपया उनके पास बाकी पड़ा है, लेकिन सरकार ने उसके लिये कुछ नहीं किया। छान-बीन बेचारे किस की करते ? सरकार की कार्रवाई जरा देखें तो। जिस काम से जनता का फायदा होने वाला है, उस काम की तरफ तो सरकार का ध्यान जायेगा नहीं लेकिन अगर पूंजीपतियों का फायदा होने वाली कोई बात है तो सरकार बाल की खाल निकाल लेगी। अपने फायदे के लिये यह कुछ भी कर सकती है।

जैसा आपको मालूम है, ६४ लोगों के हाथ में सारे देश का धन आज है जो जनता का धन लूट कर, शोषण करके इकट्ठा किये हैं। आपने उस धन को लेने का कोई प्रयत्न नहीं किया। माननीय गौरीशंकर राय जी ने बिल्कुल ठीक कहा। ब्रिटिश इंडिया कम्पनी के कुछ कर्मचारियों ने यह महसूस किया था कि यहां न्याय सस्ता होना चाहिये, मंहगा नहीं। आज उसी शेड्यूल में रिट पेटीशन के लिए ५ रुपये की जगह आपने ५० रूपये कर रखा है।

[श्री उग्रसेन]

हमारे यहां मोटर आपरेटर्स हैं प्राइवेट । वे आज डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, लेकिन अगर उनको स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथारिटी के सामने जाना पड़ता है तो उन पर भी टैक्स है। अगर ट्रिब्यूनल में जाइये तो टैक्स दीजिये, एस० टी० ए० के सामने जाइये तो टैक्स दीजिये, कहीं जाइये तो टैक्स दीजिये, यह क्या है ? सब जगह आपने टैक्स लगा रखा है । मैंने उस दिन निवेदन किया था और उसे दोहराना मैं अपना परम कर्त्तव्य समझता हूं । जस्टिस धवन ने अपने एक फैसले में अभी हाल में एक सरकारी रेलवे कर्मचारी के केस में निर्णय दिया है कि "जस्टिस इज जस्ट लाइक अशोका होटल, इफ वन कैन एफोर्ड इट ।" न्याय क्या है इस सरकार में वह इस बात से साफ है । वह अशोका होटल के समान है जिसमें अगर गांठ पूरी हो तो हर कोई जा सकता है ।

(इस समय २ बजकर २ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए ।)

कितनी ही संवैधानिक हत्या की जाय, लेकिन ५० रुपया फीस जब तक न होगी कोई व्यक्ति संविधान की दफा २२६, २२७ में रिट में नहीं जा सकता । हमारी गाड़ियों का चालान हो जाय लेकिन जब तक फीस न होगी हम एस० टी० ए० में नहीं जा सकते । आपने तो विदेशों में भ्रमण किया है, योरप, अमरीका सब जगह घूमें हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे भी मुल्क है जहां पीपुल्स कोर्ट हैं । लेकिन हमारे यहां ऐसे कोर्ट हैं कि जहां दो दो सौ पेशियां पड़ती है सिर्फ तहसीलदार के यहां चाहे वह घोसी का तहसीलदार हो या सलेमपुर का, पडरौना का मामला हो या हाटा का या बांसी तहसील का । १५० तक तारीखें पड़ जाती हैं ....

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—पहले तो इतनी गलत बात कहने पर छतें गिर जाया करती थीं, ऐसा सुनते हैं ।

श्री उग्रसेन—तो यह सरकार भी मजबूती के साथ आयी है जिसकी वजह से ही शायद यह छत नहीं गिर रही है, लेकिन इतना तो मैं माननीय मंत्री जी को दिखा सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं कहता हूं कि इसको कम से कम आप बजट डिस्कशन न बनाइये ।

श्री उग्रसेन—ठीक है । माननीय मंत्री जी ने कहा इसलिये मैंने निवेदन किया । उनके पास १५ रोजा रिपोर्ट आती है कि कितने मुकदमें फैसल हुए और कितने बाकी हैं, लेकिन उसमें किस तरह से तथ्य छिपाया जाता है इसको मैं जानता हूं । माननीय मंत्री जी मुलजिम होकर कभी जाने की हालत में नहीं रहे, अगर उनको कभी जाना पड़ा होता मुलजिम की हैसियत से तो उनको उसकी पूरी जानकारी होती ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो यह संशोधन विधेयक आया है उस से सहज न्याय की हत्या होती है और कर कम नहीं किये गये हैं । इससे जनता को सस्ता न्याय मिलने वाला नहीं है । इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको वापस लें और इसकी परिधि को व्यापक करते हुए एक ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत करें कि जिससे जनता का कल्याण हो, जनता को सहूलियत मिल सके और उसे कम खर्च में न्याय मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के संबंध में जो संशोधन लाया गया है और जो यह मांग की गयी है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय जो अपनी रिपोर्ट ७ दिन के अन्दर दे, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं । अभी अभी मैंने माननीय उग्रसेन जी की स्पीच को सुना, और जैसा कि आपने अभी टोका भी था उनकी स्पीच के दौरान में कि वे जो कुछ कह रहे हैं उसका इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है, ठीक था और जो कुछ भी उन्होंने कहा उन बातों का इस विधेयक से कोई संबंध न था । अगर आप और पहले ही आ गये होते तो यह काम और भी हलका हो गया होता ।

हमारे माननीय लहरी जी ने भी जो कुछ कहा, उसको सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और ऐसा प्रतीत हुआ कि मान उन्होंने माननीय मंत्री जी की स्पीच को सुना ही नहीं और न उस संदर्भ को ही सुना जिसके कारण इस विधेयक को लाना पड़ा और संशोधन किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वह बाहर से आये हुये थे, और यकायक उन्होंने आकर इस स्पीच को दे डाला।

श्री जगन्नाथ लहरी—आपका खयाल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य कृपया आपस में बात न करें।

श्री रामेश्वरप्रसाद—मैं यह कह रहा था कि उन्होंने जो यह कहा कि यह एमेंडिंग बिल लाकर इस मौजूदा सरकार ने न्याय का गला घोटा है और उसके समर्थन में जो कुछ भी कहा, और कहते-कहते वे यहां तक चले गये और यह कहा कि जिस प्रकार भेड़िया बकरी के बच्चे को खाना चाहता है उसी प्रकार ह बिल गरीब जनता को चूसने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने यह एक पिटी पिटाई मिसाल दी जिसका इस बिल से कोई वास्ता नहीं। माननीय सदस्यों ने जो यह कहा कि यह सरकार बराबर न्याय को महंगा करती चली जा रही है, कोर्ट फीस को बढ़ाती चली जा रही है, तथा और भी अनेक विशेषणों से इसको संशोधित किया, उन सब का संबंध इस विधेयक के किसी क्लाज से न था। मैं कहता हूं कि यदि माननीय सदस्यों ने कृपा करके इस छोटे से विधेयक को पढ़ लिया होता, इन दो चार लाइनों के विधेयक को पढ़ लिया होता, तो वे कभी भी ऐसी बात न कहते।

माननीय लहरी जी के भाषण को सुन कर माननीय सदस्य ने, जो उधर बैठे हैं, यह भी कहा कि इस बिल के ऊपर कांग्रेस बेन्चेज की तरफ से भी आपत्ति उठाई गयी है और इस सरकार की नीति से उस तरफ के सदस्य भी सहमत नहीं हैं। मैं कहता हूं कि अगर कोई सदस्य किसी बात को न समझ सकें और अपनी बात कह जायं तो उस पर यह कहना कि जो कांग्रेस की सरकार है उसको उनकी बात से गाइड होना चाहिये, गलत है। यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है किन्तु वह कांग्रेस की नीति नहीं हो सकती। यह हो सकता है कि वे उस प्वाइन्ट को न पकड़ पाये हों और जंगल में रोने की तरह अपनी बात को कह जायं। तो उनके कहने का सरकार की नीति पर कोई असर नहीं पड़ता और न ही उसका यह इन्टर-प्रीटेशन ही लगाना चाहिये कि यह उनकी नीति के खिलाफ है। इससे उनका भी कोई लाभ होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि अभी चार छः दिन हुये जब इसी सदन में हम सब लोग, माननीय लहरी जी, उग्रसेन जी और सारे सदन ने आपकी अध्यक्षता में इस बिल के ड्राफ्ट को, जितने भी संशोधन हैं उनको स्वीकार किया है तो फिर मैं नहीं समझता कि हम इतने सख्त और कठोर शब्द कहने की कैसे हिम्मत रखते हैं। वही अध्यादेश आज हमारे सामने विधेयक के रूप में उपस्थित हुआ है। वही केवल तीन चार बातें ही इसमें हैं और जैसा कि मन्त्री जी ने स्पष्टीकरण किया, इसमें कोई नयी बात नहीं लिखी है। थोड़े दिन हुये जब इसी सदन ने यह नीति निर्धारित की थी कि प्रदेश में कोर्ट फीस बढ़ाई जानी चाहिये, रेट्स रिवाइज होने चाहिये और इसी सदन ने उसको एक कानून की शक्ल दी थी। इसलिये अब यह बात तर्क संगत नहीं है जैसा कि माननीय सदस्यों की ओर से कहा गया कि जब न्यायाधीश ने कोई फैसला दे दिया तो जो बिल यहां से पास हुआ था वह इन्वैलिड हो गया। उन्होंने एक राय उसके बारे में दे दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सदन या यह सरकार उन न्यायाधीशों का कोई अनादर करना चाहती है। मैं कहता हूं कि यह इन्टरप्रिटेशन लगाना ही गलत है। यह सरकार भी इस सदन की नीतियों से बंधी हुई है। जब भी कोई विधेयक सदन के सामने आता है, सरकार कोई नीति रखती है तो उसको मानना या न मानना सदन के हाथ में रहता है। जब इस सदन से कोई नीति जनता के कल्याणार्थ पारित होती है तो अदालत या न्यायाधीश स्वतंत्र होते हैं उसका अर्थ लगाने में और यदि किसी माननीय न्यायाधीश ने हमारी नीति का अर्थ अपने माने में दूसरी तरह से लगा लिया तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि सदन उस नीति को ही छोड़

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

दे । सदन ने यह तय किया कि कोर्ट फीस के बारे में हम यह नीति अपनायेंगे, लेकिन न्यायाधीश ने उस नीति का अर्थ कुछ और लगा लिया और उस पर अपनी राय दे दी । उनकी राय तो शिरोधार्य है ही, उसको ठुकराने का कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन इस सदन की जो नीति है उसको अपनी जगह पर कायम रखने के लिये संविधान के अनुकूल सदन को अधिकार है कि स्पष्ट शब्दों में उसको फिर कायम करे । बस इतना सा ही अर्थ इस छोटे से बिल में छिपा हुआ है ।

जब हम इस बिडम्बना में पड़ जाते हैं कि सरकार की नीति गलत है तो वहीं से हम भी गलती करने लगते हैं और इसी आधार पर गलत भाषण हो जाते हैं जैसे कि माननीय लहरी जी फा हुआ । (व्यवधान) सदन की नीति थी कि हम कोर्ट फीस को उन अपीलों पर भी लागू फरना चाहते हैं किसी खास ऐक्ट से । न्यायाधीश ने उस ऐक्ट को इनवैलिड किया ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—बार बार व्यवधान ठीक नहीं है । आप लोग सब्र से दूसरों के भाषण सुनने की आदत सीखें ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—कोर्ट फीस लगाने के बारे में न्यायाधीश ने अपनी राय दे दी । सरकार सदन में फिर उसी नीति को लाई है और चाहती है कि उसे इम्पोज किया जाय, कायम किया जाय ।

दूसरी बात यह है कि इस नन्हें से विधेयक में, दूसरी लाइन में, सरकार का यह संशोधन पेश करने का मंशा है, जैसा उग्रसेन जी ने भी माना कि एडवोकेट्स कोर्ट फीस दे देते है लेकिन वकील और एटार्नी, शाब्दिक परिभाषा के कारण, उससे बच जाते हैं । तो सरकार चाहती है कि उस परिभाषा को वाइड करके उनको भी इनक्लूड किया जाय ।

तीसरी बात यह है कि स्पेशल मैरेज ऐक्ट, १९५५ और हिन्दू मैरेज ऐक्ट, १९५४ इन दोनों की दरख्वास्तें जब पड़ती है, तो उन पर कोर्ट फीस इम्पोज होगी । लेकिन अपील के लिये कोर्ट फीस होने की बाइंडिंग नहीं है । अगर उन पर भी फीस लेने का प्रावीजन किया जा रहा है तो वह बिलकुल न्यायसंगत है । उससे पहाड़ टूटने वाला नहीं है । जनता के हित की दुहाई देकर माननीय सदस्यों ने जोरदार शब्दों में इस विधेयक की भर्त्सना की.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस प्रकार कुछ कहना पूरे सदन के लिये हो जाता है ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा ।

मैं समझता हूं कि इस छोटे से विधेयक पर अधिक समय लेने की बात ज्यादती होगी, इसलिये मैं अधिक समय नहीं लूंगा । मैंने ३ चीजों पर इसके विषय में स्पष्टीकरण दे दिया है । इससे प्रदेश की जनता पर कोई संकट आने वाला नहीं है । केवल पहली नीति को ही कायम रखना है । यह बिल उनको भेड़िये की तरह से दिखाई देता है जो प्रदेश की जनता को खा जायगा, ऐसी कोई बात इससे होने वाली नहीं है । इसलिये इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज कर पैसा बरबाद करना वाजिब बात नहीं है । अगर ऐसा जरूरी होता तो मैं स्वयं उसका समर्थन करता । इसलिये प्रस्तुत विधेयक का मैं समर्थन करता हूं और आए हुये संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री जगन्नाथ लहरी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रथा मैं चलाना नहीं चाहता हूं । आप उनसे मिल कर पूछ लें ।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय, मैं आपका और आदरणीय सदन का अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन दो एक बातों के बारे में, जो सिद्धान्त की हैं, अपने नाचीज खयालात पेश करने की इच्छा करता हूं ।

श्रीमन्, यह एक सिद्धान्त का विषय है जहां तक कोर्ट फीस लगाने का सवाल है । अगर कोर्ट फीस के इतिहास को देखें या और मुल्कों की बातों को हम देखें तो प्रायः यह पाया जाता है कि न्याय बेचा नहीं जाता है । इंग्लैंड में भी इस प्रकार की कोर्ट फीस नहीं है जैसी हमारे यहां है । जब कभी कोर्ट फीस बढ़ाने की बात आती है तो उसका सबसे बड़ा कारण सरकार यह बताती है कि इस प्रदेश में विभिन्न योजनाओं को आगे चलाना है जिससे राष्ट्र आगे बढ़े । इन योजनाओं संबंधी और सामुदायिक विकास की योजनाओं के बारे में हमारे सदस्यों की एक कमेटी बनी थी जिसके सदर गोविन्दसहाय जी थे, जिनकी काबलियत के बारे में, विरोधी पक्ष वाले तो क्या, कांग्रेसियों को भी सन्देह नहीं है । उन्होंने कहा है कि अपने यहां योजनाओं की असफलता का मुख्य कारण चरित्र का दिनोंदिन पतन है । जब तक चरित्र ठीक नहीं होगा, तब तक अरबों, खरबों और टनों रुपया भी खर्च करने पर सफलता नहीं मिल सकती । सन् १ ३९ में, जब अंग्रेज थे, तो १२।। करोड़ का हमारा बजट था और आज २१ वर्ष बाद यह १।। अरब का हो गया है । अगर इस बजट को हम १० गुना भी करें तो भी वह खुशहाली नहीं आ रही है जो पहले थी । लोगों का कहना है कि हमारा मारल डिग्रेडेशन हो रहा है । अगर कोई इंजीनियर कहीं काम करने जाता है....

श्री उपाध्यक्ष--मैं इस विषय पर लम्बे भाषण की इजाजत नहीं दे सकता हूं । आप केवल पार्सिंग रैफरेंस देकर विषय पर आ जाइये । कृपया लम्बा भाषण न दें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--मैं खुद ही ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं । १५ मिनट में खत्म कर दूंगा ।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि नैतिक पतन पर अंकुश होना जरूरी है । आये दिन हमको देखने को मिलता है कि फलां बांध बना, वह टूट गया, फलां जगह नाली का पुल बना वह टूट गया या इमारत बनी वह गिर गई । ऐसा क्यों होता है ? इसका कोई कारण अवश्य है । यह इसलिये होता है कि सीमेंट उचित मात्रा में नहीं मिलाया जाता है । इस लिये इस अनसोशल ऐलीमेंट पर सरकार के लिये काबू रखना बहुत जरूरी है । किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति, उसकी संपत्ति और उसकी प्रतिष्ठा की सुरक्षा करना सरकार का पहला कर्त्तव्य है । यह उसका मूल अधिकार है । अब व्यक्ति में समाज भी आ जाता है । जितने मुकदमें होते हैं वे भी इन्हीं तीनों के बारे में होते हैं । लेकिन अब सरकार कहती है कि अगर तुम इन तीनों की सुरक्षा चाहते हो तो पहले इतने रुपये हम को दो । मान लीजिये १०० रुपया पर १० रुपया, २०० रुपया पर २० रुपया और ३०० रुपया पर पहले तो ३० थे लेकिन अब बढ़ा दिये गये हैं यानी पहले सरकार का कोटा पूरा होना चाहिये, तब किसी को न्याय मिलेगा । गर्ज कि इन्साफ बिकने लगा है और दिनों दिन योजना बनाने के नाम पर महंगा किया जाता है । इस कारण से व्यक्ति, संपत्ति और इज्जत की सुरक्षा में ह्रास होता जाता है । गरीब के यहां चोरी होती है, लेकिन चूंकि वह खर्च नहीं कर सकता है इसलिये न्यायालय के दरवाजे उसके लिये बन्द हैं । मेहरोत्रा जी पूछ रहे हैं कि गरीब मुकदमा लड़ेगा क्यों ? वह लड़ेगा इसलिये कि कोई बाअसर आदमी उसका रास्ता रोक दे, उसके खेत पर कब्जा कर ले, उसकी जमीन पर कानपुर में मकान बनवा ले, इसके लिये वह लड़ेगा । रात दिन नाजायज बेदखलियों के मामले हमारे सामने आते हैं । अगर न्याय बिकेगा तो कमलापति और सिंहानिया उसको खरीद लेंगे और गरीब उसके लिये खर्च नहीं कर पायेगा । इसलिये योजना या और किसी सुन्दर चीज का नाम लेकर इंसाफ को महंगा कर दिये जाने का मैं विरोध करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

हमारे यहां ला कमीशन बैठा था। उसकी यह डैफोनिट राय थी कि कोर्ट फीस को रुपये कमाने का साधन सरकार को नहीं बनाना चाहिये। उस कमीशन में एम० सी० सीतलवाड़ सरीखे बड़े बड़े विद्वान् आदमी मौजूद थे। मुश्किल यह है कि यहां पर जितना कोर्ट फीस वसूल किया जाता है वह उससे कहीं ज्यादा होता है जो अदालतों पर खर्चा होता है। इस प्रकार से लाखों रुपया दूसरे कामों के लिये सरकार बचाती है। पहले तो यह कहा जाता था कि हम जब किसी को न्याय देते हैं तो उस पर अदालतों और मुंसिफों आदि पर खर्चा तो होता ही है, इसलिये कोर्ट फीस लगायी जाती है। लेकिन अब तनख्वाह और खर्चे का सवाल ही नहीं है। अब तो कहा जाता है कि विधान सभा में बड़े अच्छे, अच्छे चित्र लगाये जायं और उसके लिये रुपया कोर्ट फीस बढ़ा कर लाया जाय। इसके लिये तो मैं आदरणीय सदन के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई।

लार्ड मैक ले, जिसने ताजीरात हिन्द आदि किताबें बनायीं, उसने भी इस तरह के टैक्स लगाये जाने का विरोध किया था। इस प्रकार अंग्रेजों ने भी इसका विरोध किया था लेकिन अब हम आजाद हो गये हैं तो यह भारत सरकार और खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार दिनों दिन कोर्ट फीस को बढ़ाती जा रही है।

अभी-अभी मैं श्री रामेश्वरप्रसाद जी की बात सुन रहा था जिन्होंने कहा है कि यह कोर्ट फीस तो हिन्दू मैरेज ऐक्ट के मातहत जो अर्जियां हैं उन्हीं पर हम बढ़ रहे हैं, सब पर तो बढ़ा नहीं रहे हैं। मैं पूछता हूं कि किसने कहा था हिन्दू मैरेज ऐक्ट बनाने के लिये, उसकी क्या जरूरत थी? एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम जाति पांति, धर्म विभेद को नहीं मानते लेकिन दूसरी तरफ हिन्दू मैरेज ऐक्ट बनाती है जो केवल हिन्दुओं पर ही लागू होता है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह विशेष असंगत सा हो रहा है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---यह इसमें आया है, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष---आपकी मंशा मैं समझ गया, लेकिन इस तरह से व्यापक बहस करने की इजाजत मैं नहीं देता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं यह कह रहा था कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम सब धर्म को समान मानते हैं लेकिन हिन्दू जब शादी करते हैं तो उन पर वह टैक्स लगाती है। यही प्वाइंट मैं कहना चाहता था।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पंडे-पुजारी पहले शादी के मौके पर दक्षिणा लेते थे उसी तरह से यह सरकार पंडे-पुजारियों का स्थान ले रही है और हिन्दुओं से कहती है कि अब हमें ही वह दक्षिणा दो।

श्री रामेश्वरप्रसाद जी ने कहा कि इसका मकसद यह नहीं है कि न्यायाधीशों की कोई तौहीन होगी। श्रीमन्, अगर ऐसी बात होती तो हाई कोर्ट द्वारा इंटरप्रिटेशन होने पर सरकार फौरन उसे बदलने के लिये अमेंडमेंट नहीं लाती और इस तरह से जल्दीबाजी में कोई बिल पास कराने के पहले वह सेलेक्ट कमेटी में ले जाकर उस पर विचार-विमर्श करा लेती।

श्रीमन्, आज ही एक सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने वेयर हाउससेज कारपोरेशन बिल के सम्बन्ध में कहा कि उसे धीरे-धीरे लागू किया जायगा। दो साल उसे बने हुए हो गये लेकिन उसे लागू इसलिये नहीं किया जा रहा है कि उसके अल्टरावायरस हो जाने की बात सोची जा रही है। जब मैंने उस बिल को सेलेक्ट कमेटी में जांच के लिये भेजने की बात कही थी तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि विरोधी दल वाले तो केवल डिले करने के लिये इस तरह की बातें कहा करते हैं लेकिन आज उस सरकार के जो सक्सेसर हैं वे कहते हैं कि यह सारा

का सारा बिल ही गलत है। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह से हेस्टी लेजिसलेशन किया ही क्यों जाता है ? इस तरह से जो यह कोर्ट फीस में ज्यादती की गयी है वह बिलकुल गलत है। सरकार को चाहिये कि सारी बातों पर अच्छी तरह से सोच विचार कर कोई कम्प्रीहेंसिव बिल लावे जो उचित हो और जिससे छोटे-छोटे मुकदमें वाले टैक्स के बोझ से बच सकें।

सरकार द्वारा न्यायाधीशों की बेइज्जती का कोई प्रश्न श्री रामेश्वर जी के कथनानुसार नहीं है तो सरकार को कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के सामने सर झुकाना चाहिये। उनकी बात न मान कर फौरन कानून में अमेंडमेंट लाने में एक तरह से तो उनकी इनडाइरेक्ट तौहीन होती है। इसलिये रामेश्वरप्रसाद जी को इस बात को भी अपने ध्यान में रखना चाहिये।

जहां तक अपीलों का सम्बन्ध है, जब कोई आदमी लोअर कोर्ट में मुकदमा दायर करता है और लोअर कोर्ट में उसका फैसला होने के दौरान में ही मान लीजिये कि कोर्ट फीस बढ़ जाती है तो यह उसके साथ ज्यादती हो जायगी। क्योंकि गरीब आदमी जो कोर्ट में गया था वह तो उस समय अपनी जेब देख कर ही गया था कि इस लिमिट तक इसमें खर्च होगा। सरकार ने ५० हजार वालों के लिये जो कोर्ट फीस लगाने की बात कही है ....

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी---और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, एक लोअर कोर्ट में किसी गरीब ने अपनी जेब देख कर कोई ओरिजिनल पेटीशन दिया और उसके बाद सरकार ने फीस बढ़ा दी। एक प्रासेस चल रहा है वही इशूज है जिन पर फैसला होना है लेकिन जिस दिन समाप्त हो उस दिन जो सरकार की बढ़ी हुई फीस होगी वह उससे ली जायगी यह कहां तक उचित है। बहुत से जजमेंट्स होते हैं कि वह नीचे नहीं हो पाते उन में अपील में फैसला होता है तो ऐसी हालत में कोर्ट फीस उस समय की ली जायगी जब फैसला होता है ? पहले किसी ने अपनी जेब को देख कर मुकदमा दायर किया और बाद में उससे कहा जाय कि अब खर्च इतना नहीं इतना और दो। इस तरह से तो न्याय का दरवाजा बन्द किया जा रहा है। प्रासेस तो शुरू हो गया जब कि मुकदमा दायर किया गया, वह अब कोई नई रेमेडी नहीं मांग रहा है क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड में कोई नई प्लीज वह नहीं ले सकते, इशूज के बाहर नहीं जाने दिया जाता और उसी बात पर पूरी बहस सुनी जाती है जो मूलतः शुरू में पेश की जाती है। यह कहना गलत होगा कि कोई नया प्रोसीजर, पहले प्रासेस को जो कन्टीन्यूड था इन्टरफीयर कर रहा है। मुझे तो डर है कि यह बात फिर अल्ट्रावायरस हो जायगी और फिर वेयरहाउसेज में जैसा हुआ था कि वह संविधान के खिलाफ है और फिर उसमें तरमीम लानी पड़ी। अतः मैं चाहता हूं कि इस तरह की बात इस विधेयक से हटायी जाय और अगर नहीं हटाते हैं तो इसको सेलेक्ट कमेटी में जानें दें और वहां पर इस पर विचार-विनिमय हो जाय और तब यह फिर से यहां आये।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन इसमें प्रस्तुत किया था, वैसे तो जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक वह शब्द मजबूरन इसमें रखना पड़े लेकिन बात असल में यह है कि यह बिल न तो दिल को गवारा हुआ और न दिमाग को गवारा हुआ..

श्री उपाध्यक्ष---आप का संशोधन पेश तो नहीं हुआ है। आप दोबारा बोल रहें हों तो बैठिये।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, मुझे बोलने का तो अधिकार है, मैं समर्थन कर रहा हूं, वह करते या मैं करता....

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है तो आप यह कहें कि मैं श्री प्रतापसिंह का समर्थन कर रहा हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर——जो संशोधन श्री प्रतापसिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। न तो इस को दिल ने और न दिमाग ने ही गवारा किया और सत्य बात तो यह है कि सारे प्रदेश की ७ करोड़ जनता इसको हरगिज कबूल करने को तैयार नहीं है। माननीय रामस्वरूप जी इसको भले ही प्रदेश पर थोप दें उनकी मेजारिटी है, उनकी हुकूमत है, उनकी ओवरव्हेलमिंग मेजारिटी है वह दोनों हाथ से इसको लागू कर देंगे। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसको चन्द दिन हुये, सदन इसको अध्यादेश के रूप में स्वीकार कर चुका है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि यहां अध्यादेश आया और उसे माननीय सदन ने स्वीकार कर लिया तो कैसे अब इधर से लोग इसका विरोध करने की हिम्मत करते हैं और इसके लिये उनको बड़ा अफसोस है। जब यहां पर यह चीज अध्यादेश के रूप में आई तो हमारी ओर से किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया था। भारी भरकम शरीर है मेजारिटी का वह हमारे ऊपर गिर पड़े तो दूसरी बात है, इस तरह से स्वीकार करना कहा जाय बोझ लादकर, बाकी हमारी तरफ से किसी ने भी इसे स्वीकार किया नहीं और न अब ही कोई इसे स्वीकार करने को तैयार है।

श्री रामस्वरूप यादव——उनका आशय था कि कोर्ट फीस जो लागू है उसे स्वीकार किया था।

श्री शिवप्रसाद नागर——इसमें लिखा है कि बम्बई में कोई मुकदमा हुआ था उसके सम्बन्ध में यह अल्ट्रावायरस कर दिया गया। लिखा गया है, "कोर्ट फीस ऐक्ट में कतिपय त्रुटियों को जो बम्बई राज्य बनाम सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेंज लिमिटेड नामक बाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा प्रकाश में आई थी, दूर करने के उद्देश्य से नवम्बर, १९६० में कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० प्रख्यापित किया गया था।" यह बात है। कोई और कारण नहीं है इसका। हमारे प्रदेश में कोई ऐसी बात नहीं हुई। बम्बई में ऐसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, और ख्वाब आ गया हमारी सरकार को और वह संशोधन ले आई। यह फैसला कब सुप्रीम कोर्ट से हुआ था इसका जिक्र नहीं किया गया। लाए क्या? अध्यादेश। समझ में नहीं आया, कौन-सा पहाड़ गिरा पड़ता था कि एक दम से अध्यादेश ले आए। साल भर.....

श्री उपाध्यक्ष——अध्यादेश का समय तो खत्म हो गया। अब तो बिल पर बोलिए।

श्री शिवप्रसाद नागर——बात मैं बिल की कर रहा हूं। क्योंकि ट्रेजरी बैंच से अध्यादेश का जिक्र किया गया है इसलिये जब उधर से जिक्र कर दिया गया है तो उसका जबाव भी जरूरी है और अगर जबाव न दिया जाय तो अपोजीशन के लिये बड़ी नामर्दी की बात है.....

श्री उपाध्यक्ष——इस समय आर्डिनेंस तो विचारधीन है नहीं। बिल विचाराधीन है। उनकी बात का उत्तर तो आप दे चुके कि हमने स्वीकार नहीं किया उसे। तो फिर अध्यादेश....

श्री शिवप्रसाद नागर——अध्यादेश कच्चा माल है और यह उसका प्रोडक्शन है। इसलिये जरूरी है कि उसका जिक्र किया जाय। तो वह अध्यादेश लायें....

श्री उपाध्यक्ष——मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार उस बात को दूसरे ढंग से पेश करके वह सदन की इज्जत नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर——मैं माफी चाहता हूं। दोहराऊंगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष——और बात कहिए।

श्री शिवप्रसाद नागर——मैं बिल की ही बात कह रहा हूं। कहने का मंशा यह है कि कितने दिन हो गये फैसला हुए और अब अमेन्डमेन्ट लाया गया। क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है, इस बात का कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया।

इस विधेयक में, बहुत सी ऐसी बातें जो कि जरूरी थीं वह नहीं लाई गईं और बहुत सी गैर-जरूरी बातें रख दी गईं। गैर-जरूरी बातों में यह है कि जैसे हिन्दू मैरेज ऐक्ट, स्पेशल मैरेज ऐक्ट को भी इसमें इंवाल्व कर दिया गया। कितनी अपीलें हुई हिन्दू मैरेज और स्पेशल मैरेज ऐक्ट की उत्तर प्रदेश में ? कोई आंकड़े हैं ? मैं समझता हूं कि शायद कहीं दस-बीस वर्ष में एक केस ऐसा हुआ होगा। पता नहीं इसको क्यों इसमें इंवाल्व कर दिया ? शायद कोई ही मुकदमा हिन्दू मैरेज या स्पेशल मैरेज ऐक्ट का ४–६ वर्ष में एकाध अखबार में आया हो। एक घटना मैं बता दूं। मैं जब विधायक हो गया तो विधायक होने के बाद मैंने अपनी लड़की की शादी की। तो जिला खीरी के जितने कांग्रेसी थे, उन्होंने मेरे ऊपर शारदा ऐक्ट, स्पेशल मैरेज ऐक्ट, हिन्दू मैरेज ऐक्ट, बीसों ऐक्ट को मिलाकर मुकदमा चला दिया। इन कांग्रेस वालों ने जो मुकदमा चलाया उसके अलावा मैं समझता हूं और कोई मुकदमा उत्तर प्रदेश में नहीं चला।

इसमें कोई ऐसी चीज लाते जिससे कि कुछ फायदा होता। आज अदालतों में खड़े हुए चपरासी पेशियां बढ़ा देते हैं मिसलों के ऊपर। इसके लिये संशोधन लाते। वह लोग कह देते हैं मुवक्किल से कि फलां तारीख को आना। वह तारीख कौन-सी होती है ? इतवार। मैं लखीमपुर की मिसाल देता हूं चपरासियों के हाथ से बढ़ी हुई तारीखों के लिये और जो तारीख दी जाती है वह इतवार होता है। सैकड़ों तारीखें ऐसी लगती हैं जो इतवार को पड़ती हैं। ऐसा कोई अमेन्डमेन्ट लाते जिससे जनता को सुविधा होती, उसे उचित न्याय मिलता तो हम इस बिल का स्वागत करते।

एक बात और बताऊं। हम नहीं जानते और जिलों में है या नहीं, लेकिन जिला खीरी की बात है, एक–एक मुकदमे के जजमेन्ट की तारीखें २०-२०, २५-२५ पड़ती हैं। ६ महीने हो चुके हैं एक मुकदमे में आर्गुमेंट और एवीडेंसेज हो गये हैं सिर्फ जजमेंट के लिये तारीख लगा दी जाती हैं। उस तारीख को अगर आयें तो कह दिया कि आज नहीं फिर जजमेंट सुनायेंगे। इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है सिर्फ जजमेंट के लिये और जल्दी उनको असानी से न्याय प्राप्त नहीं होता। अगर ऐसा कोई संशोधन लाते इस बिल में जिससे जल्दी न्याय मिलता तो हम उसका स्वागत करते। जितनी कोर्ट फीस बढ़ती है उतनी ही तारीखें बढ़ती हैं। अगर न्याय प्राप्त करने के लिये और न्याय करने के लिये जल्दी, कोर्ट फीस बढ़ायी जाती है तो न्याय भी तो प्राप्त होना चाहिये। वह भी नहीं प्राप्त होता है। एक मिसाल बताता हूं, रोडवेज का मुकदमा मैं देख रहा हूं, लखीमपुर का मुकदमा आता है लखनऊ में . . .

श्री उपाध्यक्ष——अभी न्याय विभाग का बजट आने वाला है तब इस सम्बन्ध में कहियेगा। लेकिन अभी कोर्ट फीस को ले कर पूरे न्याय प्रशासन पर आप बहस करना चाहें वह मुनासिब नहीं है। क्योंकि एक तो परिधि बढ़ाने की बात नहीं कही गई। दूसरे यह विधेयक थोड़े से विषयों को टच करता है। अतः उन्हीं के पक्ष और विपक्ष में बोलें। पूरे न्याय प्रशास न पर आम बहस का अवसर नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर——आपकी आज्ञा शिरोधार्य। हालांकि उधर की बहस में कहा गया था। मैंने यह बात केवल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिये कही थी, एक सुझाव दिया है। अगर गैर जिले में मुकदमा हो तो न्याय बड़ा महंगा पड़ता है। और चाहे जितनी कोर्ट फीस आप लगा दें तो भी न्याय महंगा पड़ता है। बाहर से लोग लखनऊ आते हैं, तारीखें बढ़ती जाती हैं। ८-८, १०-१० बार सीतापुर, लखीमपुर और गोला से लोगों को लखनऊ आना पड़ता है सिर्फ न्याय प्राप्त करने के लिये जो वहां उन्हीं के जिले में प्राप्त हो

[श्री शिवप्रसाद नागर]

सकता है। अगर ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में होती तो ठीक था। केवल दुकान को महंगी करना मैं समझता हूं गलत बात है। इसको जनता कबूल नहीं करेगी। और किसी भी बात के कहने में रेफरेंस देना जरूरी हो जाता है। किसी भी उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, जब वकील अपनी बात कहते हैं तो उनको नजीरें पेश करनी पड़ती हैं ... .

श्री उपाध्यक्ष——मैंने आपसे निवेदन किया कि सुप्रीम कोर्ट की बात अलग है। यहां कुछ नियम बने हैं उन्हीं के मातहत काम करना पड़ेगा।

श्री शिवप्रसाद नागर——ठीक है श्रीमन्। जनता को न्याय चाहिये। आपने कोर्ट फीस अदा करने की बात जो अपील में भी इनवाल्व कर दी उस पर एक बात कहना चाहता हूं। अगर किसी शख्स के पास १० बीघे खेत है, डिस्प्यूट है और १,००० रु० उसकी कीमत है और सरकार ने उस खेत को ऐक्वायर कर लिया और १,००० रु० की जगह १०० रुपया उसकी कीमत आंक कर उसको दे दी और वह १,००० रु० का दावा सरकार के ऊपर करे तो उसने १०० कोर्ट फीस लगाकर १,००० रु० का दावा दायर किया और वह लोअर कोर्ट से हार गया, अपील में जाना चाहता है तो और रुपया कहां से देगा जब कि उसको १,००० रु० की जगह पहले ही से १०० रु० सरकार से मिले हैं।

श्री रामस्वरूप यादव——आपको कानून के बारे में बड़ा भ्रम है। अवार्ड के खिलाफ दावा दायर नहीं होता।

श्री शिवप्रसाद नागर——मैंने एक मिसाल आपके सामने रखी है कोई भी किसी जगह पर अगर नीचे से मुकदमा चलता है १०० रु० कोर्ट फीस दे कर न्याय प्राप्त करने के लिये, और उसके बाद वह उस मुकद्दमे को हार गया और इस ख्याल से कि आगे जाकर शायद न्याय हो जाय अपील में जाता है तो भी उसे कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। अगर मैं समझता हूं तो वही जो मेरे खयाल में आज की तारीख में दिया हुआ है, जो इसमें छपा हुआ है। अगर इस बिल के अलावा कोई मकसद है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। हमें एक कोर्ट फीस पर नीचे से ले कर ऊपर तक न्याया प्राप्त होना चाहिये। आज अगर हम इस दरवाजे से घुसे हैं, इस दरवाजे की फीस अदा कर दी है तो सारे मकान में जाने का अधिकार होना चाहिये। अगर दरवाजे का शुल्क अदा कर दिया, घर के दरवाजे पर कोर्ट फीस अदा कर दी तो छोटी कोर्ट, बड़ी कोर्ट जितनी कोर्टे हैं उनकी फीस हमने दे दी और कोर्ट फीस एक बार देने पर फिर चाहे जितने कोर्ट्स में जाना पड़े न्याय की मांग यह है कि दोबारा फिर कोर्ट फीस नहीं लगना चाहिये तभी गरीब को न्याय प्राप्त हो सकता है, वर्ना न्याय भी बड़े बड़े दौलतमन्द खरीदेंगे। जैसे भगवान को दौलत-मन्द खरीदते हैं उसी तरह से न्याय को भी दौलतमन्द खरीदेंगे।

अभी मेहरोत्रा जी ने कहा कि गरीब लड़ेगा ही नहीं। गरीब तो लड़ेगा ही। सारा जुल्म गरीब पर होता है। सारी आपदाये गरीबों पर आती हैं। बड़े बड़े करोड़पति या लखपति पर ४, ५ लाख का बकाया है लेकिन सरकार ने कोई नोटिस तक नहीं दिया। रिक-वरी होती है, बैल, घर, सामान की कुर्की होती है तो गरीब की। गरीब तो हल से लड़े, बैल से लड़े, धरती से लड़े, पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार से लड़े और सरकार से लड़े, सारी जिन्दगी लड़ते बीतती है। किसी बड़े आदमी को लड़ते देखा ही नहीं होगा, उसका पैसा लड़ता है और गरीब खुद लड़ता हैं।

गोविन्दसिंह विष्ट जब बोल रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले जमाने में लोग झूठ बोलते थे तो छत गिर पड़ती थी। इसमें कोई शक नहीं कि यह छत किसी और की बनवाई हुई है, इस सरकार की बनवाई हुई होती तो जरूर गिर पड़ती। एक न्यायालय में हम कोर्ट फीस अदा करके गुजरे तो मामला वही है, सबूत वही है, मिसिल वही, कागज वही, सारी

कहानी वही उसके लिये यहां भी एक कोर्ट फीस, ऊपर की अदालत में एक कोर्ट फीस, फिर उससे ऊपर की अदालत में एक कोर्ट फीस और फिर इसी की कोर्ट फीस बाकी रह जाती है १० गज कफन की जिसके लिये उसे और पैसा चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष——आपका समय समाप्त हो गया है । साढ़े ३ बजे यह बिल समाप्त करना है ।

श्री शिवप्रसाद नागर——यह बिल बिलकुल बेकार का बिल है । न इसे सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये और न प्रवर समिति में, सरकार इसे वापस ले ले तो जनता का बड़ा कल्याण होगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)——मैं आपका बड़ा आभारी हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं भी अपने भाव इस विधेयक के सम्बन्ध में व्यक्त कर सकूं । मैंने दूसरे माननीय सदस्यों की भी बहस सुनी और उससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस सरकार के जो विधेयक लाये जाते हैं उनमें बहुत बड़ी खामी रह जाती है कि जिनसे कठिनाइयां होती हैं । बार-बार सदन में सरकार को सावधान और सचेत किया जाता है लेकिन इसके बावजूद भी सरकार अपना ध्यान नहीं देती है कि कानून बनाने के लिये वह ऐसे योग्य तथा माहिर आदमी रखे जिससे इस प्रकार की गलतियां न हों । सरकार कहती है कि इसमें गलतियां हुईं जिनसे न्यायालय का फैसला खिलाफ हो गया । सरकार की कोई गलती नहीं है । जो दर एक समय प्रचलित थी अदालतों में या दूसरे मामलों में वही दर उन मामलों में इस समय प्रचलित रहना चाहिये । यह सर्वथा अन्याय है कि पिछले मामलों पर भी इस समय कोई नई दर लागू कर दी जाय । आम तौर से पिछले दिनों से कोई अधिनियम तब लागू किया जाता है जब जनता का कोई बड़ा भारी नुकसान हो रहा हो जैसे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के सिलसिले में कभी कभी ऐसी कठिनाइयां महसूस हुईं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे मौकों पर सरकार ने कभी भी पिछली तारीख से कोई अधिनियम लागू नहीं किया । जिनमें किसान, मजदूर, गरीबों का फायदा होता है । पर जब सरकार के पैसे की बात होती है तो जैसे चील के घोंसले में मांस जा कर लौटता नहीं है सरकार की प्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार की हो गयी है, गीध वृत्ति, कि जो भी मांस आ जाय नोच कर खा जाओ, वापस न दो किसी प्रकार से । आखिर यह गीध वृत्ति क्यों ? इतनी बेशर्मी क्यों ? अगर आप इसी समय से दुरुस्त कर दीजिये तो क्या बात है ? तर्क यह है कि रुपया वापस करना पड़ेगा या फर्क पड़ेगा । तब तो फिर अंग्रेजी जमाने से सन् १९२१ से लेकर समय-समय पर जो परिवर्तन आये हैं उनसे बड़ा फर्क पड़ रहा है और, श्रीमन्, ऐसे भी मुकदमे हैं जिनको चलते चलते १२–१४ वर्ष हो गये होंगे ।

अब अगर उनके सम्बन्ध में भी सरकार यह कहे कि चूंकि पुरानी फीस कम थी, अब ज्यादा लेकर इनको समाप्त करेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह तर्क किस न्याय वृत्ति पर आधारित है । गीध वृत्ति पर तो आधारित हो सकता है पर न्याय वृत्ति पर आधारित नहीं हो सकता । तो सबसे बड़ी जो इसमें खराबी है वह यह कि जनता यह जरूर कहेगी कि सरकार इस गीध वृत्ति को त्यागे । और अगर हम इसमें साथ देते हैं कि सरकार का यह विधेयक स्वीकार कर लिया जाय तो एक कठिनायी हमारे लिये भी है कि हम जनता में जा कर क्या कहेंगे । क्योंकि जब जनता के हित में कोई कानून बनाने को होता है तब तो वह पिछले दिनों से लागू नहीं होता है और जब सरकार के हित की कोई बात होती है तो फौरन पिछले दिनों से लागू हो जाता है । तो यह जो अन्धेर नगरी अनबूझ राजा का न्याय था यह इस विधेयक में साफ परिलक्षित हो रहा है । एक मिसाल याद आ गई कि एक राजा और एक तेली के बैल में लड़ाई हो गयी जिसमें तेली के बैल ने राजा के बैल को मार डाला । तेली ने जाकर राजा से कहा कि हुजूर, आपके बैल ने हमारे बैल को मार दिया है । तब राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, जाओ । लेकिन थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि वह तो उल्टा कह गया ।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

इसलिये वह फिर राजा साहब के पास गया और कहा कि हुजूर, मैं गलत कह गया था, मेरे बैल ने आपके बैल को मार दिया। तब राजा साहब बोले कि लाल किताब देखो। लाल किताब देखा तो उसमें लिखा था—

लाल किताब कहती है यों,
तेली ने बैल चराया क्यों,
तेली का बैल खरी खाय मस्ताना,
बैल जब्त सौ रुपया जुरमाना।

यानी, अगर राजा का बैल मर गया तो लाल किताब का कानून देखो और अगर तेली का बैल मर गया तो कोई कानून नहीं, घर जाओ।

श्रीमन्, इसी तरह की एक और मिसाल है। इस सरकार का एक आदेश गया आबपाशी, पलेवा के बारे में और कई जिलों में गया। मगर तारीफ की बात यह कि पता नहीं कौन सी मशीन पर छपा था वह आर्डर कि और सब जिलों में तो ठीक आदेश गया लेकिन सीतापुर में जो आदेश गया उसमें ३ रुपये को बजाय ९ रुपये प्रति एकड़ का पलेवा रेट लिखा था। जब ९ साल के बाद सरकार को जानकारी हुई कि वहां के लोगों से ज्यादा रुपया वसूल कर लिया गया था तो कोई आफिसर दंडित नहीं हुआ और सरकार की तरफ से जवाब मिला कि अब हमने दुरुस्त कर लिया है और जो ज्यादा रुपया वसूल कर लिया गया था वह वापस मिलेगा। तो जब तीन गुना ज्यादा वसूल किया तो इस अन्धेर नगरी अनबुझ राजा ने कभी पूछा ही नहीं कि यह कैसे हुआ, क्या हुआ, अब वापस करने का इरादा मात्र कर रही है।

एक दूसरी मिसाल दे दूं। इसी सरकार ने इस सदन में कहा था कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट के मताबिक जो जुरमाना लोगों से वसूल किया गया है उस बारे में अगर सरकार हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी हार जायगी तो वह रुपया वापस कर देगी लेकिन अब माननीय चौधरी चरणसिंह जी का उत्तर हमारे पास पहुंचता है कि रुपया वापस करने का इरादा नहीं है। जब आपने उन गरीब सत्याग्रहियों से रुपया ले लिया और न्यायालय में आप हार गये, स्पेशल पावर्स ऐक्ट अल्ट्रा वायरस हो गया तो फिर आप रुपया क्यों नहीं वापस कर रहे हैं। आपने सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं रखा और कह दिया कि हमारी कानूनी सलाह यह है कि हमको रुपया वापस नहीं करना चाहिये। कानूनी सलाह है लेकिन श्रीमन्, नैतिकता के ऊपर भी तो तनिक रहना चाहिये। हमारे प्रदेश में तो मुख्य रूप से नैतिकता का ही प्रश्न है। कन्फूशियस ने कहा था कि अगर किसी राज्य के पास फौज और रुपया भी नहीं है और जनता की राय उसके पक्ष में है तो वह राज्य चल सकता है। जनता की राय कब सरकार के पक्ष में होगी यह तभी होगी जब सरकार के पास नैतिकता होगी। यह जो सरकार की गीध वृत्ति है इससे काम नहीं चलेगा। जैसे अगर सरकार कोई अनियमित कार्य करे तो उसे छिपाने के लिये कानून लाया जाय। श्रीमन्, इस अनैतिकता से प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति विश्वास नहीं बढ़ सकता है और प्रदेश के हित में भी यह नहीं है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह विधेयक प्रवर समिति में जायगा तो वहां पर थोड़े से आदमी बैठकर इतमीनान के साथ इस पर विचार कर सकते हैं और वहां पर माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाया जा सकता है कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें थोड़े रुपये छोड़ने का सवाल है लेकिन इससे नैतिकता बढ़ेगी और जनता का लाभ होगा।

दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि कुछ अपीलों में मैमोरेंडम आफ अपील जोड़ दिया गया है। इसका कारण यह बताया गया है कि १९५५–५६ में जो हिन्दू मैरेज एक्ट लागू हुआ उसमें तलाक विच्छेद और भरण पोषण आदि के सम्बन्ध में बहुत सी दरख्वास्ते आएंगी। इसलिये इनके सम्बन्ध में सरकार का कहना है कि वह कोर्ट फीस लेगी। अगर सरकार ने

यह बता दिया होता कि इतने वाद तलाक के प्रस्तुत हुये, इतने भरण पोषण के प्रस्तुत हुये, इतने विच्छेद के प्रस्तुत हुये और इस तरह अपीलों का काम बहुत बढ़ गया है और यह बड़ा कष्टप्रद मामला हो गया है, इसलिये कोर्ट फीस लेने की जरूरत है क्योंकि इसके लिये अधिकारी रखने पड़ेंगे तब तो हमारी समझ में यह बात आती। केन्द्रीय सरकार इस बिल को इसलिये लाई थी कि जो भारतीय महिलायें हैं उनके साथ अनाचार होता है। ज्यादातर महिलाओं की दरख्वास्तें भरण पोषण के लिये होती हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगा देना कहां तक मुनासिब है? वैसे ही श्रीमन्, भारतीय नारी को आर्थिक अधिकार कुछ भी नहीं हैं और अगर थोड़े बहुत हैं भी तो वस्तु स्थिति यह है कि उनके हाथ में कोई आर्थिक ताकत नहीं है। ऐसी हालत में इन नारियों का क्या होगा? इस पर भी सरकार का इन बेकस नारियों से कोर्ट फीस लेना कहां तक ठीक है?

श्रीमन्, मुझे एक जुमला याद आ गया। नादिरशाह बादशाह ने जब बड़ी भारी खूंरेजी की तो एक आदमी ने कहा कि तेरी मार से जिन्दा आदमी तो सब मर गये हैं अगर अब ताकत है तो मरे हुओं को जिन्दा कर के मार। यही मेरा सरकार से कहना है। जिस ऐसी दशा में भारत की त्रसित नारी अपील करेंगी उनमें कोर्ट फीस लेना सर्वथा अनुचित है। जब अड़चन आयगी तब देखा जायगा। कानून जनता की राय से बनना चाहिए। ऐसी सिमटरी लाने की कोशिश न करो जिससे बिचारा गरीब कुचल जाय, ऐसा पत्थर न फेंको जिससे गरीब चौपट हो जाय। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जब नैतिकता का दिवाला निकल रहा है तो दवा तो न निकालिये। इन अपीलों पर आप क्यों फीस लगा रहे हैं? इस नई धारा की कोई जरूरत नहीं है। जो दुखी लोग हैं, जो दुखी भारतीय नारी वर्ग है, वह न्याय चाहता है तो उन्हे न्याय दें और जब कठिनाई आये तब बात करें। अगर इसका मतलब डाइवोर्स और सेपेरेशन के सूट्स को रोकने का है, तो यह प्रयास भी अनैतिक और अवैधानिक है क्योंकि एक विधान बना हुआ है, उसका फायदा देने के लिये प्रबन्ध कर दिया गया है, उसके विरुद्ध अगर सरकार यह चाहती है कि तलाक या विच्छेद के दावे न हों तो यह सरकार की भयंकर भूल है और यह जनमत के विरुद्ध है। इन शब्दों के साथ मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक निश्चित रूप से प्रवर समिति में जाना चाहिए जहां पर मंत्री जी ठंडे दिल से सोचें कि कहां हमारी नैतिकता और दया भाव जा रहा है। सरकार जब दयाहीन हो जाती है तो उसका बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसको प्रवर समिति में जाने दिया जाय।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के ऊपर जो बहस हुई है वह ऐसी हुई है जैसे कहा जाता है "उरद का भाव बेनउर छः पसेरी।"

श्री उपाध्यक्ष—हम लोग आपका भाषण सुनने के लिये लालायित हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय—मान्यवर, मैंने जो समझा है वह यह है कि बम्बई राज्य के एक मुकदमें में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया। सरकार उस त्रुटि को संशोधन विधेयक ला कर दूर करना चाहती है और जो यहां पर भाषण हुए हैं उनका मतलब यह हुआ कि, सुनने में मालूम होता है कि जनता के ऊपर बड़ा पहाड़ गिराया जा रहा है। मुझे मालूम हुआ कि गोया न्याय विभाग के ऊपर बजट स्पीच हो रही है। इसमें लिखा हुआ है—"इन संशोधनों की आवश्यकता इस कारण हुई कि कोर्ट फीस ऐक्ट की अनुसूची २ अनुच्छेद १० के अधीन केवल अधिवक्ताओं (एडवोकेट्स) को ही वकालतनामा, मुख्तारनामा आदि पर न्यायालय शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है, जब कि वकील (प्लीडर) तथा न्यायवादी (एटारनी) पर कोई ऐसा दायित्व नहीं है।" तो सरकार यह संशोधन ला कर इसको लीगलाइज करना चाहती है। एक मामूली सी चीज के लिये कहा गया है कि प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है। अभी यह सदन कोर्ट फीस ऐक्ट पास कर चुका है। सदन ने पास किया, किसी पार्टी ने नहीं पास किया। अभी-अभी अध्यादेश आया था। अध्यादेश को हमने सबने पास किया। वही अब बिल की

[श्रीमुक्तिनाथ राय]

शक्ल में आया है। यह कहना कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और एक बजट स्पीच दे देना, और सही चीज के ऊपर अंधकार डाल देना, यह ठीक नहीं है। यह जो छोटा सा बिल है, इसमें जो सदन पहले पास कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया, हो सकता है कि भविष्य में चल कर, उसका हमारे बिल के ऊपर असर हो, तो पहले से हम उस को लीगलाइज कर दें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जितने भाषण हो गये उनसे यह मतलब हुआ कि आज यह सरकार कोई बड़ी गड़बड़ करने जा रही है, ऐसी चीजें प्रकट की गयी हैं, ऐसी बात नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक निर्णय लिया है वह गलती हमारे यहां न होने पाये, वह लीगलाइज हो जाय, और जो लोग ऐडवोकेट्स के अलावा प्लीडर और एटारनी देने से बच जाते थे, उनसे भी वसूल कर लें। इतना ही है। मैं समझता हूं कि जितने भाषण हुए हैं वह बिलकुल अनावश्यक थे।

दूसरी चीज मुझे यह निवेदन करनी है कि मैं तो यह समझता हूं कि जितने भी संशोधन प्रवर समिति में भेजने के आये हैं, उनके प्रस्तावक स्वयं उन को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। यह कहा गया है कि सात दिन के लिये प्रवर समिति में भेज दिया जाय। अगर इसमें यह भी होता कि प्रवर समिति को परिधि बढ़ाने का अधिकार हो तो बात कुछ समझ में आती। अगर यह कहते तो मैं समझता कि शायद कोई नई चीज हो जाय। लेकिन सात दिन के लिये जो इसे प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं उससे कौन सी चीज हो जायगी जब कि इसमें साफ दिया हुआ है कि हम इसलिये इसको लाये हैं कि जो एक त्रुटि रह गई थी वह त्रुटि भविष्य में न रह जावे। तो इतने ही के लिये प्रवर समिति में सात दिन का समय नष्ट करना जरूरी नहीं है। इसलिये मैं बिल का समर्थन करता हूं और जो संशोधन प्रवर समिति में सात दिन के लिये भेजने का आया है उसका विरोध करता हूं।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, यह विवाद सुनने के बाद प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मुझे ताज्जुब होता है जब माननीय मुक्तिनाथ राय जी यह कहते हैं कि इसे लोगों ने समझा नहीं। अभी माननीय रामेश्वरप्रसाद जी ने बड़े तपाक से कहा कि मेम्बर चाहते हैं कि वह कुछ बोलें और उनका नाम कुछ अखबारों में निकल जाय। मुझे अफसोस है कि दस रोज तक इस सदन में जब भूमि पर सीलिंग हो रही थी तो पिछड़ी जाति के प्रश्न पर एक बार भी उन्होंने मुंह नहीं खोला, गरीबों के पक्ष में वह कुछ भी न बोल सके। लेकिन मैं चार वर्षों से देख रहा हूं कि जब भी कभी इस सरकार का समर्थन करना होता है, किसी जनविरोधी कानून का समर्थन करना होता है तो वह बड़ी तेजी के साथ बोलते हैं।

अभी हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री जी ने बजट में यह कहा था कि खुशी की बात है इस सरकार के लिये कि "हम कोई टैक्स नहीं बढ़ाने जा रहे हैं"। लेकिन नये पैसे के परिवर्तन के रूप में यह कोर्ट फीस विधेयक, सन् ५८ में इस सदन में आया जिसे यह कहा जाता है कि इस सदन ने पास किया है अरे आप ने पास किया, हमने पास थोड़े ही किया। हमने तो तब भी विरोध किया कि नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन वह टैक्स बढ़ा सन् ५८ में। उसके बाद हमारे प्रदेश के किसी व्यक्ति ने दावा नहीं किया। बम्बई के किसी व्यक्ति ने किया और वहां के हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि बढ़ी हुई फीस अवैध है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से उसका फैसला हुआ। तो उसका प्रभाव हमारे प्रदेश पर भी पड़ा। मैं निवेदन करता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया कि जो फीस यह बढ़ी है वह उन अपीलों पर नहीं लानी चाहिए जिनके मुकदमे कि पहले से चले आ रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? मैं चाहता हूं कि अगर आपकी यह इच्छा है कि वह टैक्स रहे जो कि वसूल कर चुके हैं, वह वापस न देना पड़े तो उसके तरीके हो सकते थे। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जो वसूल कर चुके हैं वह वापस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न करना पड़े और आगे भी वसूल करते रहें, इसलिये इस विधेयक की जरूरत पड़ी। इसके पहले भी जो आपका अध्यादेश निकला वह छः महीने तक काम कर सकता है, उसमें अभी समय है, हम चाहते हैं कि इस बीच एक सप्ताह के लिये यह विधेयक प्रवर समिति में चला जाय ताकि फिर यह दिक्कत न आये कि बार-बार यह अवैध घोषित हो और उसके लिये आर्डिनेन्स और विधेयक बार-बार ला कर सदन का इतना समय और धन उस पर खर्च किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसी सरकार ने एक गन्ने के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया और सरकार ने अध्यादेश के द्वारा उसे फिर जनता के ऊपर थोप दिया। श्रीमन्, इसी सदन के मेम्बर थे, आज वह मर गए हैं, सन् १९३९ में जब कांग्रेसी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में और और प्रदेशों में तो भूमि के सम्बन्ध में एक इसी प्रकार का ऐक्ट बना और वह इस प्रकार का बना कि जो काश्तकार रहन कर चुका है वह दफा १७१ टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ से बेदखल कर दिया जाय और कब से बेदखल कर दिया जाय? किसी काश्तकार ने १९२६ में रेहन लिखा है तो वह किसान भी उस १९३९ के ऐक्ट से बेदखल हो सकता था। तो इस प्रकार की अक्ल तो औंधी है। आज से लागू करें और दस वर्ष पहले से वह लागू माना जाय। तो उस ऐक्ट से कई लाख एकड़ भूमि किसानों की बेदखल हो गई १७१ और १८० दफा में। बहुत निवेदन करने पर रफी साहब के सामने बात आयी तो उन्होंने उसमें २९५ धारा जोड़ दी और उससे जाकर राहत मिली। लेकिन यह सरकार तो इतना भी सोचने के लिये तैयार नहीं है, जो लोग बचे हुये हैं और आज कुर्सियों पर आसीन हैं वह तो इतने के लिये भी तैयार नहीं हैं कि विरोधी जो बात कहते हैं उस पर विचार तो कर लें। अगर आप को विकास के लिये टैक्स लगाना जरूरी है, विकास में रुपया खर्च करना है तो जो पैसा आपने वसूल कर लिया है वह पैसा उनको मत लौटाइये। लेकिन आज वह कम से कम जनता के सामने स्पष्ट करें कि कोई नया टैक्स बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। यह जो आप ने रखा है कि अपील पर और पिटीशन पर और स्पष्टीकरण पर वह ली जाय यह ठीक नहीं है। आप उस पुराने ऐक्ट के मुताबिक इसको रखिये और उसको छोड़ दीजिये ताकि जनता के ऊपर कर का बोझ कम हो।

मेहरोत्रा जी ने कहा कि साहब वह गरीब लड़ने क्यों जाता है? जब अन्न की कमी पड़ती है तो कहा जाता है कि फल खाओ। जब चीनी की मांग की जाती है तो कहा जाता है कि तुम क्यों नहीं सरकारी दुकानों से खरीदते? अगर उस सारे स्टाक को सरकार अपने यहां रखे और सरकारी दुकानों पर ही बिचवाये तब तो ऐसा कहा जा सकता है कि दूसरी जगह से न खरीदा जाय। जब दूसरी जगह मिलती है तो खरीदते हैं। वह तो चीनी खाते नहीं हैं तो दूसरों से भी यह कह सकते हैं कि तुम क्यों खाते हो? सरकार तकावी देती है और उस तकावी के नाम पर काश्तकार कुछ काम करते हैं। मैं सरकार से यह भी कहूंगा कि जो किसान तकावी अदा कर चुके हैं उनसे तकावी वसूल की जाती है और उनके नाम अभी उसमें से काटे नहीं गये हैं। जो कोर्ट फीस गलत तरीके से ली गई है उस को हाईकोर्ट ने गलत ही करार दे दिया और कहा कि यह अवैध है। सरकार को उसको छोड़ देना चाहिये। वह गरीबों से वसूल कर ली गई तो उनके साथ न्याय करना चाहिये। गरीबों के ऊपर जितनी भी आप रियायत कर सकें उतना ही अच्छा है। मगर आप गरीब के साथ न्याय करने के लिये तैयार नहीं हैं। अमीर आदमियों के साथ रियायत करते हैं और उनके खिलाफ कोई कदम उठाने के लिये तैयार नहीं हैं। जब इस बढ़े हुये टैक्स के खिलाफ उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया और जनता के हित में फैसला दे दिया और उस को अवैध मान लिया तो आप भी इतना तो करें कि उस पुराने ऐक्ट के मुताबिक कोर्ट फीस रहने दें। इससे गरीब जनता के लिये कुछ आसानी हो जायगी। आज तो वह यह कहते हैं कि कचहरी पैसा मांगती है। यदि आप इतना भी गरीबों के साथ नहीं कर सकते तो गरीबों को न्याय दिलाने में असमर्थ होंगे। अभी गौरीशंकर राय जी ने बतलाया कि सब खर्चा काटने के बाद भी सरकार को बचत हो जाती है। जब सरकार के पास बचता है तो फिर इस बढ़ोत्तरी के लिये कोई न्यायसंगत बात नहीं हो सकती है। इससे सरकार को उतना नुक्सान नहीं है जितना कि दूसरे अध्यादेश के जरिये से सरकार को होने वाला है।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

न्यायाधीश आजकल क्या करते हैं। आप सदन से पास करा लेते हैं और कोर्ट फीस ले लेते हैं। वे १० बजे आते हैं और १ बजे उठ जाते हैं और फिर २ ।। बजे बैठते हैं और शाम को उठ जाते हैं। किसान दरवाजा खटखटाता रहता है लेकिन उस को न्याय नहीं मिलता है। वह चारों तरफ न्याय के नाम पर लुटता है। वहां पर लूट मची रहती है जिसका वह शिकार होता है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जब आप बारबार गलती करते हैं, जिसको उच्चतम न्यायालय ने अवैध मान लिया है वह वापस हो जाना चाहिये क्योंकि यह सरकार की गलती से हुआ है और जनता की गलती से नहीं हुआ है तो उस को लाभ पहुंचना चाहिये। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसमें इसको प्रवर समिति में भेजने की बात कही गई है।

श्री हरिशचन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सम्बन्ध में जो प्रस्तुत विधेयक में संशोधन आया है उसके विरोध में यह कहा जाता है कि हमारे इस आदरणीय सदन के जो अधिकार हैं उससे बाहर न्यायालय की अधिकार सीमा के ऊपर एक तरह से प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बहुत बुनियादी प्रश्न के ऊपर आपके द्वारा इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है अपनी सीमा के अन्दर कि संविधान के अन्तर्गत यदि किसी कानून में हम अपनी सीमा पार कर गये हों तो वह उसे अवैध घोषित कर दे। लेकिन मैं नम्रता के साथ यह भी निवेदन करूंगा कि संविधान के अन्तर्गत जितने अधिकार इस सदन को दिये गये हैं उन अधिकारों के लिये यह सदन भी अन्तिम अधिकार रखता है और निश्चित रूप से सर्वोच्च है उस अधिकार सीमा के अन्दर जो कि संविधान में उसको दिये गये हैं।

अब टैक्सेज के मामले में यह फैसला करना कि वे लगाये जायं अथवा नहीं, इस सदन का काम है। इस बहस में सदस्यगण यह कह सकते हैं कि जो कानून हम टैक्स लगाने का लाये हैं उस से जो जनता पर ज्यादा भार बढ़ जाता है, यह दूसरे प्रकार से आना चाहिये, अथवा नहीं आना चाहिये, यह सब बातें इस सदन में हो सकती हैं, उन पर बहस हो सकती है और उस पर हम फैसला ले सकते हैं कि टैक्स कम या ज्यादा लगना चाहिये। लेकिन टैक्स लगाने का अधिकार हमारा है, न्यायालय का नहीं। अगर किसी टेक्निकल खामियों की वजह से कोई कानून अवैध घोषित हो जाय तो उससे हमारा वह अधिकार चला नहीं जाता और इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि एक बार कोर्ट फीर्स ऐक्ट के अन्तर्गत हम ने यह फैसला लिया कि जो अपीलें दायर होंगी उन पर अमुक कोर्ट फीर्स लगानी पड़ेगी, तो मैं समझता हूं कि अगर किसी कानूनी कमी की वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला कर दिया कि उसमें कानूनी खामी है तो हमको पूरा अधिकार है कि इस सदन के द्वारा किये हुये फैसले पर हम पुनर्विचार करें और उसको कानूनी सांचे में ढाल कर अपने किये हुए फैसले को मनवाने की कोशिश करें। कोई वजह नहीं है कि हमने कोई कानून पास करने के बाद कोई टैक्स लगाया और वह टैक्स वसूल भी हुआ, तो अगर उन टैक्सों पर न्यायालय की कोई सम्मति आये बो जहां तक क्वान्टम आफ टैक्सेशन का ताल्लुक है वह कैसे कम हो जाता है? इस सदन ने एक फैसला लिया था और उसके मातहत टैक्स लगा और लिया गया। और चूंकि अब वह कानून अवैध घोषित हो गया है किसी कानूनी दिक्कत की वजह से, क्या इसलिये वह टैक्स खराब हो गया, गलत हो गया? यह कहने का अधिकार हमें नहीं है और मैं समझता हूं कि इस सदन के आदरणीय सदस्यों को भी नहीं है, नहीं कहना चाहिये। जब वह हमारा फैसला है तो उसको माना ही जाना चाहिये और उस ऐक्ट के अन्तर्गत जो क्वान्टम आफ टैक्सेशन नियत किया है सदन ने, उसको ही केवल इस विधेयक के जरिये से दुबारा सही सांचे में ढाल कर हम लाना चाहते हैं। इसमें मैं समझता हूं कि हमारे साथियों को कोई संशय और बाधा नहीं होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ जो विधेयक उपस्थित किया गया है, मैं चाहता हूं कि उसका समर्थन किया जाय।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन् मैं आंकड़े कम जानता हूं। मैं एक किसान हूं और किसान होने के नाते से दो एक बात कहूंगा। हिसाब किताब मैं नहीं जानता। विधान की धारा मैं नहीं जानता। धारा जानने वाले मेरे सामने बैठे हैं, आंकड़े बताने वाले मेरे सामने बैठे हैं। कोर्ट फीस लगाने वाले मेरे सामने बैठे हैं। श्रीमन्, जो राजकाज की बात बाबू टाइप के आदमी जानते हैं वह हम किसान नहीं जानते। इसलिये मैं तो किसान के नाते अपनी दो एक बात ही कहूंगा।

श्रीमन्, ५, ६ रोज हो गये जब हमने टैक्स के ऊपर एक बात कही थी। हमारे ठाकुर साहब ने उस समय कहा था कि चकबन्दी टैक्स नहीं है, यह तो फीस है। तो मुझे तो यह ही पता नहीं कि यह टैक्स है या फीस है। क्या बात है? एक तरफ तो टैक्स कहा जाता है और दूसरी तरफ इसे फीस कहा जाता है। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा इस सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार एक उस आदमी से जिसका दिमाग ठीक होता है, कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, उसे सही करो, और जिसका दिमाग ठीक नहीं होता है उसका ठीक समझती है। इस सरकार का क्या कर्त्तव्य है? यह एक मोटी सी बात है। मुझे आशा है मेरे मित्र मुझे पहचानने की कोशिश करेंगे। आज क्या हो रहा है श्रीमन्, आप देखें कोर्ट फीस, कुर्ता फीस, कमीज फीस, भैंस फीस, कैप फीस, तलाक फीस, चकबन्दी फीस, जिधर देखिये उधर फीस ही फीस देखने को मिलेगी। मैं पूछता हूं कि यह हमारा देश कोई इंगलैन्ड है या अमेरिका है, क्या है, जो यहां तलाक फीस लगायी गयी है। अभी आप देखेंगे कि यह सरकार टोपी फीस भी कुछ दिनों में लायेगी। अभी नहीं, उसमें थोड़ी देर लगेगी। तो श्रीमन्, गरीब के साथ न्याय होना चाहिये, और न्याय तभी हो सकता है जब कि मेरे अन्दर भी न्याय हो। कहते हैं---

"जाके पांव न फटै विवाई, वह क्या जाने पीर पराई"

हम लोगों की, मिनिस्टरों की और अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह पर, भत्ते पर कोई बाढ़ नहीं आती, न पाला पड़ता, न ओले पड़ते, न कीड़ा लगता है। तो हम लोगों को किसान गरीब की मुसीबत का क्या पता है? हमारी तनख्वाह पर बाढ़, गर्मी और पाला पड़े तो हमको पता चले कि किसानों का भी नुक्सान होता है।

यह सरकार क्या जाने इससे उन गरीब किसानों को क्या तकलीफ होती है। मैं गांधी जी के इन चेलों से कहता हूं कि गरीबों की रक्षा करो, टैक्सों को घटाओ, और जब गरीबों का भला करोगे, तो तुम्हारा भी भला होगा। आज ओला पड़े तो गरीब मारा जाय, बाढ़ आये तो गरीब मारा जाय, सूखा पड़े तो गरीब मारा जाय, कोई भी मुसीबत आये, गरीब बेचारा ही मारा जाता है। इन लोगों पर क्या कोई इसका असर होता है? नहीं होता। मैं कहता हूं, श्रीमन्, आपके द्वारा, कि अगर तुम गांधी जी के चेले हो, तो जनता का कुछ भला करो। गरीबों की हत्या कर के तुम आराम नहीं उठाओगे। आज श्रीमन्, आप देखते हैं, रिश्वत देने वाला पापी, रिश्वत लेने वाला पापी, लूट करने वाला पापी, लूटा जाने वाला पापी, कत्ल करने वाला पापी, कत्ल होने वाला पापी, अजब तमाशा है। श्रीमन्, जो अच्छे खाते-पीते हैं उन पर अगर २५ रुपया टैक्स लगायें और बीच वालों पर साढ़े १२ और जो गरीब हैं उन पर आठ आना लगायें तो भी न्याय होगा। इस तरह से ए, बी, सी क्लास रखें। इस पर न्याय मंत्री जी गौर कर लें। श्रीमन्, गाड़ी में भी ए, बी, सी क्लासेज होते हैं। हमारे न्याय मंत्री जी 'ए' क्लास में जाते हैं और खानसामा साथ में जाता है, वह जहाज पर उड़ते हैं और मैं जो गरीब बुड्ढा हूं जिसने गुलामी के बेड़ियों को तोड़ कर खत्म किया वह थर्ड क्लास में चलता है। तो श्रीमन्, आप के द्वारा मेरा निवेदन है कि सरकार गरीबों की रक्षा करे और इस विधेयक को वापस ले ले, इसी में हमारा भी भला होगा और सरकार का भी भला होगा।

श्री प्रतापसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव के समर्थन और विपक्ष में सारगर्भित भाषण दिये। मान्यवर, मुझे आज यह कहना पड़ रहा है कि ट्रेजरी बेंचेज से जितने भी साथी बोलते हैं उनका केवल एक ही काम रह गया है यह कहना कि विरोधी दल के लोग कुछ नहीं बोलते और बिना तैयारी के आते हैं और फुजुल बातें करते हैं, यह सुन कर मुझे बड़ी तकलीफ हुई ....

श्री उपाध्यक्ष---फुजूल शब्द ठीक नहीं है, इसको आप वापिस लीजिये।

श्री प्रतापसिंह---मैं आप की आज्ञा से उस को वापिस लेता हूं और उसके लिये असंगत कह रहा हूं। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि बहस इस बात की नहीं है कि हमारा न्याय प्रशासन क्या होना चाहिए, बहस केवल इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेन्ट आज का नहीं है बल्कि १९२८ में जस्टिस पीटर ने कहा था:

"We think the contention of the petitioner is well founded and must prevail. That a right of appeal is a substantive right cannot now be seriously disputed."

इसके आगे यह है:

"We are, therefore, of the view that the High Court was right in the view it took, and the orders of refund of excess court-fees which it passed were correct in law."

तो जो एक्सेस फीस लगी इसके लिये हमने ५८ में ही कहा था कि इसको नहीं लाना चाहिये और उसके बाद ही न्याय शाखा ने यह फैसला दिया। माननीय अस्थाना जी ने कहा कि माननीय सदस्यों को ऐसा कहने का अधिकार ही नहीं है, मुझे इसे सुन कर बड़ा अफसोस हुआ। मैं समझता हूं कि वह संविधान को पढ़ने की मेहरबानी करें। जुडीशियरी को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड स्फीयर में। हमारे यहां ड्यू प्रासेस आफ ला है और अमेरिका में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई ला है। संविधान के अनुसार जो जनता को अधिकार मिले हुये हुये हैं और डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल्स के अनुसार यह सरकार कार्य करती है, उन अधिकारों के सम्बन्ध में न तो आप कोई फैसला दे सकते हैं और न हम दे सकते हैं और न माननीय न्याय मंत्री श्री हुकुमसिंह विसेन जी दे सकते हैं। उसका फैसला संविधान के अनुसार न्याय शाखा ही दे सकती है।

आये दिन हम देखते हैं कि किसी आदमी के साथ अन्याय होता है वह संविधान की धारा २२६ के अनुसार न्याय की याचना करने के लिये हाई कोर्ट जाता है और तब उसके साथ न्याय होता है। मैं आस्थाना जी से कहूंगा कि जुडिशियरी द्वारा जो फैसला दिया गया वह जनता के हित में है। इसलिये सरकार को यह एक्सेस फीस वापस करना चाहिये। कल्याणकारी राज्य की तो भावना यह होनी चाहिये कि न्याय सब लोगों को सुलभ हो सके और सस्ता मिल सके। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह कोर्ट फीस बिल किस आधार पर लाया गया है? क्या इसके लिये सरकार ने टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी बैठायी थी, क्या रिसोर्सेज कमेटी बैठायी थी? क्या फाईनेंस कमेटी बैठायी थी? उनके पास क्या तर्क है जिसके आधार पर वह इसको हमसे पास कराना चाहते हैं आपके प्रीमियर, श्री बी० जी० खेर ने स्वयं लिखा है--

"It is at times objected that if a poor man is given free legal aid, there would be an increase of litigation. The experience of all properly organised and conducted legal aid societies in America shows that acquainting the poor with their legal rights tends in fact to decrease litigation and frequently leads to speedy settlement out of court."

मेरा कहना यह है कि कभी-कभी सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जाता है गरीबों पर से अगर कोई फीस माफ हो जायगी तो मुकदमों की संख्या बढ़ जायगी। लेकिन आप गरीबों को न्याय से परिचित रखिये कि ऐसा काम करने से ऐसा दंड मिल सकता है तो यह निश्चित है कि मुकदमों की संख्या बढ़ेगी नहीं। एक तरफ तो मंत्री जी कहते हैं कि हमारी वैलफेयर स्टेट है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इसको वापस नहीं लेंगे। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि आपको कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये लीगल एड सोसाइटीज की स्थापना करनी चाहिये। ट्रेजरी बैंचेज की ओर से कहा गया कि फीस लेने की जरूरत है क्योंकि आमदनी की आवश्यकता है। किन्तु ला कमीशन कहता है--

"The Uttar Pradesh Judicial Reforms Committee which examined the question in so far as it related to the State of Uttar Pradesh found that the State was left with a surplus even after debiting against the proceeds from court-fees the cost of the administration of criminal justice."

यानी क्रिमिनल केसेज के खर्चे को भी निकाल कर कोर्ट फीस से जो आमदनी होती है वह सरप्लस है। आंकड़े इस प्रकार हैं। सन् ५६-५७ में २ करोड़ से ज्यादा आमदनी कोर्ट फीस से हुई जब कि खर्चा केवल ६ लाख ही हुआ। बड़े ताज्जुब की बात है कि आमदनी हो २ करोड़ और खर्चा हो ६ लाख। फिर क्यों नहीं आप रिफंड करते हैं?

सब जगह स्टेट की यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों को न्याय सुलभ करे। ट्रेजरी बेंचेज की ओर से चुनावों में बापू की दुहाई दी जाती है लेकिन इसके बारे में वे क्या कहते थे? वे कहते थे कि गरीबों को न्याय मुफ्त मिलना चाहिये। लेकिन जब आप यहां चुनावों में जीत कर आ जाते हैं तब उनको भूल जाते हैं कि वे क्या कहते थे? वे कहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गरीब लोगों को न्याय मुफ्त मिलेगा। इस कोर्ट फीस को हम किस आधार पर बढ़ा रहे हैं? क्या हमारे अधिकार में इस तरह ही कोई बंदिश लगायी गयी थी? संविधान में जैसा कि लिखा गया है, हमने तो कसम खायी थी कि "हम भारतवासी कसम खाते हैं कि हिन्दुस्तान के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दे सकेंगे"। तो हम क्या न्याय दे पा रहे हैं? मुझे इस प्रादेशिक सरकार के कारनामों को देखकर अफसोस होता है कि एक नयी चीज आज इस विधेयक के द्वारा सरकार लायी है जिसकी कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता था।

मान्यवर, मैं अपनी बात न कह कर पंडित जवाहर लाल नेहरू की बात ही कहना चाहता हूं जिनका कहना यह है कि न्यायालय में जाने की सब को समान सुविधा होनी चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि इस विधेयक के आधार पर केवल बड़े-बड़े कत्ल के केस वाले और बड़े-बड़े पूंजीपति जा सकेंगे। आज क्या है? इस आदरणीय सदन में जवाब देते हुये कहा गया है कि कानपुर के मिल मालिकों से हम केन सेस का रुपया इसलिये नहीं वसूल कर पा रहे हैं कि उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। जब कि गरीबों से ३ रु० १२ आना वसूल करने के लिये अधिकारी सैकड़ों रुपये खर्च कर देते हैं। पंडित नेहरू का ही कहना है कि न्यायालयों में धूर्तों का संगठन नहीं होना चाहिये। उसकी वजह से वहां तक गरीब नहीं पहुंच सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं पंडित नेहरू की दुहाई देते हुये ही कहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर अच्छी तरह से सोच समझ कर जवाब दें कि इसकी क्या जरूरत थी, क्या खतरे की बात हो गयी थी जो संविधान की धारा के खिलाफ सरकार यह करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि इन सब बातों पर अच्छी तरह से विचार विमर्श करने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय।

आज के जमाने में डेमोक्रेसी इज नाट रूल्ड बाई मैजारिटी बल्कि आज तो डिस्कशन के द्वारा ही डेमोक्रेसी की स्थापना की जा सकती है। लेकिन आज इस तरह से कोर्ट फीस बढ़ाने का जो विधेयक आया है उसके बजाय गवर्नमेंट को एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिये था।

[श्री प्रतापसिंह]

इस तरह से तो वेलफयर स्टेट के बजाय पुलिस स्टेट ही कहा जाय तो ठीक होगा। इन शब्दों के साथ नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ कर गरीबों की दुहाई के नाम पर मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री रामस्वरूप यादव--मान्यवर, श्री प्रतापसिंह जी के संशोधन का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आज तो मैं यह स्वीकार करता हूं कि श्री प्रतापसिंह जी ने बहस के लिये तैयारी तो की थी लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि वे कोर्ट फीस विधेयक पर तैयारी के बजाय बजट स्पीच की तैयारी करके आ गये। इस आदरणीय सदन में कुछ ऐसे माननीय सदस्य हो सकते हैं जो कानून से परिचित न होने की वजह से ऐसा सोचते हों कि हम कोर्ट फीस बढ़ा रहे हैं लेकिन मैं समझ नहीं सका कि श्री प्रतापसिंह जी कैसे बार-बार कहते हैं कि हम इस विधेयक के द्वारा कोर्ट फीस को बढ़ाना चाहते हैं।

श्रीमन्, स्थिति यह है कि कोर्ट फीस ऐक्ट शुरू में सन् १८७० में बना और १८७० से लेकर आज तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुआ, इस प्रदेश की किसी कोर्ट ने भी इस तरह का कोई फैसला नहीं दिया था। सन् १९४८ में भी संशोधन हुआ, सन् १९५२ में संशोधन हुआ तथा सन् १९५८ में भी संशोधन हुआ और हम यही समझते थे कि जो हमारे यहां का यह कानून बना हुआ है उसका मंशा यह नहीं है कि संशोधन के बाद कोर्ट फीस ऐक्ट के अनुसार किसी तरह से कोर्ट फीस को बढ़ाया जाय या वह लागू न हो। मान लीजिये कि कोई मुकदमा सन् १९४८ में दायर हुआ और सन् ४९ में कोई संशोधन करके कोर्ट फीस को बढ़ाया गया, कम कर दिया गया तो सन् ४९ में उसको अपील करने पर वही देय होगा जो कि संशोधन के बाद कोर्ट फीस देय होता। तो ऐसा प्रश्न कभी हमारे सामने नहीं आया। मंशा तो हमेशा यही थी कि संशोधन के बाद जो फीस देय हो, चाहे ओरिजिनल केस हो या अपील हो, उसी हिसाब से फीस लगेगी। बम्बई प्रदेश की सरकार का भी एक ऐसा ही कानून था वहां एक केस हुआ और उसके फलस्वरूप उन्होंने भी अपने कानून को तुरन्त बदला। श्री उग्रसेन जी ने प्रश्न उठाया कि बम्बई की सरकार ने कानून नहीं बदला लेकिन इस सरकार को बड़ी जल्दी मच गई। ऐसी बात नहीं है। बम्बई की सरकार के खिलाफ ही पहले यह फैसला हुआ था उन्होंने उस की अपील की लेकिन अपील के फैसले का इंतजार न कर के उन्होंने पहले ही अपने कानून में संशोधन कर लिया। उनका कानून भी ऐसा ही है जैसा कि इस बिल के द्वारा सदन के सामने लाया गया है।

कोर्ट फीस के विषय में कहा गया कि वह ऐसी होनी चाहिये कि जिस से उस का भार किसी पर अधिक न आये। न्याय तो गरीब अमीर सभी लेना चाहते हैं, आम तौर से जितने गरीबों के केस होते हैं वह कम वैल्युएशन के होते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनके ऊपर किस तरह से कोर्ट फीस अधिक पड़ जाती है। अब भी और प्रदेशों से हमारे यहां कोर्ट फीस कम है ज्यादा नहीं है। कोर्ट फीस का प्रभाव तो उन्हीं पर अधिक पड़ता है जिन की कि केसेज की वैल्यूएशन अधिक होती है और वह साधारणतः गरीब नहीं होते। माननीय प्रताप सिंह जी तो वकालत भी करते हैं मैं उन से पूछूंगा कि उन वकीलों को छोड़कर जो वैल्यूएशन के हिसाब से फीस लेते हैं बाकी अधिकतर तो कोर्टफीस से वकीलों की फीस दसगुना और १०० गुना भी होती है। माल के मुकदमों में साधारणतः वैल्यूएशन के दावे में एक रुपये के अन्दर ही कोर्ट फीस होती है लेकिन बाज मुकदमों में जहां कोर्टफीस इतनी कम होती है वकीलों की फीस १०० गुने से कम नहीं होती। तो वकीलों की फीस ज्यादा है कोर्ट फीस अब भी ज्यादा नहीं है, वह तो सिर्फ इसलिये ली जाती है कि कचहरियों का काम चलता रहे और वहां का संबंधित खर्च चल सके।

बार-बार हमें आंकड़े दिखलाये गये लेकिन आंकड़े पूरे न दिखाये जायं तो उन से भ्रम हो जाता है। हमारे यहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस या न्याय जो होता है वह दीवानी कचहरियों, क्रिमिनल कोर्ट्स और माल विभाग के द्वारा होता है। मैं समझता हूं

कि माननीय प्रताप सिंह जी ने जो आंकड़े दिये हैं वह केवल किसी एक ही भाग के दिये हैं। उनकी स्थिति यह है कि हमारी आय २,२८,१८,००० रुपया है और खर्च २,४२,५६,९०० रुपया है, यह हमारे ६०–६१ के एस्टीमेट्स के अनुसार है। यानी हमारा खर्च हमारी आय से अधिक है तो मैं नहीं समझता कि ६ लाख का खर्च और २ करोड़ की आय उन्होंने कैसे बता दी। दीवानी से संबंधित ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का व्यय हमारा है १,८२,५६,५०० रुपया, जूडीशियल आफिसर्स का व्यय है ११,६५,४०० रुपया और डिप्टी कलेक्टरों का खर्च है ११,३५,००० रुपये के करीब और एडीशनल कमिश्नर्स का भी खर्च २ करोड़ से ऊपर है और स्टाफ पर भी लगभग ३५ लाख रुपया खर्च होता है। इस तरह से आप देखें कि आय कम है और खर्च अधिक है। अगर कोई भ्रम है तो माननीय प्रताप सिंह उस को दूर कर लें। हमने इसमें न्याय की फीस वही रखी है जो कि सदन द्वारा ४५ में सन् ५२ में और ५८ में स्वीकृत हुई थी। अभी ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई जिस में कि हम सोचते कि अब फीस बढ़ाना जरूरी है। इस में केवल इतना है कि अगर अदालत ने ओरिजिनल सूट के वक्त कोर्ट फीस जो ली तो वही अपील के दायर करते वक्त ले ले। इसमें कोई फीस बढ़ाने की चेष्टा नहीं है, हमने वही अंतिम फीस रखी है जो आपने पहले मंजूर की थी। उसी चीज को कार्यान्वित करने के लिये जिस से कहीं वापसी करना न हो यह बिल हमें लाना पड़ा।

मैंने शुरू में ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि यदि यह मंशा है कि देय फीस अपील के वक्त वही हो जो ओरिजिनल सूट के वक्त नहीं थी तो इसके लिये एक धारा बिल में होनी चाहिये। और अगर मंशा यह है लेजिस्लेचर की कि देय फीस संशोधन के साथ बढ़े तो इस तरह की एक धारा होनी चाहिये थी। बिलकुल उसके खिलाफ नहीं, उसी के अनुसार, उसको अच्छी तरह से स्टडी करके यह विधेयक लाया गया है। एक और तीन क्लाज मैं समझता हूं कि निर्विवाद थे। सिर्फ इस सदन की जो नीति है उसको चलाने के लिये आवश्यक थे और वह लाये गये। दो छोटे-छोटे दोष थे। एडवोकेट को तो वकालतनामे पर कोर्ट फीस लगानी पड़ती है, लेकिन एटार्नी और प्लीडर को नहीं लगानी पड़ती है। तो वह दोष था, उसे ठीक कर दिया गया। मैरेजेज ऐक्ट के अन्दर ओरिजिनल दावा होता है, उसकी कोर्ट फीस प्रेस्क्राइब की। लेकिन अपील के ऊपर क्या हो वह नहीं लिखा था, वह हमने लिख दी। नागर जी, पता नहीं क्या सोच कर बोल रहे थे कि स्पेशल मैरेज ऐक्ट का भी उन पर मुकदमा चला। मेरी समझ में नहीं आया कि उन पर स्पेशल मैरिज ऐक्ट का मुकदमा चला होगा। माननीय पुजारी जी की बात का क्या जवाब दूं। जिस वक्त वह बोलते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष––वह सलाह मानने की है, जवाब देने की नहीं है।

श्री रामस्वरूप यादव––मोतीलाल जी ने इस बात का जिक्र किया है कि जो रिट्स हैं उन पर कोर्ट फीस बढ़ा देने से भी बहुत असर पड़ा। सन् ५८ में भी इस पर बहस हुई थी। ५८ के पहले भी रिट्स पर कोर्ट फीस थी। तब ५ रुपये थी। दूसरे प्रदेशों में भी है। कहीं कम है और कहीं ज्यादा है। उसमें फीस इसलिये बढ़ाई गई कि उसका दुरुपयोग न हो। आज पालिसी के ऊपर यह विधेयक नहीं लाया गया है। अगर इस वक्त हम पूरी कोर्ट फीस की पालिसी पर चलें तो मेरी समझ में नहीं आता वह कहां तक इस बहस के अन्दर आ सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि माननीय प्रताप सिंह जी थोड़ा गौर करेंगे। अगर वह चाहते हैं कि उत्तराखंड में उनकी तहसीलों की संख्या बढ़ाई जाय और न्याय देने वाले गांव गांव और घर-घर में पहुंच जायं तो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर जो हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है उसमें बचत करने की कृपा करें। प्रवर समिति में भेजने से कुछ समय और लग जायगा। इसको पास हो जाने दें जिससे कि हम लोग चेष्टा न करें कि कोर्ट फीस की वापसी की दरख्वास्त दें। मैं समझता हूं कि माननीय प्रताप सिंह जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक), १९६१ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न लिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:

पक्ष में––२४,

विपक्ष में––८५।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ [The Court-fees (Uttar Pradesh Sanshodhan) Bill, 1961] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

ऐक्ट संख्या ७, १८७० में नयी धारा ३७ का बढ़ाया जाना

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट १८७० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३६ के पश्चात् नयी धारा ३७ के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय और सदैव से ही बढ़ाया गया समझा जाय:

"37. All fees shall be charged and collected under this act at the rate indicated in the First or Second Schedule to this Act, as the case may be, on the date on which the document chargeable to the court-fee is or was presented."

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

कतिपय कार्यवाहियों का वैधीकरण

३––मूल अधिनियम के, जैसा कि वह कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० द्वारा संशोधित होने के पूर्व था, उपबन्धों के अधीन आरोपित या वसूल किये गये सभी शुल्क, यदि वे धारा ३७ के उपबन्धों के अनुसार आरोपित या वसूल किये गये हों यथास्थिति, वैधतः आरोपित या वसूल किये गये समझे जायेंगे मानो धारा ३७ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों को प्रचलित रही हो, भले ही किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आज्ञा में इसके विपरीत कोई बात क्यों न हो।

श्री उपाध्यक्ष––माननीय मोतीलाल अवस्थी जी आप खंड ३ का विरोध करेंगे? अगर हां, तो करें।

***श्री मोती लाल अवस्थी**––जी हां। मैं आपकी आज्ञा से खंड ३ का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि यह हटा दिया जाय। खंड ३ की जैसी भाषा है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

"३––मूल अधिनियम के, जैसा कि वह कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० द्वारा संशोधित होने के पूर्व था, उपबन्धों के अधीन आरोपित या वसूल किये गये सभी शुल्क, यदि वे धारा ३७ के उपबन्धों के अनुसार आरोपित या वसूल किये गये हों यथा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थिति बैधतः आरोपित या वसूल किये गये समझे जायेंगे मानो धारा ३६ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों को प्रचलित रही हो, भले ही किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आज्ञा में इसके विपरीत कोई बात क्यों न हो।"

अब इस खंड ३ का जिस प्रकार से रूप है इससे मालूम होता है कि कोई पेनिसलीन है, अमर बूटी है जो सरकार ला करके मरों को जिलाने में इस्तेमाल करती है। या यों कहें अपनी सभी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिये एक उपवास सा करती है। या जब कुछ न चली तो इसको चला करके अपनी कठिनाइयों का निवारण करती है, यह बात सही है कि सरकार जो कुछ करे सब उसके लिये क्षम्य है। उस हालत में सरकार यह कह सकती है कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी।

इसमें जो शब्द हैं उन पर जरा गौर करें "उपबन्धों के अनुसार आरोपित या वसूल किये गये हों सभी शुल्क, यदि वे धारा ३७ के उपबन्धों के अनुसार आरोपित या वसूल किये गये हों"। दफा ३७ पहले ही पास हो चुकी है। लेकिन आप देखें कि आगे इसमें लिखा है "मानो धारा ३७ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों को प्रचलित रही हो"। अब यह महत्वपूर्ण दिनांक कौन-कौन से हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण दिनांक २६ जनवरी, १५ अगस्त और ३० जनवरी हो सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण दिनांक से प्रचलित होने की बात जो कही गई है यह सरकार का अजीब सुझाव है।

अब इसमें जो गलती है वह मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। हमारे सरकारी विभाग के हिन्दी ज्ञाताओं की गलती है। आप देख लें, श्रीमन्, कि जितने भी विधेयक बनते हैं मूल अंग्रेजी में बनते हैं और बाद में बैठ कर उसका हिन्दी में तर्जुमा करने लगते है। इसी को आप अंग्रेजी में देख लें--

"All fees levied or collected under the provisions of the Principal Act, as it stood prior to its amendment by the Court Fees (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhyadesh, 1960, if levied or collected in accordance with the provisions of section 37 shall be deemed to have been validly and lawfully levied or collected, as the case may be, as if section 37 had been in force on all material dates."

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

अब इसमें जो यह 'मैटीरियल' शब्द है इसका तर्जुमा हिन्दी में किया गया है 'महत्वपूर्ण' किन्तु इसका बड़ा गलत अर्थ निकल सकता है जिसको कि मैंने बड़ा तोड़ मरोड़ कर बतलाया कि महत्वपूर्ण दिनांक ३० जनवरी, १५ अगस्त, २६ जनवरी हो सकते हैं और जन्माष्टमी या रामनौमी भी हो सकते हैं। सरकार का महत्वपूर्ण दिन वह हो सकता है जिसे सरकार समझती हो या दफा ३७ को लागू करने के लिये कोई दिनांक मैटर करता है, जो प्रभावित होते हों उन दिनांकों के संबंध में सरकार का आशय शायद रहा हो। माननीय मंत्री मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि गुफ्तगू में लगे हुये हैं।

श्री रामस्वरूप यादव--मैं पूरी बात सुन रहा हूं। आप कुछ कहिये भी तो।

श्री अध्यक्ष--वह कह रहें हैं कि "मेटीरियल" की हिन्दी खंड ३ में जो की है "महत्वपूर्ण" वह उचित नहीं है, "मैटीरियल डेट्स" का अर्थ "महत्वपूर्ण दिनांक" उचित नहीं हो सकता। संदर्भ से "मैटीरियल डेट्स" का अर्थ यह होता है जो दिनांक मैटर करते हैं। आप कहते हैं विधेयक में "महत्वपूर्ण दिवस" तो उनका कहना यह है कि महत्वपूर्ण दिन तो २६ जनवरी हो सकता है। १५ अगस्त हो सकता है, जन्माष्टमी हो सकती है। इस तरह से ट्रांसलेशन करने से अर्थ में स्पष्टता नहीं होगी।

श्री रामस्वरूप यादव--अनुवाद में हो सकता है।

श्री अध्यक्ष——लेकिन वह गलती है ।

श्री रामस्वरूप यादव——वह तो आप ठीक कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष——ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसा कानूनी शब्द है कि अगर मैं इसे अपने आप संशोधन कर दूं तो आप कह देंगे कि वह तो मैटिरियल चेन्ज हो गया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी——एक दिक्कत यह है कि हमारे उपनेता उठ कर चले गये । वे कभी कभी नाखुश हो जाते हैं कि अध्यापक हमको पढ़ाने की कोशिश करते हैं ।

श्री अध्यक्ष——आपका इसमें तो अधिकार है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी——वही तो मैं कहता हूं कि गलती मिले तो क्या न पढ़ाऊं ?

श्री अध्यक्ष——आप सजेस्ट करिये, मैं समझता हूं कि वे स्वीकार करेंगे ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)——श्रीमन्, मैं आ गया पढ़ने के लिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी——"जिन दिनों में प्रभावित हो" यह रख दिया जाय या सरकार का विभाग सोच ले या मुझे बुलायेंगे तो मैं सलाह दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष——अब चूंकि इसके ऊपर ध्यान आकृष्ट कर दिया है तो मैं इसका अनुवाद सही करा दूंगा । तो यह निश्चय हुआ कि जो इसका वाजिब हिन्दी का अनुवाद होगा वह मैं कर दूंगा ?

श्री रामस्वरूप यादव——जी हां ।

श्री मोतीलाल अवस्थी——मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने एक अध्यापक की बताई हुई गलती को स्वीकार कर लिया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन——जो काम करता है वही गलती करता है, जो नहीं करता है वह गलती क्या करेगा ?

श्री मोतीलाल अवस्थी——यह ठीक है, मैं अपने ऊपर अभिमान नहीं करता, लेकिन जो मंत्री जो लोग यह दावा करते हैं कि सरकार कभी गलती नहीं करती उनका दावा खारिज ।

और यह जो कठिनाई निवारण की बात है वह तो मेरी बात कायम है कि सरकार कठिनाई निवारण तो नहीं करती है बल्कि कठिनाई को पैदा करती है, क्योंकि पिछली गलतियों को जब वह समेटना चाहती है तो जो गलती उसने की उसको मानने का जो तरीका अपनाया उससे कठिनाई उलझी हुई दिखाई पड़ती है । तो यह पुराना तरीका है । हम यह तो नहीं कह सकते कि सरकार इससे बाज आये, वह तो करेगी ही, लेकिन मैं यह बता दूं कि साधारण जनता से अगर कहा जाय कि सरकार कोई कानून पास करने के बाद अगर कोई गलती अपनी जान गई, या तुम बता दो या हम बता दें या कचेहरी बता दे तो सरकार कहती है कि अच्छा भाई, तुमने बताया है तो हम इसे इस रूप में स्वीकार करेंगे कि मानो हमने गलती कभी की ही नहीं । अगर यह हम किसी किसान को बताने लग जांय तो वह कहेगा कि यह तो गलती मानने का तरीका नहीं हुआ । इसके माने तो यह हुये कि सरकार कहती है कि हम गलती कभी करते ही नहीं हैं और अगर कर दिया है तो वह भी न करना ही समझा जाय । अगर यह कठिनाई निवारण है सरकार का तो चित भी भी मेरी और पट भी मेरी । अब मैं ज्यादा समय न लूंगा और इतना ही कर कर अपनी बात को समाप्त करूंगा ।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग मान जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४ व ५

४—मूल अधिनियम की अनुसूची २ के प्रथम स्तम्भ में :— ऐक्ट संख्या ७, १८७० की अनुसूचि २ का संशोधन।

(१) अनुच्छेद १० में शब्द "An Advocate" के स्थान पर शब्द "an Advocate, Attorney or Pleader" रख दिये जायं तथा,

(२) अनुच्छेद २१-ए में शब्द "Application or Petition" के स्थान पर शब्द "Application, Petition or Memorandum of Appeal" रख दिये जायं।

५—कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित की गयी अधिनियमिति (enactment) हो। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९६० का निरसन यू० पी० ऐक्ट, सं० १, १९०४

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना, तथा खंड १

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करने के लिये ऐक्ट संख्या ७, १८७०

विधेयक

कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये गवर्नर द्वारा २८ नवम्बर, १९६० को कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० प्रख्यापित किया गया था; ऐक्ट संख्या १८७० उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९६०।

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश, जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३(२)(क) के अधीन विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय;

और यह भी इष्टकर है कि कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में एतद्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त इसके अतिरिक्त भी संशोधित किया जाय; ऐक्ट संख्या ७, १८७०

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—(१) यह अधिनियम कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा-सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१

†**संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)**--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, संसदीय प्रथा साधारणतया यह रही है कि जब कभी कोई बिल वेतन के लिये प्रस्तुत किया जाय तो उसमें ज्यादा नहीं बोला जाता है और साधारणतया वह पास कर दिया जाता है । खास तौर से जब कोई विधेयक ऐसा लाया गया हो जिसमें तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय कम कर दी गई हों । इस विधेयक में श्रीमन्, जैसा कि आप देखेंगे तीन खास बातें हैं । अध्यक्ष, विधान सभा, सभापति विधान परिषद्, मंत्री और राज्य मंत्रियों की तनख्वाहें १,२०० रुपये जो पहले इन्कम टैक्स के साथ थीं, कम करके १,००० रुपये कर दी गई हैं । इसी प्रकार से उपाध्यक्ष विधान सभा, उपसभापति विधान परिषद् तथा उपमंत्री जिनकी तनख्वाहें ७५० रुपये थीं उनको कम करके ६५० रुपये कर दी गई हैं और मकान इत्यादि में भी कुछ संशोधन किये गये हैं और सभा सचिवों को भविष्य में अवैतनिक कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि मंत्रियों तथा विधान सभा के अध्यक्ष और सभापति विधान परिषद् की पहले तनख्वाहें १,५०० रुपये थीं । जब खर्चे बढ़ गये और १९५२ में उनकी तनख्वाहें १,२०० रुपये इन्कम टैक्स के साथ कर दी गईं । इस समय जब कि खर्चे और भी बढ़ गये हैं फिर भी १९६१ में उनकी तनख्वाहें १,००० रुपये ही रखी गई हैं । इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, जो कम तनख्वाह पाने वाले हैं उनकी धीरे-धीरे तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं । उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि १९४७ में ५० रुपये पाने वाले थे उनको २५ प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिलता था उसको मार्च, १९४९ में २० रुपये कर दिया गया । १९५७ में २५ रुपये कर दिया गया और १९५९ में २७ रुपये ५० नये पैसे कर दिया गया और अप्रैल १९६० में ३३ रुपये कर दिया गया है । धीरे-धीरे जहां मंत्रियों की तनख्वाहें घटी हैं वहां कम तनख्वाह पाने वालों की बढ़ी हैं । इसके साथ ही साथ और खर्चे भी कम किये गये हैं । जैसे कि मकान और मोटर के किये हैं । इसका आखिरी नतीजा यह है कि नान-रेकरिंग में १३ लाख रुपये की बचत होगी और रेकरिंग में दो लाख रुपये की बचत हुई है । मुझे ज्यादा नहीं कहना है, जो उधर के साथी हैं उनसे प्रार्थना करूंगा क्योंकि यह ऐसा बिल है जिसमें खर्चे कम किये गये हैं, इसलिये इसका अभिनन्दन होना चाहिये । ऐसा न हो कि क्रिटिसाइज करने से दूसरे लोग फायदा उठायें । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह बिल पारित किया जाय ।

---

†१७ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपर्युक्त विधेयक को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसे बिलों पर अधिक नहीं बोला जाता और इसका अभिनन्दन किया जाय । बिल्कुल ठीक । मंत्री जी को अधिक नहीं बोलना चाहिये मगर ऐसे बिलों पर जिन की तह में एक बड़ी भारी घटना छिपी हुई हो उस पर क्यों न बोला जाय । यह बिल ऐसा ही है जैसा कि चूहों का बिल होता है, जिसको अगर खोदा जाय तो सारे खेत की बालियां उसी में निकलती हैं ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---जब जानते नहीं हैं, तो चाहे जो कुछ बोलें ।

श्री शिव प्रसाद नागर---मैं सब कुछ जानता हूं । जैसा महाभारत में हुआ था---महाभारत में जब सब को जीत गये पांडव, तो यादवों को बड़ी खुशी हुई । उस खुशी में वह नाचने कूदने लगे और पेट में एक कड़ाही बांध कर लोंहण ऋषि के पास पहुंचे, और उनसे पूछा कि महाराज इसमें क्या पैदा होगा । लोंहण ऋषि अन्तर्यामी थे । वह समझ गये कि यह ढोंग बना कर आये हैं । उन्होंने कहा कि इसमें जो पैदा होगा उससे यादव वंश का सर्वनाश हो जायगा । यह सुनकर वह कृष्ण जी के पास आकर उनके पैरों पर गिर गये कि महाराज लोंहण ऋषि ने शाप दे दी है । कृष्ण जी ने कहा अब इसका एक ही उपाय है कि इस कड़ाही को रेतो और रेत कर यमुना जी की धारा में बहा दो । उस जमाने में न प्लास था न सम्सी, पकड़ते बनता नहीं था, इसलिये एक चिफ्फी रेतने से रह गई । उन्होंने जा कर कृष्ण जी से कहा कि महाराज यह पकड़ते नहीं बनती है इसलिये यह रह गई है । उन्होंने कहा कि अच्छा जाओ इन सब को यमुना की धारा में बीचोबीच में प्रवाह कर दो । तो जितनी रेत बन गई थी वह तो गोंदी जम गई और जो चिफ्फी थी उसको एक मछली ने निगल लिया । उसको एक बहेलिया ने पकड़ लिया । उसमें से वह चिफ्फी निकली । उस चिफ्फी से बहेलिये ने तीर बनाया । जब यादव वंशज यमुना जी में नहाने गये तो उनमें आपस में झगड़ा हो गया । वह उखाड़-उखाड़ कर एक दूसरे के गोंदी मारने लगे और एक कत्लेआम शुरू हो गया ।

जब कृष्ण जी को यह पता चला कि यादव वंश का संहार हो गया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और यमुना जी के किनारे जंगल में लेटे हुये अफसोस कर कहे थे पैर पर पैर रखे हुये थे पद्म चमक रहा था यमुना जी के किनारे कहीं वही बहेलिया खड़ा देख रहा था । उसने कृष्ण जी के पैर को देख कर समझा कि हिरन की आंख है और तीर चला दिया, जो उनके पैर में जा कर लगा । तो वह लड़े थे यमुना जी के किनारे और यह सब कहां लड़े ? स्टैडियम में गोमती के किनारे । और जब इन की लड़ाई समाप्त हुई तो यह बिल आया । तो इस की तह में एक बड़ी भारी कहानी है । जब यह बरसरे इक्तदार आये तो इन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा चमत्कार दिखायें जो उत्तर प्रदेश की सारी जनता चकाचौंध हो जाय, यद्यपि सारा चमत्कार स्टैडियम में ही समाप्त हो गया था । कुछ और नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश के खजाने की कुंडी खटखटाई और उसमें से एक चमत्कार निकाला, इसलिये कि खूब प्रचार हो, अखबारों में निकले । पत्रकारों से कहा गया कि इसको छाप दो कि सौ रुपया तनख्वाह हमने घटा दी । उत्तर प्रदेश में, होटलों, रेलों, बसों, में सब जगह यह चर्चा होने लगी कि अब की से नये मंत्रिमंडल ने अपनी सौ रुपये तनख्वाह कम कर दी । वह चर्चा सुन ही रहे थे कि तब तक अध्यादेश आ गया, क्या जल्दी थी, दो महीने गम खाते, सदन बैठने वाला था । अध्यादेश जब आया तो उस वक्त भी खूब प्रचार हुआ । उसके बाद बिल आ गया । इस बिल की अब नब्ज देखनी है कि इसमें कितनी गर्मी है । अब जब आर्डिनेन्स आ गया और उसके बाद बिल आ गया तो जरा गौर तो कीजिये कि इस बिल का डिस्कशन होगा आज से लेकर कल तक । कितना रुपया खर्च होगा ?

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधायकों के भत्ते में ४,३०० रुपया कल दिन भर का खर्च होगा और आज का दो ढाई हजार रख लीजिये। करीब ७ हजार रुपया इस बिल के डिस्कशन पर खर्च हो जायगा और सदन के सेवकों, कार्यालयों, लाउडस्पीकरों आदि का भी व्यर्थ खर्चा होगा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—कम कर दीजिये। हम तो एक ही घंटे में चाहते हैं।

श्री शिव प्रसाद नागर—कम कैसे कर दें। जो लोग घर चले गये हैं वह भी तो भत्ता ले लेते हैं। भत्ता तो पूरे ४३१ के ४३१ ले लेते हैं। तो दिन भर का ४३,०० रुपया कल का हुआ और आज दो ढाई घंटे जो समय है उसका मिलाकर ७ हजार रुपया हो गया। अब मैं पूछता हूं कि जरूरत क्या थी इस बिल की? अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि सन् ५८ में इन्हीं कुर्सियों पर एक और सरकार बैठी थी। अभी थोड़ा बहुत यहां पिछली सरकार का जुज इन्हीं कुर्सियों पर विराजमान भी है। उस सरकार ने भी १०० रुपया कम कर दिया था। क्या अध्यक्ष महोदय, आप बता सकेंगे कि कोई बिल आपके द्वारा यहां पर आया, कोई आर्डिनेंस आया? नहीं आया कोई न उसका प्रचार हुआ, न उसका डंका पीटा गया और न नक्कारे बजाये गये। उसका कोई प्रचार नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। सिर्फ बजट स्पीच में कह दिया गया कि हमने १०० रुपया कम कर दिया। मगर यहां जो १०० रुपया कम किया तो मालूम ऐसा पड़ा कि उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर कोई इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि अब उस एहसान के बोझ से उसकी गर्दन ही टूट जायगी।

यह तो सब था ही। एक मजाक और है इस बिल के अन्दर। वह मजाक यह है कि मंत्रिमंडल अगर अपनी तनख्वाह कम कर दे, अपने वेतन में १०० रुपये की कमी कर दे, तो कर दे लेकिन अध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ आपकी कटौती भी उसी में है, मंत्रिमंडल की तनख्वाह कम करनी ही थी तो कर देते, मगर यह क्या बात थी कि आपकी भी तनख्वाह कम कर दी? आप तो कैबिनट के सदस्य भी नहीं हैं। आप तो पूरी ड्यूटी देते हैं सुबह से शाम तक, आप तो कोई बेगार भी नहीं करते हैं। मगर फिर भी आपकी भी तनख्वाह कम करने पर आमादा हो गये। यह भी नहीं समझ में आया कि कोई आदमी कितनी ड्यूटी देता है। अध्यक्ष महोदय, जितना काम करते हैं, सदन में जितना आप बैलेंस करते हैं दोनों पार्टियों को, हम तो आपको बड़ा श्रेय देते हैं और हम कहते हैं कि जितनी तनख्वाह आपको मिलती है अगर उससे दुगुनी मिले तो वह भी थोड़ी है। तो इनको इसका कोई अख्तियार नहीं था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तनख्वाह भी कम कर देते? कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, किस संविधान में लिखा है कि मंत्रि-मंडल अपने साथ में अध्यक्ष की भी तनख्वाह कम कर दे? मंत्रिमंडल चाहे तो मुफ्त में काम करे, फ्री काम करे, खाली डेली भत्ता लेकर काम करे, सब माफ है। मगर इनको क्या वास्ता है कि अध्यक्ष महोदय की तनख्वाह कम करें। यह एक मजाक है।

एक बात और बताऊं। १०० रुपये की तनख्वाह में सिर्फ कमी करते हैं। १०० रुपये से हुआ क्या? हमारे स्तर पर आ जाओ, लो दो सौ रुपया तनख्वाह। मैं अपना बताता हूं मेरे घर एक लाउड स्पीकर है, एक टेलीफोन लगा हुआ है, एक जीप भी है मेरे घर पर और सारे राजनीतिक साधन मेरे घर पर हैं केवल इसी २०० रुपये में। मैं दावा करता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं, सब सुन लें इस माननीय सदन के विधायक, कि लखीमपुर जिले में अगर कोई शख्स इस बात को कहीं साबित कर दे कि नागर ने कहीं दो नये पैसे भी किसी से लिये हों तो गधे पर चढ़ाकर और मुंह काला करके निकाल दीजिये। (व्यवधान) सुनिये, सुनिये, मैं अभी सब खोले देता हूं, अभी सब परदा उठाये देता हूं, ड्रामा बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से आ जाइये जरा हमारे स्तर पर। २०० रुपये वेतन लीजिये और हमारी तरह काम कीजिये जनता का। हम मेम्बर कहलायेंगे, आप मंत्री कहलाइये, हमारा आपका वेतन बराबर हो। यह क्या बड़ी मोटर, छोटी मोटर, बड़ा बंगला, छोटा बंगला। आ जाइये दारुलसफा में, रहिये हमारे साथ और २०० रुपया वेतन लीजिये और उसके बाद कहिये कि बड़े त्यागी हैं तब तो कोई बात भी हो। हम तो कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, भी बैठे हैं, जिस दिन आप उपाध्यक्ष के पद पर बैठे थे उसी दिन आपने कह दिया कि हम २५० रुपया कम लेंगे। अब बताइये कि १०० रुपये मंत्रियों ने कम किया तो उसका तो इतना डंका पीट रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे

हैं और उन्होंने २५० रुपया कम कर दिया, न कोई डंका पीटा, न कहीं प्रचार किया, न अखबारों में निकला, न उसके लिये आर्डिनेंस लाना पड़ा और न बिल लाना पड़ा। तो इस १०० रुपये के लिये यह बिल लाने की क्या जरूरत थी। २५० रुपया कम करने वाले के लिये तो बिल नहीं आया और १०० रुपये के लिये यह बिल क्यों लाये? दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्री हैं जो ऐसा करते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि बहुत से केन्द्रीय सरकार हैं जो तनख्वाह कम लेते हैं। कुछ हिस्सा उसका फोरगो कर देते हैं। मगर उन्होंने कभी इसका ढोल नहीं पीटा। न वह बिल लाये और न अध्यादेश की उनके लिये कभी आवश्यकता हुई। यहां की ही केवल यह परम्परा है कि १०० रुपल्ली छोड़ दिये तो एक बिल ले आये और अध्यादेश भी पहले ले आये और उसके लिये घोषणा इस बात की कर दी कि ५० लाख बच गया। १०० रुपल्ली तो तनख्वाह में छोड़ा जाय और उसके लिये कहा जाय कि ५० लाख रुपये की बचत उससे हो गई। उसके लिये खुद ही आंकड़े पेश कर दिये जो कभी सही नहीं होते। जब नारायण दत्त जी तिवारी उन आंकड़ों को चैलेंज करते हैं तो उधर से यह कहा जाता है कि आंकड़े जो छापे जाते हैं वे कभी सही नहीं होते, जब उन आंकड़ों को माननीय मंत्री जी पढ़ते हैं तब उनको कहा जाता है कि ये सही हैं। जब खुद उन आंकड़ों को पेश किया जाय तब भी हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि इतने लाख रुपया आपके छोड़ने से बच गया। यह कैसे सही हो सकते हैं? इसलिये मेरा निवेदन है कि यह १०० रुपये छोड़ना केवल धोखामात्र है।

इसके लिये हमको एक दूसरा पहलू भी देखना है। हमारे दल के नेता बाबू त्रिलोकीसिंह जी हैं और वहां पर फरीदी साहब हैं। दोनों साहबान यहीं लखनऊ के रहने वाले हैं। दोनों को इस २०० रुपये के अलावा ७५ रुपये मकान का भी मिलना चाहिये लेकिन उन्होंने शुरू से लेकर आज तक नहीं लिया। उसकी आपने कभी दाद नहीं दी है और न कभी जिक्र ही किया। हमसे कहा जाता है कि इसका अभिनन्दन करना चाहिये। अरे, आपने कभी हमारे इन दोनों नेताओं ने जो १५० रुपया महीना छोड़ा उसका जिक्र किया? उसका कभी आपने अभिनन्दन किया? आज जो यह १०० रुपल्ली छोड़ रहे हैं उसके लिये हमसे कहा जाता है कि अभिनन्दन कीजिये। अगर आप में से किसी ने हमारी इस बात का अभिनन्दन किया होता तो हम तो आपसे दो कदम आगे जाते और आपके इस कमी का अभिनन्दन करते। मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि यह सब केवल प्रचारमात्र किया गया। बड़ी सरलता के साथ एक बड़ी भारी बचत कर सकते थे और वह बचत यह थी कि जो धारा ३ इस विधेयक के अन्दर लिखी गई है उसको न लिखते वह धारा यह है कि:—

(२) धारा ३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(१) प्रत्येक मंत्री तथा राज्य मंत्री को, लखनऊ में उनकी पूरी पदावधि पर्यन्त तथा उत्तर प्रदेश के किसी अन्य ऐसे स्थान पर भी और ऐसी अवधि के लिये जो राज्य सरकार गजट में विज्ञापित करे, बिना किराये का सुसज्जित निवास स्थान पाने का भी अधिकार होगा। उक्त निवास स्थान का रखरखाव सार्वजनिक व्यय से ऐसे मान अथवा मानों के अनुसार होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं।"

इसको छोड़ देते, न तो अध्यादेश को लाने की जरूरत थी और न बिल की जरूरत थी। छोटी कोठी, बड़ी कोठी में आप फर्क देखते हैं, हम तो कुछ फर्क नहीं देखते हैं। इसी तरह से छोटी मोटर, बड़ी मोटर वह भी सब इसी तरह से है। लाखों रुपया छोटी मोटरें खरीदने में व्यय कर दिया गया और बड़ी मोटरों के लिये कहते हैं कि इतने में वह बिक जायंगी। यह सब आपके लिये है। इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ गया :—

औजे हफ्त मुल्लाकी इनका, चर्खे हफत तब्बाकी इनका,
महफिल इनकी और साक़ी इनका, आंखें मेरी और बाकी इनका।

क्या हुआ अगर यह १०० रुपये कम कर दिये। १०० रुपये की कोई अहमियत नहीं है। यहां पर आपने सब कुछ कर दिया। सब बातों को बदलते चले गये।

[श्री शिवप्रसाद नागर]
जमींदारी खत्म कर दी। इसके बाद सीलिंग भी कर दी लेकिन कभी आपने सोचा कि लोगों की तनख्वाह पर सीलिंग की जाय। किसी को ५ हजार और किसी को २ हजार और किसी को १०० रुपया। मगर जो ५ हजार पाता है वह आपकी कीमत कुछ नहीं समझता है। उसके दिमाग में आपकी कोई वकत नहीं है। इस वजह से आपके जो यहां से आदेश जाते हैं उनकी कम्पलायन्स ६,६ और ८,८ महीने तक नहीं होती है। मेरे पास सबूत है कि एक एक आदेश ३ और ४ वर्ष तक धरे रहते हैं। उन आदेशों की कोई वकत नहीं है। उसका कारण यह है कि आपने उनके स्टेट्स को बहुत लो कर दिया है,इतना लो स्टेट्स कर दिया है कि ५,००० की तनख्वाह वाले की नजर में आपकी कोई वकत नहीं रही। अगर सीलिंग कर दें कि जो मुख्य मंत्री की तनख्वाह है उससे अधिक तनख्वाह किसी अधिकारी को न होगी, तब स्टेट्स कायम हो सकता है इस सरकार का। तब इस सरकार का रोब गालिब हो सकता है और तब इस सरकार की सारी बातें प्रचलित हो जा सकती है, लोग इसे कुछ समझ सकते हैं, लेकिन यह बात ये कर नहीं सकते। अपने आप १,००० रुपया ले लें, लेकिन बोसियों ऐसे हैं कि जो अपने हैं और जो कोई तीन हजार पा रहा है, कोई चार हजार पा रहा है, कोई पांच हजार पा रहा है। अगर सीलिंग कर देंगे तो सब के एक हजार हो जायेंगे। सब अपने हैं, किस किसकी सीलिंग करें? सिर्फ एक बात इस कानून में बढ़ा दें, एक लाइन और लिख दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की तनख्वाह से ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसी अधिकारी की तनख्वाह न होगी, तो सब काम खत्म हो जाय। हम उसका बड़ा स्वागत करते, उसका अभिनन्दन करते, आपको बधाई देते, आपको बड़ा धन्यवाद देते। लेकिन आप चूंकि इसमें वह नहीं कर पाये इसलिये न हम आपका अभिनन्दन करने को तैयार हैं और न बधाई देने को तैयार हैं और साथ ही यह भी कहने को तैयार हैं कि यह बिल नहीं है, यह त्याग नहीं है, बल्कि यह ढोंग है।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस बिल का मकसद क्या है। जैसा नागर जी ने कहा, अगर ट्रेजरी बेंचेज इस बात को स्वीकार कर लें कि सिर्फ अपना डंका पीटने के लिये यह लाया गया है तब तो मैं कहूंगा कि ठीक है, लेकिन अगर वाकई में उनको कहीं बचत दिखाने की जरूरत है तो उसके और भी कई तरीके हो सकते हैं। उसके लिये इस प्रकार के अध्यादेश या बिल लाने की जरूरत नहीं है। श्रीमन्, नागर जी ने नेता विरोधी दल, विधान सभा तथा नेता विरोधी दल, विधान परिषद् के विषय में कहा। मैं इस समय की जो सरकार है उन्हीं की पार्टी के लोगों का उदाहरण दूंगा। विधान परिषद् में एक सदस्य थे जो कि कांग्रेस बेंचेज पर थे और उन्होंने विधान परिषद् से कभी अपना वेतन नहीं लिया। उसके लिये उन्हें कभी किसी कानून की आवश्यकता नहीं हुई। यह जानी हुई बात है कि डेढ़ दो सौ बरस से, जिस देश की परम्परा के हम अनुयायी हैं, जिसकी बहुत सी बातें हम लोग मानते हैं, उस देश के अर्थात् ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो उनकी जायज तनख्वाह है, जो उनको मिल सकती है अगर वह लेना चाहें, तो उसे ये नहीं लेते हैं। क्या हमारा मंत्रि-मंडल ऐसा नहीं कर सकता? क्या उस के लिये ग्रेट ब्रिटेन में किसी बिल या आर्डिनेन्स लाने की आवश्यकता पड़ी? हां, अगर यह कहें कि "टूगेन चोप पापुलैरिटी" यानी अपना डंका पीटेंगे बगैर कुछ खर्च किये हुये, श्रेय हासिल करेंगे इसके लिये अगर यह लाया गया हो तो मैं मान सकता हूं, समझ सकता हूं कि इसका कुछ मकसद है। लेकिन अगर यह कहूं कि "टु गेट ए परवर्स डिलाइट', श्रीमन् इसका तर्जुमा आप स्वयं कर दें।

श्री अध्यक्ष—आप ही कहिये ....

श्री सुरथबहादुर शाह—यानी एक बेहूदा, गैरमुनासिब और गैर वाजिब खुशी हासिल करने के लिये लोगों को धोखा दे कर, अपनी अशिक्षित जनता को बेवकूफ बना कर उनको यह दिखाना कि ये इकोनामी यानी बचत करने की गरज से यह करते हैं, तब तो ठीक है, वरना जिस देश की संसदीय परम्पराओं को हम लोग यहां स्थापित करने की चेष्टा करते हैं,

उस देश की क्या इस सिलसिले में मिसाल मौजूद नहीं है कि वहां के प्रधान मंत्री ने जो उनको पाना चाहिये, उसका तीन चौथाई या आधी तनख्वाह कभी नहीं ली। यह लोग कम लें, उनकी खुशी, लेकिन इस ढोंग की क्या जरूरत है ? क्या इसलिये कि अमीनाबाद में नोखे जो अंगूठा लगाता है यह जान जाय कि जो नये हजरत तशरीफ लाये हैं इसलिये यह कमी हुई है। पिछड़े क्षेत्रों में अगर कोई अखबार पढ़ कर सुनता है तो वह जान जाय कि यह कमी हुई ? अखबार पढ़ने वाला तो शायद जान जायगा कि इसमें कोई तरकीब है लेकिन सुनने वाला तो जरूर नहीं समझेगा कि हमारे पैसे की बचत होने वाली है, यह धोखा देने की हद है। दूसरी बात श्रीमन् यह है कि इसका यह मकसद यह भी हो सकता है कि इस बचत द्वारा हमको यह कहने का मौका मिल जाये यानी अशिक्षित लोगों को यह कहने का मौका मिल जाय कि जब उन्होंने इतनी कमी कर दी तो अब अगर खायें न तो क्या करें। यदि इस उद्देश्य से इस बिल को लाया गया है तो ठीक है ....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह बात पार्लियामेंटरी पद्धति में नहीं आती कि आप यह कहें कि तनख्वाह में जब इतनी कमी कर दी तो आप न खायें तो क्या करेंगे इस तरह से नहीं कहना चाहिये।

श्री सुरथबहादुर शाह—श्रीमन्, मैंने 'अगर' शब्द को लगाया है, अब अगर जो दिल में है, उसे प्रकट भी न करूं, इस तरह से, तो और शब्द कहां से लाऊं . . .

श्री अध्यक्ष—दिल पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखिये। और भी तरीके हो सकते हैं बात को कहने के। इस तरह से कहना ठीक नहीं है।

श्री सुरथबहादुर शाह—श्रीमन्, मैंने उनकी नीयत पर हमला नहीं किया। शिकायत जरूर करता हूं क्योंकि मजबूर हूं। लोग मुख्तलिफ तरीकों से चर्चा करते हैं, लांछन लगाते हैं और जबरदस्ती खड़े होकर बोल कर, आपसे समय भी ले लेते हैं, लेकिन जो सही तरीके से आपकी आज्ञा चाहता है उसे आज्ञा नहीं मिल पाती। मैं कोशिश जरूर करता हूं कि जो स्तर रहना चाहिये वह रहे, लेकिन कभी-कभी दिल की बात को कहने के लिये मजबूर हो जाता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, बहुत से लोग आपको धमकी देकर भी समय ले लेते हैं।

श्री सुरथबहादुर शाह—इनका नाम तो श्रीमन् ज्ञात ही है, तो श्रीमन्, इस बिल में एक खास बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो सैलरी बिल है इसमें अगर आप गौर फरमायेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह जो २०० रुपये वेतन मिलते हैं यह सिवाय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के, डिप्टी मिनिस्टर्स के, मिनिस्टरों और स्टेट मिनिस्टरों के अन्य सब सदस्यों को मिलेंगे। इस बिल के अनुसार जो सभा सचिव होगा वह अवैतनिक होगा। अगर आप इजाजत दें तो अंग्रेजी में मैं पढ़ दूं—

"There shall be paid no salary to a Parliamentary Secretary, but for the period of his stay at Lucknow in connexion with public business he may be allowed such daily allowance as may be prescribed by rules to be made by the State Government in this behalf ; "

तो इसके अनुसार आप देखें कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अवैतनिक होगा। किन्तु अगर वह सार्वजनिक कार्य से लखनऊ में रहेगा तो उसको डेली एलाउन्स मिलेगा यानी दैनिक भत्ता मिलेगा, अब इसको तनख्वाह कहां से मिलेगी ? उधर तो यह कानून है कि २०० रुपये जो तनख्वाह मिलेगी वह मिनिस्टरों, स्टेट मिनिस्टरों, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज वगैरह को छोड़ कर मिलेगी। इस बिल के अनुसार वह अवैतनिक होगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब वह सार्वजनिक

[श्री सुरथ बहादुर शाह]

कार्य से रहेगा तब तो उसे भत्ता मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो मैं श्रीमन्, यह अर्ज करूंगा कि जो इन लोगों की विचारधारा है, मैं नीयत पर हमला नहीं करूंगा, वह गलत है। यह इन लोगों की इनएफीसिएन्सी यानी अक्षमता का उदाहरण है।

श्री अध्यक्ष--आप सरकार को इनएफीशिएन्ट कह सकते हैं और यह कह सकते हैं कि लायक नहीं है, इसी तरह से कह सकते हैं।

श्री सुरथबहादुर शाह--तो श्रीमन्, जिस बिल में इतना फन्डामेन्टल फला हो यानी मौलिक-भूल उसके लिये सरकार हमसे आशा करे कि हम उसका अभिनन्दन करें, यह किस मुंह से आशा करते हैं और किस मुंह से हम करें। इसलिये मेरा निवेदन है कि वह इस बिल को फिर से लायें अगर वह इसको प्रवर समिति में न भेजना चाहते हों। वह एक मर्तबा अपनी गलती और अपने कानूनी विभाग की गलती महसूस करें और जिम्मेदारी के साथ इसको वापिस लें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अब श्रीमन्, आप फिर कह सकते हैं कि हम इनकी नीयत पर शक करते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि अगर इनका मकसद ढोल पीटने का नहीं था, अशिक्षित जनता को बेवकूफ बनाने का नहीं था बल्कि सिर्फ जनता के पैसे में बचत करने का मकसद था तो फिर इस ढोंग की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस सम्बन्ध में अभी आपके सामने विधान सभा के नेता विरोधी दल और विधान परिषद् के नेता विरोधी दल का उदाहरण दिया गया और इंग्लिस्तान के प्रधान मन्त्री का भी उदाहरण दिया गया। तो इन सब बातों को देखते हुये और कानूनी अड़चन और भूल या गलती को देखते हुये यह आवश्यक होगा कि इसको प्रवर समिति में न भेज कर इसको वापिस लेकर सही रूप में बिल पेश किया जाय अगर पेश ही करना चाहते हैं।

श्री दीप नारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक संशोधन है।

श्री अध्यक्ष--मैं संशोधन की इजाजत नहीं दूंगा। इसमें ७ रोज की जगह पर प्रवर समिति के लिये केवल १० रोज कर दिया है, तो वह आप अपने भाषण में कह सकते हैं।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस बिल को जो प्रवर समिति में भेजने का संशोधन है उसका समर्थन कर रहा हूं। मैं स्पष्ट कर दूं कि इसके सम्बन्ध में मैंने बहुत से संशोधन भी रखे हैं और इसी आशय से रखे थे कि यह विधेयक इस प्रकार का नहीं है जिसे लोग निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लेंगे। इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि इस पर ठंडे दिल से सदन के निर्वाचित सदस्यों द्वारा विवेचन किया जाय और यह देखा जाय कि यदि बचत करनी है तो वह किस रूप में की जाय और वास्तविक रूप में वह कैसे सम्भव हो सकती है। इन बातों के लिये यह आवश्यक था कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, यह हो सकता है कि वह इसको शीघ्रातिशीघ्र वापिस कर दे। इसलिये मैं समझता हूं कि प्रवर समिति के लिये जो एक सप्ताह का समय है वह उचित ही है। इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रवर समिति को कुछ ज्यादा भार लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल कुछ सिद्धान्त की बातें ही इसमें सोचनी हैं। यह बिल जिस मंशा से लाया गया उसकी विवेचना हमारे पूर्ववक्ताओं ने कर दी है कि मंत्रियों को इस बचत के दिखाने और प्रकाशन करने को ज्यादा चिन्ता थी और इसी कारण उन्होंने मंत्रिमंडल बनने के दूसरे दिन ही इसकी घोषणा कर दी थी और अध्यादेश द्वारा उसको लागू भी करवा दिया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्रियों की तनख्वाहों में बचत करने के सम्बन्ध में कहा गया है कि इससे २ लाख रेकरिंग की अन्त में बचत होगी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि बचत इन चन्द मंत्रियों के वेतन को घटा देने से या ऐसा ही एकाध और काम करने से नहीं होगी। बचत के और ही तरीके हैं जो सरकार को मालूम होने चाहिये। सरकार की जो नौकरशाही का दल है उसका वेतन देने में किसान आज बिलकुल तबाह हो गया है, बल्कि, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कल कहा, मैं यों कहूं कि हमारे प्रदेश में नौकरों की तनख्वाह का बिल अन्य प्रदेशों से सबसे ऊंचा है। यह हमारे लिये शर्म की बात है। इन बड़े-बड़े वेतनों पर आश्रित हमारे अधिकारियों को सिखाना चाहिये कि यह देश कृषकों का है जो निर्धन हैं, इसमें इतने उच्च वेतनभोगी अधिकारी नहीं रह सकते। इस देश में सब लोग कभी कभी हमारे जैसे आंसू बहा दिया करते हैं। हमारे बड़े बड़े मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति सभी के मुंह से सुना जाता है कि किसी वर्ग की तनख्वाह, जैसे चपरासी की है, इतनी कम है। इन सब बातों को देखते हुये मैं चाहूंगा कि वेतनों में कमी हो और रहन-सहन में भी मितव्ययिता आवे। यदि रहन-सहन में ऐसा नहीं किया जायगा तो कम वेतन करने पर ये लोग आमदनी के और जरिये निकालेंगे जो और भी बुरा होगा।

इस विधेयक में निवास-स्थानों के रख-रखाव की मद में भी बचत की बात कही गई है कि अभी तक जो रुपया इसके लिये मिलता था वह अब नियमित रूप से ही मानसरूप में मिलेगा। शायद इस बात की आशा की जा रही है कि इन निवास-स्थानों के रख-रखाव में भी मितव्ययिता आवेगी। मुझे इसमें सन्देह है क्योंकि ये ऐसे ढंग के बन चुके हैं जिनमें सरकार जल्दी कुछ कमी नहीं कर पावेगी। यदि इसके लिये वह कुछ उपाय बतलावे तो मैं मान लेता कि वह इस ओर जा रहे हैं। फिलहाल, इस संशोधन में कुछ वास्तविकता नहीं दिखाई देती। इसलिये भी इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना उचित होगा जहां हम यह सोच सकेंगे कि क्या रख-रखाव में कुछ सादगी और मितव्ययिता लाई जा सकती है और उनमें खर्चे में कमी हो सकती है? कुछ हेर फेर ऐसे दिखाये गये हैं, जैसे राज्य मंत्री और मंत्री, इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है। हमारे पिछले मुख्य मंत्री जी ने एक बार यहां कहा था कि हम राज्य मंत्रियों से काम तो उतना ही लेते हैं जितना मंत्रियों से लेकिन उनके वेतनों में कुछ कमी करके हम सरकार का पैसा बचाते हैं और इसलिये राज्य मंत्री भी काफी तादाद में रखते हैं। मैंने इस संशोधन में देखा है कि उन्होंने एक खंड निकाल कर यह चाहा कि राज्य मंत्री और मंत्री में तनख्वाह का परिवर्तन मिटा दिया जाय और अब वह बात नहीं रह गयी जो हमारे पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने कही थी।

एक और नये ढंग की बात की जा रही है। सभा-सचिवों को बिना वेतन रखा जा रहा है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह ढोंग किया गया है। वह केवल एक ही ढूंढ़ने पर मिला। हर चन्द कोशिश की गयी लेकिन किसी ने आफर नहीं किया। जिन सज्जन ने आकर किया उनकी प्रतिष्ठा के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दुर्भाग्य या सौभाग्य से बात करने का मौका मिला तो मालूम हुआ कि मंत्रिमंडल में काम करने के लिये इस लिये आये हैं कि कुछ ट्रेनिंग ही मिल जाय। यानी अचानक किसी को मंत्रिमंडल की कुर्सी पर इसलिये नहीं बिठाते हैं कि कि वे जानते ही नहीं कि किसी से किस प्रकार बातें की जायं। तभी तो मंत्री जी जबाव में कह दिया करते हैं कि हमारे हाथ में फलां कागज दिया ही नहीं था। हां तो सभासचिवों के बारे में लिखते लिखते गलती कर गये। अब उस गलती को श्री जगदीश प्रसाद की सहायता से सुधारने की कोशिश की जा रही है। पिछली तरह से न हो कि नागेश्वर द्विवेदी के संशोधन की भांति सरकार मतलब ही उल्टा कर दे।

इस विधेयक में तीन मुख्य बातें हैं—१—मंत्रियों के वेतन को कम करना, २—मंत्रियों और राज्य मंत्रियों का पद समान रखना, ३—सभासचिवों का पद अवैतनिक रखना। पहले जब मैं बोल रहा था तो उपनेता सदन यहां मौजूद थे। इस समय नहीं हैं। मैं उस विषय

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने मेरा जबाव देते हुए कहा था कि हम तो यहां भी कोठियों में रहते हैं और घर पर भी कोठियों में रहते थे कोई लफंगे तो हैं नहीं। लेकिन हम बड़ी कोठियों में रहने वाले को बड़ा नहीं समझते, न आदर दे सकते हैं, बड़ी बुद्धि वाले को अवश्य आदर दे सकते हैं और बुद्धिवादी झोपड़ियों में पाये जाते हैं। इसी आधार पर राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था कि राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद वह हो सकेगा जो झोपड़ियों में रहेगा, मंत्रियों का निवास साधारण कुटियों में होगा। उनके शब्दों को किसी किताब से पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे उनके शब्द याद हैं, कानों से सुने हैं। इस अध्यादेश के द्वारा जो थोड़ी सी बचत की प्रवृत्ति दिखायी गयी है उसके बारे में कभी कभी सरकार और जनता में इस तरह की बातों पर बहस हो जाया करती है। जब जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम कहा करते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है, तो चाहे मंत्री जी हों, चाहे जिलाधीश हों, चाहे मुख्य सचिव हों, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, सब यही जबाव दे दिया करते हैं कि अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो हमारे समाज से आये हुए लड़के ही तो करते हैं। पहले समाज को सुधारो तब हमसे कहो कि भ्रष्टाचार न करें। यह उलट कर जबाव हर सज्जन दे दिया करते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार बराबर करते रहेंगे जब तक कि समाज को सुधार कर तुम नहीं दिखला देते। हमारे ऊपर समाज के सुधारने की जिम्मेदारी देकर वे अपने को बरी कर लेते हैं।

मैं सरकार से सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति में कहा गया है कि राजा परमेश्वर हुआ करता है। आज राजा नहीं है, लेकिन जो प्रजातांत्रिक सरकार है वह राजा है। जो मंत्री हैं वे राजा हैं, जो चौकीदार है वह भी राजा है और वह अपने को राजा समझता है। तो जब परमेश्वर के रूप में आप राजा बने हैं तो आदर्श तो परमेश्वर की तरह ही होना चाहिये। हम भ्रष्टाचारी हो जायं तो हो जायं लेकिन जो परमेश्वर के रूप में मंत्री हैं उनको तो भ्रष्टाचार से बरी रहना चाहिये। अगर सरकार आदर्श नहीं दिखलाती तो फिर जनता किस तरह से आदर्श उपस्थित कर सकती है। पहले तो ऊपर से ही आदर्श आना चाहिये।

यह कहा गया है कि हम तनख्वाह मंत्रियों की घटा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस तनख्वाह को घटा कर उन्होंने कहां तक आदर्श को पूरा किया है। आपने छोटी मोटर ले ली, छोटी कोठी ले ली और १,१०० रु० के बजाय १,००० रु० तनख्वाह कर ली। हमारे हाफिज साहब जो पहले यहां वित्त मंत्री थे उन्होंने कहा था कि हम फकीरी बाने के अनुसार १०० रु० का एक पत्ता देते हैं, और आपने दो पत्ते दे दिये। लेकिन फकीरी बाना इस तरह से नहीं होता है। फकीरी बाना तो तब हो जब कि ये चौकें हट जायं, चपरासियों की फौज और तड़क भड़क हट जाय। माननीय प्रधान मंत्री का कहना है कि हम अपने देश को चपरासियों का देश नहीं बनाना चाहते हैं। पता नहीं उनकी यह इच्छा उनके जीवन काल में पूरी हो सकेगी या नहीं। क्योंकि यह जो आडम्बर के स्रोत हैं उन सब को घटाना पड़ेगा। कहा गया है कि इसमें काफी हेरफेर हो रहा है। लकिन मेरा कहना यह है कि जब तक वृत्तियां नहीं बदलेंगी, जब तक स्वभाव में बदलाव नहीं आयेगा तब तक तनख्वाह कम कर देने से ही कुछ विशेष लाभ नहीं होने वाला है। हमारे मुख्य मंत्री के अन्दर विशेष हिन्दुस्तानीपन है और उन्होंने कहा है कि कहीं आने जाने पर उनके साथ कोई विशेष पुलिस आदि का प्रबन्ध नहीं किया जाय लेकिन आज भी किसानों को उनके पास जाकर बात करने में वैसे ही भय लगता है जैसे बाघ के पास जाने में बकरी भय खाती हो। इसलिये अगर वे सचमुच गरीबों और देश की भलाई करना चाहते हैं तो उनको अपने उन गरीबों के अनुरूप होना चाहिये।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह एलान किया है कि अब मंत्रियों के अगल बगल में पेट्रोल नहीं चलेंगे लेकिन यह तो दिखावे की बात है क्योंकि शैडो तो अब भी उनके साथ रहते हैं और रहेंगे ही। उनको अब भी जनता से खतरा रहता है क्योंकि वे अपने को जनता से बाहर समझते हैं। कागज पर भले ही इस तरह की कोई बात लिख दी जाती हो कि उनको किसी से किसी तरह का

कोई खतरा नहीं है लेकिन उनको खतरा इसलिये मालूम होता है कि वे अपने को जनता का प्रतिनिधि नहीं बना पाये हैं। उनको खतरा होना भी चाहिये क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वयं पटेल से खफा हो गये थे कि दो दो बम गिरने के बाद भी तुम क्यों हमारी रक्षा करना चाहते हो और पुरानी पुलिस के आदर्श को लेकर चलते हो। लेकिन गांधी जी की बात गलत साबित हुई और पटेल जी की बात सही साबित हुई क्योंकि वे सोचते थे कि उनकी रक्षा हो। यह मैं अपनी बुद्धि से सोचता हूं। रक्षा करना वह चाहते थे और बावजूद गांधी जी की इच्छा के उनके सामने दो आदर्शों के बीच संघर्ष था....

श्री अध्यक्ष--अब आप कल अपना भाषण जारी रखें। अब दूसरा काम शुरू होगा।

कानपुर के केसा बिजलीघर द्वारा कम बिजली के उत्पादन से सम्बन्धित ८ फरवरी, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २०-२९ के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष--अब कानपुर में केसा बिजली घर द्वारा कम बिजली के उत्पादन से संकट के सम्बन्ध में सीमांकित सदस्यों के ८ फरवरी, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २०-२९ पर सम्बन्धित मदन पांडेय, रामसुन्दर पांडेय तथा यमुना सिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद होगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--अध्यक्ष महोदय, कानपुर में बिजली का संकट उपस्थित होने के पहले हम लोग अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि से ही कोई भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है इसी की कल्पना करते थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की वाणिज्य राजधानी में इस बार बिजली का संकट पैदा हुआ तो उस भयंकर स्थिति की कल्पना करना भी कठिन हो गया। इस की वजह से कानपुर के १५ लाख मजदूर परिवारों में एक भयंकर संकट पैदा हुआ, उनके आश्रित भूखों मरने लगे और १ लाख के करीब मजदूरों की बेकारी की नौबत आ गई। समझ में नहीं आता कि आज के जमाने में अगर इस तरह की प्रशासनिक गलतियां होती रहें जैसी कि उक्त मामले में हुई है तो इसके कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसी विषय को लेकर सदन के सामने गत ८ फरवरी को प्रश्नों की झड़ी लग गई थी और माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया था उससे किसी का समाधान नहीं हुआ था। आपने आज आधा घंटे का समय देकर बड़ी कृपा की है और हमें समाधान का मौका दिया है।

सबसे पहले मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान एक वक्तव्य 'लेटर टु दि एडीटर' की ओर दिलाऊंगा जो श्री विमल मेहरोत्रा जो प्रेसीडेंट कानपुर बिजली मजदूर सभा और जनरल सेक्रेटरी, हिन्द मजदूर सभा भी हैं उन्होंने २९ नवम्बर, ६० के नेशनल हेराल्ड में छपवाया है। मैं उसके दो तीन अंश आप की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं जिससे स्पष्ट हो जाय कि माननीय मंत्री जी की जो जानकारी विभाग के द्वारा होती है उसके अलावा बाहर के लोगों से भी कुछ जानकारी हो सकती है तथा उसका उन को उपयोग करना चाहिये। इसमें लिखा है--

"At present four dredgers are working so as to help the water flow from the main current being brought within the range of the water supply of KESA, two of which belong to KESA and two of which have been taken from the waterworks. This co-operation of the waterworks authorities and KESA authorities could have been arranged much earlier."

यानी ४ ड्रेजर्स काम कर रहे हैं जो पानी को केसा तक लाने में मदद कर रहे हैं जिसमें से २ केसा के हैं और २ वाटर वर्क्स से लिये गये हैं। उनका कहना है कि वाटरवर्क्स अथारिटीज और केसा वालों का यह कोआपरेशन पहले से ही अरेन्ज किया जा सकता था। इस तरह से सजेशन

[श्री मदन पांडेय]

हुआ कि पानी को काम में लाया जाय और बाहर जाया न जाने दिया जाय। आगे वह लिखते हैं कि--

"We understand that this suggestion had come from the water works authorities but was not acted upon by the KESA authorities"

हमारा खयाल है कि यह सजेशन वाटरवर्क्स अथारिटीज की तरफ से आया और केसा वालों की तरफ से उसको अमल में नहीं लाया गया।

उसका दूसरा अंश भी मैं पढ़ दूं, उसमें है कि--

"We are informed that digging operations could not be undertaken for the first 72 hours in full measure on account of shortage of 'spades' because of the red tape involved in making the purchases and on account of the absence of the sanctioning authorities from Kanpur, the sanction could not be obtained. Even after the sanctioning authorities came a paltry sum of a couple of hundred rupees was sanctioned for this purpose and work was held up on account of the shortage of the spades. Both the General Manager and the Accounts Officer were not in Kanpur."

यानी हमें ज्ञात हुआ है कि खोद आदि का काम ७२ घंटे तक भी शुरू नहीं किया जा सका और कोई फावड़े आदि सामान पहले से नहीं खरीदा गया और जब खरीदा भी गया तो वह भी उसके लिये बहुत थोड़ा ही रुपया मंजूर किया गया जो कि नाकाफी था।

इसी पत्र का आगे का एक और अंश भी मैं उनकी सेवा में उपस्थित कर दूं और मैं चाहूंगा कि वह इन तमाम बातों के बारे में अपना दृष्टिकोण सदन के सामने रखें। वह यह है कि

"The river bed was brought to the notice of the officers of the river-side power-house nearly four weeks before the onset of actual shortage of water, but no action could be taken as one senior officer responsible for these decisions in R. S. P. House and the General Manager here were abroad and there had been no sufficient delegation of authority and no action could be taken in spite of the fact that this was brought to the notice of the officers there."

यह जो रिवर साइड पावर हाउस है, वहां के कर्मचारियों से विमल मेहरोत्रा का कहना है कि उन्होंने बात की और उनका कथन था कि महीनों पहले इस बात की सूचना दी जा चुकी थी और जनरल मैनेजर और दूसरे अधिकारी बाहर थे और डेलीगेशन आफ अथार्टी नहीं था, जिसकी वजह से कोई फैसला नहीं लिया गया और उसी के कारण इस तरह की दिक्कत आ पड़ी है और यह परिस्थिति पैदा हो गई है।

आज कह दिया जाता है कि नान-टेक्नीकल आदमी क्या समझते हैं या गैर-जिम्मेदार आदमी कुछ भी कह सकते हैं। वहां की सूती मिल मजदूर सभा जो कि सबसे रिप्रेजेन्टेटिव बाडी है मजदूर की उसके प्रेसीडेन्ट और जनरल सेक्रेटरी, हिन्द मजदूर सभा की तरफ से यह वरजन है। अगर मंत्री चैलेंज करते हैं तो जांच करायें और अगर सही सिद्ध हो तो जो अधिकारी इसके लिये अपराधी पाये जायं उनको दंडित किया जाय और अगर गलत सिद्ध हों तो हम अपनी बात वापस लेने के लिये तैयार रहेंगे।

एक दूसरा पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में भेजा गया था। वर्तमान मुख्य मंत्री जी की सेवा में ही भेजा गया था और जिसका जिक्र मैंने उस दिन प्रश्नोत्तर काल में भी किया था। इसकी ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसको भेजने वाले वहीं के म्युनिसिपल कमिश्नर श्री बाबू सिंह सेइया, श्री पन्ना लाल शर्मा, मंत्री, बिजली उपभोक्ता संघ, कानपुर

और श्री ठाकुर प्रसाद, लेबर कालोनी कोआपरेटिव सोसायटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। इस प्रकार के लोगों ने ये चार्चेज लगाये हैं:—

"क्या यह बात सही नहीं है कि श्री गुप्ता जी—मुख्य मंत्री जी नहीं बल्कि श्री के०सी० गुप्ता जो जनरल मैनेजर हैं वहां पर १२ तारीख को कानपुर में आ गये थे और तीन दिन तक पावर हाउस देखने नहीं गये जबकि उनको इस संकट की सूचना दिल्ली में ही दे दी गई थी ?

क्या यह बात सही नहीं है कि फावड़ा खरीदने के लिये रुपये की स्वीकृति का चेक तीन दिन तक उनके हस्ताक्षर के लिये मेज पर पड़ा रहा और फावड़े नहीं खरीदे जा सके जबकि शायद किसी अधिकारी के लिये उन्हीं दिनों में या आगे पीछे चाय का ८५ रुपये का टी सैट उसी समय आ गया ?

क्या यह बात सही नहीं है कि छोटे अधिकारी बराबर अपने ऊपर के अधिकारियों का ध्यान इस ओर खींचते रहे जबकि लोगों को यह बात भली भांति मालूम थी कि गंगा की धारा कई साल से इधर नहीं आ रही है, उन्नाव की ओर ही रहती है और फिर गंगा की धारा रात भर में तो उधर नहीं चली गई है, महीनों इसमें लगे हैं और इस कार्य के लिये अधिकारी नियुक्त भी हैं ?

तो यह पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में भेज दूंगा, अगर पहले न पहुंचा हो तो। इस तरह की समस्या हमारे सामने एक–ब–एक पैदा हो गई, यह बात नहीं है। दुनियां का कायदा है कि पावर हाउस जब बनते हैं तो सबसे पहले पानी की व्यवस्था होती है। जहां पानी वैसे उपलब्ध न हो वहां तालाब खोदकर उपलब्ध किया जाता है। गंगा की धारा जो बदलने का प्रश्न है वह आज से नहीं बल्कि पांच-छः साल से लगातार है। लोगों को शिकायत है कि सरसैया घाट पर लाखों रुपया बिगड़ गया, गंगा की धारा उन्नाव की तरफ चली गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं समय रहते इंतजाम किया गया। जिस पावर हाउस पर केवल १५ लाख लोगों की नहीं बल्कि सारे उत्तर भारत की जिम्मेदारी है, क्यों नहीं उसके ऊपर ध्यान दिया गया ? और आज भी वह अधिकारी वहां रहे यह कलंक की बात है। सरकार तुरन्त उन्हें स्थानान्तरित करे और इस मामले की जांच कराई जाय तथा उन्हें उचित दंड दिया जाय।

†संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पांडेय जी को इस तमाम मामले में बहुत बड़ी गलतफहमी है जो भी पावर हाउस बनाये जाते हैं—थोड़ा–सा मैं विस्तार में कहूंगा—उनको ठंडा करने के दो तरीके होते हैं।

एक तो यह कि पानी ले लिया जाय और उसको मशीनों से ठंडा किया जाय और फिर दुबारा उसको इस्तेमाल कर लिया जाय। और एक यह कि पावर हाउस ही किसी नदी के किनारे बनाया जाय। जो पहला तरीका है अगर उस तरह से पावर हाउस बनता तो लखनऊ के पावर हाउस में करीब करीब जो खर्च होता है मशीन खरीदने में उसमें ११ लाख रुपया १ साल में ज्यादा खर्च होता और १० साल में १ करोड़ १० लाख के इसमें खर्च होता। तो निश्चय किया गया कि पावर हाउस नदी के किनारे बनाया जाय ताकि पानी मिल सके। गंगा में हर साल पानी ज्यादा आया करता है और बरसात के बाद पानी कम होता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि जहां पानी ४ लाख क्यूसेक्स था बरसात में तो गरमी में ३ हजार क्यूसेक्स रह जाता है। बरसात में पानी ज्यादा रहता है और बरसात के बाद पानी कहाँ रहेगा यह पहले से निश्चित नहीं हो सकता। और पानी जब कम होता है उस वक्त पता चलता है कि इस समय धारा कहां रहेगी। आज से ४० साल पहले से गंगा इसी तरह से बहती चली आ रही है और इस पावर हाउस में पानी की कमी कभी नहीं हुई। हुआ यह कि बरसात के बाद जो पानी कम हुआ करता था तो धारा पावर हाउस से १, डेढ़ फर्लांग दूर रहती थी। इस साल जब पानी कम हुआ

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

बरसात के बाद तो गंगा जी इतनी दूर चली गईं कि ढाई मील से ज्यादा लम्बी धारा हो गयी। यह जो धारा ढाई मील की थी यह प्राकृतिक धारा थी जिससे पानी अपने आप वहां आया करता था। अब जैसा वहां का एरिया है वह ऐसा है कि रेत में से पानी वहां आया करता है और इस बालू में से ठीक करने के लिये हमारे यहां ड्रेजर्स हैं। दो नहीं बल्कि पावर हाउस के पास ४ हैं और २ ड्रेजर्स वाटर वर्क्स के पास हैं। एक बात और सूचना के लिये बता दूं, यह जो धारा आया करती थी इसी में से वाटर वर्क्स भी पानी लिया करता है। तो वहां पानी लेने का काम, धारा में पानी रखने का काम वाटर वर्क्स का भी है और कानपुर इलक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का भी ह क्योंकि दोनों पानी उसी धारा में से लिया करते हैं। यह ढाई मील लम्बी चैनल आज से पहले कभी नहीं हुई और इसकी जानकारी कि ऐसा हो जायगा इसकी न तो किसी को कोई सूचना थी और न सूचना हो सकती थी। जैसा मैंने बताया बरसात में पानी ज्यादा आ जाता है और कम पानी में ही धारा का पता लग सकता है।

पांडेय जी यह चाहते हैं कि गंगा जी का कोई ऐसा इंतजाम करें की धारा इसी तरफ रहे। यह अच्छी बात नहीं है। अगर धारा को इधर कर दिया जाय तो बरसात में भी उसका असर होगा क्योंकि इंतजाम जो किया जायगा वह पक्का किया जायगा। और अगर बहुत अच्छा इंतजाम न हुआ तो कानपुर शहर को ज्यादा नुकसान हो सकता है। जो नुकसान पावर हाउस को होगा उससे कहीं ज्यादा पूरे शहर को होगा।

एक चीज जरूर थी कि जैसी धारा थी इसकी सफाई के लिये ड्रेजर्स काम कर रहे थे। हुआ यह क्योंकि वहां बालू ज्यादा है तो इस धारा में जो पानी आता था वह एकदम से कुछ पानी गिरा। और आप देखें कि २१ तारीख को इस धारा में ९ इंच पानी था और २२ तारीख को पानी ३ इंच हो गया। एक दम से गिर गया। दूसरा आइडिया इससे भी आप लगा सकेंगे कि २४ तारीख को यहां जो पानी था वह ४८ क्यूसेक्स था जबकि साधारणतया पावर हाउस के लिये १४५ क्यूसेक्स पानी की जरूरत होती है। तो एकदम पानी कम हो गया और ऐसी हालत में कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि पानी वहां बढ़ावें। जब पानी कम हो जाया करता है तो मशीनें बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करतीं। उन्होंने अपनी सब मशीनें लगाईं और एक मशीन प्राइवेट आदमी की थी उसे भी लगाया, आदमी बढ़ाये और यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां ५,२०० आदमियों ने उसको खोदने का काम प्रारम्भ किया। उसकी मेहनत का यह नतीजा था कि इतनी जल्दी वे पानी ला सके।

एक चीज और बतला दूं, जब पानी कम होता है तो असर यह होता है कि पानी में सिल्टिंग शुरू हो जाता है और उसका नतीजा यह हुआ कि गर्म पानी जाता था, वह नीचे से निकल नहीं पाता था और वापस पानी आने पर उसे ठंडा करना पड़ता था। पानी ठंडा रखना पड़ता था।

पांडेय जी की यह सूचना गलत है कि जब यह संकट शुरू हुआ तो उससे पहले कोई सूचना दी गई हो। मैंने रेकार्ड दिखवाये यहां भी और वहां भी। जो सूचनायें या शिकायतें मिली हैं वे २८ व २९ की हैं। पानी का अकाल पड़ गया था २२ तारीख को।

यह बात भी सही नहीं है कि कोई साहब चेक पर दस्तखत करने वाले नहीं थे इसलिये फावड़े नहीं खरीदे गये। किसी भी चेक से कोई पेमेंट नहीं हुआ। हर चीज वहां पैसे से खरीदी गयी। टी सेट वाली बात भी गलत है। अफसरों ने कहा कि अगर कोई इस बात को साबित करेगा कि कहां से खरीदा गया तो मैं इसकी जांच करूं। कोई कमी कहीं नहीं की गयी।

आगे की जो बात कही गयी उसके लिये मैंने एक आइडिया दे दिया। ४० वर्ष में पहली दफा यह घटना थी जो हो गयी लेकिन आगे फिर ऐसी घटना होने वाली नहीं है। आगे से जो काम कैसा किया करता था वह काम नहर विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है और वह इसकी देखरेख करेगा।

यह भी बतला दूं कि १८५ क्यूसेक्स पानी था वह १,१३७ हो गया है। मैं अपने आप वहां गया। काफी दूर गंगा पार जाना पड़ता है रेत में। काम काफी मुश्किल है आसान नहीं है। जो साहबान यहां से जाना चाहें देखने के लिये मैं उनका इंतजाम करा दूंगा और जा कर देखें कि कितना बड़ा काम है, जो सदस्यों ने यहां कहा उसे सुन कर तकलीफ हुई। इतना बड़ा काम है और इतनी जल्दी उसे किया गया। जो कमिश्नर थे हमारे लाल साहब वे रोज सुबह वहां जाया करते थे। वहां के आफिसर जिलाधीश और सब लोगों ने मिल कर इतना बड़ा काम किया।

मैं यह बात जानता हूं कि एक घटना हुई। वह दुखद है। नहीं होनी चाहिये थी। उसमें कानपुर के तमाम लोगों को बहुत अधिक दिक्कत हुई। लेकिन इसके साथ-साथ हमने ऐसा इंतजाम किया है कि यह चीज आगे नहीं होगी। एक चीज और बतला दूं कि वहां वाटर वर्क्स वाले इसी से पानी लिया करते थे और पानी नहीं रहा तो वहां जनता को तकलीफ हो सकती थी। इसके लिये एक दूसरा इंतजाम है। एक नहर वहां है। उस नहर से साधारण तौर से पानी नहीं लेते हैं। लेकिन पानी गंगा में नहीं था। कारपोरेशन को पानी उससे दिया गया और आप पता लगा लीजिये कि सिवा रात के हमने दिन में कभी पानी नहीं रोका और दिन का पानी उन दिनों निरन्तर चलता रहा। इतनी बात मैं माननीय सदस्यों से और कहूंगा कि एक असाधारण घटना थी साधारण काम नहीं था। जो बातें कहीं गयीं वे सही नहीं हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)––क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किस तिथि को तथा किन सूत्रों से अधिकारियों को यह बात विदित हुई कि गंगा जी अपनी धारा बदल रही हैं और यह आशंका हुई कि बिजली का प्रोडक्शन कम हो रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा––जैसा मैंने, कहा बदलने की कोई बात नहीं थी। पहले से जो धारा थी यह तो बरसात के बाद ढाई मील से चली आ रही थी। २२ तारीख को पानी एकदम से तीन इंच रह गया। तब पता चला कि यहां पानी नहीं है और प्लान्ट गरम होने लगा।

श्री भगवती सिंह विशारद––क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पानी कभी भी एकदम से नहीं गिरता है बल्कि उसका गिराव धीरे-धीरे होता है ? तो क्या बिजली कम्पनी में इस तरह के भी अधिकारी नियुक्त हैं जिनके जिम्मे यही काम है कि वे इस बात की देखरेख करते रहें ? और यदि हैं तो क्या उन्होंने इस तरह की कोई सूचना सरकार को दी थी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा––मैंने कहा कि कम्पनी के पास ड्रेजर हैं जो निरन्तर यह काम करते रहते हैं, नहर को खोदते रहते हैं। इसमें यह बात सही है कि ४ तारीख को २२ इंच से ११ इंच तक पानी आ गया लेकिन यह इस बात का द्योतक नहीं था कि तीन इंच रह जायगा। उसमें ड्रेजर काम करते रहते थे इसलिये साधारणतया यह समझा जा रहा था कि ड्रेजर काम करते जायेंगे और काम चल जायगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)––क्या मैं यह समझूं कि जिस दिन यह संकट आ गया उसी दिन सम्बन्धित अधिकारियों और सरकार को ज्ञात हुआ कि अब संकट आ गया है और उससे पहले पानी के घटने का ट्रेन्ड या कोई चिन्ह नहीं मालूम था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा––मैं बता चुका कि पानी २२ इंच से ११ इंच तक आया लेकिन ११ इंच पानी भी इतना पर्याप्त था कि ऐसा कोई संकट आने की आशंका नहीं थी कि तीन इंच ही रह जायगा। जब एकदम से पानी कम हो गया तो एक तरफ तो पानी कम हो गया और दूसरी तरफ सिल्टिंग शुरू हो गयी जिसकी वजह से गरम पानी निकलना बन्द हो गया। तो ऊपर से पानी आना बन्द हो गया और नीचे से गरम पानी का निकलना बन्द हो गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि पिछले दो, तीन वर्षों में नहर से पानी लिया जाता रहा है और हमेशा उसको गहरा करने की जरूरत पड़ी है ? इस बात को जान कर वे इसका कारण बतायेंगे कि इस साल नहर में घटते हुये पानी की आंशका उन्होंने क्यों नहीं की ?

श्री अध्यक्ष--पहले प्रश्न साफ कीजिये । एक तो परमानेन्ट नहर बनी हुई है जो कानपुर में आती है .....

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, पिछले पांच वर्षों से गंगा कानपुर की तरफ नहीं है उन्नाव की तरफ है और एक नहर काट कर ही वाटरवर्क्स और बिजलीघर के लिये पानी लाया जाता था । तो पानी की कमी को अनुभव करके पहले से नहर को गहरा क्यों नहीं किया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--मैंने पहले निवेदन किया कि जो पानी गंगा से लिया करते थे वह आज से ४० वर्ष तक २०० गज या ज्यादा से ज्यादा एक फर्लांग से ज्यादा लम्बा रास्ता कभी नहर का रहा नहीं । उस नहर को साफ करने के लिये हमारे पास ड्रेजर्स थे । उसका हमारे पास पर्याप्त इन्तजाम था कि वे काम करते रहेंगे । इस वर्ष वह नहर ढाई मील लम्बी हो गयी । एक बात मैं साफ कर दूं कि २१ तारीख को ९ इंच था, ११ कह गया और २२ को तीन इंच हो गया था ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कम बिजली उत्पादन का संकट यहां पर कब से शुरू हुआ और कितने दिन तक रहा और उसका असर कितने लोगों पर पड़ा ?

श्री अध्यक्ष--यह तो जवाब में पहले आ चुका है कि २२ नवम्बर से शायद २ दिसम्बर तक रहा ।

श्री प्रतापसिंह--कितने उपभोक्ता और मजदूरों पर इसका असर पड़ा यह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देहरिया)--श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि उस दिन संकट का पता चला तब पानी ९ इंच से ३ इंच हो गया । तो जब २२ इंच पानी रहता था तो कितनी दूर नहर मुख्य धारा से काट कर मिलाने की जरूरत पड़ती थी और अब यह कितनी दूर मिलायी गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--श्रीमन्, मैंने बताया कि नहर तो उतनी ही है और इसका कोई सवाल नहीं है जिसमें २२ इंच पानी था । बात यह है कि गंगा से एक नहर ढाई मील लम्बी प्राकृतिक है उसमें ९ इंच पानी आता रहा । लेकिन अचानक पानी की कमी हो गई और केवल ३ इंच ही रह गया । वह धारा तो ढाई मील लम्बी है । इसके बाद दूसरा इंतजाम किया गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि और साल नहर फर्लांग डेढ़ फर्लांग ही लम्बी रहती थी । लेकिन इस वर्ष ढाई मील लम्बी हो गई तो इसके लिये हमारे ड्रेजर्स अपर्याप्त हैं इसकी सूचना उन्हें कब मिली ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--मैंने जैसा बताया कि ढाई मील लम्बी धारा थी । उस समय तक यह अंदाजा नहीं था कि इतनी पानी की कमी हो जायगी । ९ इंच पानी चल रहा था तो जहां पानी की कमी होती हमारे ड्रेजर्स काम चला देते । लेकिन जब अचानक की काफी कमी हो गई तो पता चला ।

श्री अध्यक्ष––शायद कंफ्यूजन हो रहा है कि यह धारा कैसे ढाई मील दूर हो गई वहां से ।

श्री नारायणदत्त तिवारी––श्रीमन्, पहले उन्होंने यह कहा है कि पहले फर्लांग डेढ़ फर्लांग थी, लेकिन अब वह ढाई मील हो गई तो हमारा कहना यह है कि जब ढाई मील हो गई तो उसका प्रबंध होना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष––सवाल यह है कि ढाई मील की धारा है और २१ तारीख तक उसमें ९ इंच पानी था जो २२ तारीख को ३ इंच हो गया । अब उसके बाद जिस जगह से पानी लाने की जरूरत पड़ी थी तो वह एक फर्लांग डेढ़ फर्लांग का डिसटेंस ढाई मील हो गया क्योंकि सतह नीची हो गई तो इतनी दूर से पानी लाने की जरूरत पड़ गई । वह तो ढाई मील की धारा है जहां से पानी आता था या फर्लांग डेढ़ फर्लांग थी जो अब ढाई मील हो गई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––श्रीमन्, गलतफहमी यह है कि पहले गंगा वहां बहती थी । उससे एक धारा पहले जब लाया करते थे तो वह एक फर्लांग है और काटकर लाते थे । लेकिन इस साल गंगा दूर चली गई और जो धारा आई वह प्राकृतिक धारा है और वह ढाई मील लम्बी हो गई और उसमें ९ इंच पानी चलता रहा । उस समय तक पानी की कमी नहीं होती लेकिन जब केवल ३ इंच पानी रह गया तो कमी हो गई ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो नहर गंगा से खोदी गई ढाई लाख रुपया लगाकर, तो क्या ओलों के पड़ने से उसको भी खतरा पैदा हो गया है और उसका असर बिजली कम्पनी पर पड़ रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––मैं आपकी बात समझा नहीं हूं लेकिन खतरे का कोई सवाल नहीं है । जब पानी की इतनी कमी हो गई . . .

श्री अध्यक्ष––नया खतरा तो नहीं है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––जी नहीं ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)––क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रति वर्ष कानपुर में पानी की कमी पड़ती है इसलिये वहां ड्रेजर्स रखे गये हैं कि जब जरूरत पड़े तो पानी ले आयें । इसलिये संकट की कोई बात नहीं थी । लेकिन एक बात हुई थी कि पानी घटकर ३ इंच रह गया था और वहां ५ हजार के करीब आदमी काम करते थे । इसलिये कोई संकट नहीं बल्कि उसको संकट का नाम दे दिया गया ।

पानी की कमी थी उसको पूरा किया । कानपुर में कोई भगीरथ नहीं थे जो गंगा की धारा ले आये थे ।

श्री मदन पांडेय––अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्नोत्तर के बाद भी जिन प्रश्नों को मैंने उठाया था उनका समाधान नहीं हुआ । मैं अब भी कहता हूं कि दो चीजों की जांच होनी चाहिये । एक तो यह कि संकट क्यों आया इसकी पूर्व सूचना लोगों को थी, जिन लोगों ने लिख कर दिया है उनसे सलाह करके, उनके सामने जांच की जाय ।

दूसरी मांग यह है कि इस प्रकार का जो संकट था इससे महसूस हुआ कि इस प्रकार का संकट अगर कभी आ जाय तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि लाखों परिवारों को भूखों प्यासों मरने की नौबत आ जाय । इसलिये यह एक्सपर्ट कमेटी इस बात की भी जांच करे कि जो मौजूदा व्यवस्था है क्या वह पर्याप्त है, कानपुर जसे शहर को बचाने के लिये ? इन

[श्री मदन पांडेय]

दोनों चीजों की जांच मंत्री जी करवायें। उसमें अगर हम लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी तो वह प्राप्त होगा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कह दिया कि अब इस पानी का इंतजाम नहर विभाग को सौंप दिया गया। उनके आदमी इस बात के एक्सपर्ट हैं। वह इस को देख लेंगे।

जहां तक शिकायतों का संबंध है मैंने देखा कि २२ तारीख को यह संकट आया और ये शिकायतें २८–२९ की हैं। फिर कोई डेफिनिट शिकायत नहीं है। उनको सूचना किस ने दी कोई ऐसी चीज उसमें नहीं है। अगर ऐसी चीज होती तो जरूर जांच करवा लेता, कागजों को देख कर पता लगता है कि कोई पूर्व सूचना न थी, न हो सकती थी। जैसा कि मेहरोत्रा जी ने कहा ड्रेजर इसी लिये होते हैं कि जो रेत आकर भर जाया करता है, उसको साफ करते हैं। भविष्य के लिये ड्रेजर्स उनके डिस्पोजल पर रख दिये हैं। जितना रुपया वह चाहें खर्च करें। जैसा कि मैंने बताया कि अब १६० क्यूसेक्स के बदले ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि एक डेढ़ हजार क्युसेक्स पानी रहे। जहां तक शिकायतों की बात है मैंने आप से कहा कि कोई शिकायत डेफिनिट नहीं है। २८–२९ से पहले लोगों ने सूचना नहीं दी। अगर कोई होगी तो मैं देख लूंगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२७ फरवरी, १९६१

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३९१ पर।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष १९५९ के प्रथम सत्र के ५ वें बुधवार के लिये निर्धारित श्री शीतला प्रसाद सिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या १९ तथा उसका उत्तर

प्रश्न	उत्तर
१९—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में टेढ़ी नदी पर गोड़वा घाट का पक्का पुल बनाने में जो ६,००० रुपया जिला बोर्ड गोंडा ने ऋण लिया था उसके भुगतान के लिये पुल साल ब साल नीलाम किया जाता था अब तक पुल नीलाम से लगभग १,५०,००० (डेढ़ लाख) रुपया जिला बोर्ड को प्राप्त हो चुका है फिर भी पुल क्यों नीलाम किया जाता है ?	१९—यह सही है कि पुल निर्माण हेतु भूतपूर्व जिला बोर्ड गोंडा को ६०,००० रु० का ऋण दिया गया था और परिषद् पुल पर पथकर वसूली से अब तक १,३४,७१७ रु० प्राप्त कर चुका है। फिर भी चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की धारा १४८ के अनुसार परिषद् को पुल पर पथकर लगाने का अधिकार प्राप्त है, कर वसूली हेतु पुल नीलाम किया जाता है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २८५ एल० ए०—१९६१—८४५।